रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 20, 2015/आश्विन 28, 1937
No. 281] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 20, 2015/ASVINA 28, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2015

अंतिम जाँच परिणाम

विषय : चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्लाईक्लाजाइड के आयातों से संबंधित मामलें में पाटनरोधी जाँच

फा.सं.14/5/2014-डीजीएडी:—(1) यत: समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए; मै. बाल फार्मा लि. बंगलौर (जिसे एतद्पश्चात 'आवेदक', 'याचिकाकर्ता' या घरेलू उद्योग भी कहा गया है) ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें पाटन और परिणामी क्षति का आरोप लगाते हुए चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्लाईक्लाजाइड (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित मामलें में पाटनरोधी जाँच की शुरूआत करने और उक्त देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. और यत: प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 28 अगस्त, 2014 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/5/2014-डीजीएडी के द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसमें संबंधित नियमावली के उप-नियम 5 के अनुसार कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए संबद्ध पाटनरोधी जाँच की शुरूआत की गई।

क. <u>प्रक्रिया</u>

3. नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

i. प्राधिकारी को संबंधित नियमावली के अंतर्गत मै. बाल फार्मा लि. बंगलौर से घरेलू उद्योग की ओर से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्लाईक्लाजाइड के पाटन का आरोप लगाया गया था।

ii. आवेदन की प्रारंभिक जाँच में कतिपय कमियां सामने आईं जिन्हें बाद में आवेदक द्वारा सुधार दिया गया। अत: आवेदन को उचित ढंग से दस्तावेज पूर्ण माना गया। प्राधिकारी ने जाँच की शुरूआत को उचित ठहराने वाले आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरूद्ध जाँच की शुरूआत करने का निर्णय लिया।

iii. प्राधिकारी के संबंधित नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जाँच की शुरूआत करने से पहले पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया।

iv. प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 28 अगस्त, 2014 को प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसमें संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरूआत की गई ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

v. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (1) के अनुसार सूचना वाली सार्वजनिक सूचना की एक प्रति नियम 6 के उप-नियम(2) के अनुसार कथित पाटित वस्तु के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, संबंधित निर्यातक देश की सरकार, आयात/प्रयोक्ता और अन्य हितबद्ध पक्षों को भेजी गई। आवेदक द्वारा आवेदन में प्रदत्त ऐसे पक्षों की सूची पर इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।

vi. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (1) में संदर्भित आवेदन की एक प्रति उपर्युक्त नियमावली 6(3) के अनुरूप लिखित में अनुरोध करने पर ज्ञात निर्यातकों, निर्यातक देश की सरकार और अन्य हितबद्ध पक्षों को उपलब्ध कराई थी।

vii. प्राधिकारी ने नियम 6 (4) के अनुसार निर्यातकों, विदेश की उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षों से यथा विनिर्दिष्ट रूप से कोई सूचना मांगने वाल ऐसे हितबद्ध पक्षों को भी लिखा और पक्षकारों से उन्हें सूचित समय-सीमा के भीतर ऐसी सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। प्राधिकारी द्वारा जहां आवश्यक हो आवश्यक समय विस्तार की अनुमति भी दी गई। ऐसे पक्षकार जो प्राधिकारी को ज्ञात नहीं थे को जाँच की कार्यवाही शुरू होने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर दिया गया।

viii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों से संगत सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावलियां भेजीं:

क) झेजियांग जियुझाउ फार्मास्यूटिकल कं. लि., झेजियांग प्रोविंस, चीन जन. गण.

ख) सिनो ब्राइट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं., गुआंगडोंग, चीन जन. गण.

ग) शानडोंग केयुआन फार्मास्यूटिकल कं. लि., शानडोंग, चीन जन. गण.

घ) ड्रेगनफार्म कं. लि., हंगझाउ, चीन जन. गण.

ङ) सीआईपी ग्लोबल कं. लि., जिनान, चीन जन. गण.

च) झेजियांग हेंगडियान इम्प एंड एक्स. कं. लि., हेंगझाउ, चीन जन. गण.

छ) झेजियांग मेडिसिंस एंड हेल्थ प्रॉडक्टस् इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि., हेंगझाउ, चीन जन. गण.

ix. जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना और सूचना के उत्तर में चीन जन. गण. के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर देकर प्राधिकारी को उत्तर दिया है:

क) शानडोंग केयुआन फार्मास्यूटिकल कं. लि., चीन जन. गण.

ख) झेजियांग जियुझाउ फार्मास्यूटिकल कं. लि., चीन जन. गण.

x. चीन जन. गण. से दो उत्पादकों/निर्यातकों, शानडोंग केयुआन फार्मास्यूटिकल कं. लि., चीन जन. गण. और झेजियांग जियुझाउ फार्मास्यूटिकल कं. लि., चीन जन. गण. ने उत्तर दिया तथापि ने उन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार (एमईटी) प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया या पाटनरोधी नियमावली के अनुसार चीन जन. गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता का खंडन नहीं किया है।

xi. भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आवश्यक सूचना मंगाते हुए प्रश्नावलियां भेजी गईं:

क. डॉ. रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड

ख. माइक्रो लैब्स लि.

ग. इप्का लेबोरेटरीज लि.

घ. एलेम्बिक लिमिटेड

ङ. अल्केम लेबोरेटरीज लि.

च. पेनेसिया बायोटेक लि.

छ. इंडोको रेमेडीज लि.

ज. इनटास बायोफार्मास्यूटीकल्स लि.

झ. सिप्ला लि.

ञ. एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.

ट. प्रगति इम्पेक्स

ठ. सी. जे. शाह एंड कंपनी

ड. कोरस लैब्स

ढ. हरिका ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड

ण. क्रिएटिव आर्गेनिक्स प्रा.लि.

xii. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातक/प्रयोक्ता ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर/अनुरोध प्रस्तुत किए :

क) डॉ. रेड्डी लेबोरेटरीज लि.

ख) पेनेसिया बायोटेक लि.

xiii. इसके अलावा निम्नलिखित आयातों/प्रयोक्ताओं ने अनुरोध/लिखित पत्रों के माध्यम से प्राधिकारी को उत्तर दिया है परंतु यथा लागू आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है:

क) सरडिया फार्मास्यूटीकल्स (इंडिया) प्रा. लि.

ख) इप्का लेबोरेटरीज लि.

ग) माइक्रो लैब्स लिमिटेड

xiv. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश को उपलब्ध कराया और हितबद्ध पक्षों के निरीक्षण के लिए उसे एक सार्वजनिक फाइल के रूप में खुला रखा।

xv. सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की ईष्टतम लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) को ज्ञात किया गया है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

xvi. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें।

xvii. आवेदक द्वारा दी गई सूचना का मौके पर सत्यापन आवेदक और नियार्तक/कों के परिसर में किया गया। आवश्यक सुधार, जहां आवश्यक हो, सहित केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर ही इस प्रकटन विवरण के प्रयोजनार्थ भरोसा किया गया है।

xviii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को 16 जून, 2015 को आयोजित आम सुनवाई में अपना दृष्टिकोण मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया। आम सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने अनुरोध लिखित रूप में प्रस्तुत करें। तत्पश्चात, हितबद्ध पक्षों को खंडनों को प्रस्तुत करने की सलाह दी गई। 11 अगस्त 2015 को दूसरी आम सुनवाई हुई। इस दूसरी मौखिक सुनवाई की आवश्यकता पहली मौखिक सुनवाई के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी के बदल जाने के कारण पड़ी। इस घटनाक्रम से यह आवश्यक हो गया कि

7.1.2011 को 2006 की सिविल अपील संख्या 949 में एक डिविजन पीठ द्वारा आटोमोटिव टायर मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार नए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नई आम सुनवाई आयोजित की जाए।

xix. यह जांच 1 अप्रैल, 2013 से शुरू होकर 31 मार्च, 2014 की अवधि (पीओआई) तक की गई है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल 10 – मार्च 11, अप्रैल 11 - मार्च 12, अप्रैल 2012- मार्च 2013 की अवधि तथा जांच की यह अवधि शामिल है।

xx. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से जाँच अवधि समेत विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरे की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था। सूचना एक गौण स्रोत आईबीआईएससे भी प्रस्तुत की गई थी। डीजीआईएंडएस के आंकड़ों में आयात की मात्रा अधिक है इसलिए प्राधिकारी ने इस जाँच परिणाम के प्रयोजनार्थ डीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

xxi. इस निष्कर्ष में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का द्योतक है।

xxii. पीओआई के लिए अम. डा. के रूपये में परिवर्तन के लिए विनिमय दर समय-समय पर सीमाशुल्क अधिसूचनाओं के अनुसार 60.85 रुपया प्रति 1 अमरीकी डॉलर के रूप में लिया गया है।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद का दायरा और समान वस्तु</u>

4. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद "ग्लाइक्लेजाइड" है। ग्लाइक्लेजाइड एक बल्क औषध है जिसका रासायनिक नाम "1-(हैक्साहाइड्रोसाक्लोपेंटा (सी)पाइरोल- 2 (1एच)-वाइएल)-3-{(4-मेथीफिनाइल) सल्फोनिल} यूरिया" है और इसमें शुष्क पदार्थ के रूप में परिकलित सी15एच21एन3ओ3 का 100% (+/-1%) होता है। ग्लाइक्लेजाइड एक सफेद या लगभग सफेद पाउडर होता है जो जल में व्यवहारिक रूप से अविलेय, डाइक्लोरोमिथेन में मुक्त रूप से विलेय, एसीटाने में अतिरिक्त विलेय और एथेनॉल में कम विलेय (96%) होता है। संबद्ध वस्तु को टैरिफ मद 2942 00 90 के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है । जैसा कि आवेदन में बताया गया है संबद्ध वस्तुओं का आयात 29110090, 2912 19 90, 2921 59 90, 2924 19 00, 2927 00 90, 2930 90 99, 2932 99 00, 2933 19 90, 2933 59 90, 2933 99 00, 2934 99 00, 2935 00 90, 2937 19 00, 2941 90 11, 2941 90 90, 2942 00 11, 2942 00 90, 3822 00 11, 3822 00 19 जैसे उपशीर्षों के अंतर्गत भी किया जा रहा है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

5. ग्लाइक्लेजाइड का प्रयोग आधारित एंटी डायबेटिक/हाइपोग्लाईकेमिक औषधि से संबंधित ग्लाइक्लेजाइड आधारित नुस्खों/विनिर्मितियों में किया जाताहै। ग्लाइक्लेजाइड का प्रयोग स्थिर, कमतर, गैर-कैटोसिस आशंकित टाइप 2 मधुमेह के ग्लाइक्लेजाइड-रेस्पोंसिव मधुमेह मेलिटस में हाइपग्लाईकैमिआ के नियंत्रण के लिए किया जाता है। यह तक प्रयोग होता है जब मधुमेह उचित खान-पान नियंत्रण और और व्यायाम से नियंत्रित न हो सके या जब इंसुलिन चिकित्सा उचित न हो। विभिन्न अणुओं पर आधारित मधुमेह-रोधी दवाइयों के अनेक प्रकार/ब्रांड बाजार में उपलब्ध हैं और ग्लाइक्लेजाइड आधारित मधुमेह-रोधी दवाइयों में से एक है।

6. आवेदकों ने दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग उत्पादित समान घरेलू उत्पाद से समान है। आवेदकों ने दावा किया है आवेदकों के उत्पाद और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है और ये भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी ,कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन ,कीमत निर्धारण ,वितरण और विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय विशेषताएं हैं और आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई खास अंतर नहीं है और ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है ।

<u>प्राधिकारी द्वारा जाँच</u>

7. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद
ग्लाइक्लेजाइड है।

8. प्राधिकारी यह भी नोट करते है कि वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद पर प्रश्न उठाते हुए किसी प्रतिवादी हितबद्ध पक्ष ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

9. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समतुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं।

10. प्राधिकारी ने दावों की जाँच की है और यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी ,कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन ,कीमत निर्धारण ,वितरण और विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। उपभोक्ता इन दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। किसी भी विरोधी हितबद्ध पक्ष ने इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं की है। उपर्युक्त के मद्देनजर, वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ पाटनरोधी नियमावली के अनुसार आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

11. पाटन रोधी नियमावली का नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

12. यह नोट किया जाता है कि यह आवेदन मै. बाल फार्मा लि., बंगलोर द्वारा 'घरेलू उद्योग' की ओर से दायर किया गया है। आवेदक के अनुसार वे भारत में संबद्ध वस्तु के एकमात्र विनिर्माता हैं। आवेदक ने बताया है कि कुछ अन्य उत्पादक जो संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में शामिल थे ने संभवत: पिछले अनेक वर्षों से विनिर्माण बंद कर दिया है और वे वर्तमान जाँच की पूरी क्षति अवधि में प्रचालनरत नहीं रहे थे। आवेदक ने ऐसे अन्य उत्पादकों के नाम और पते भी उपलब्ध कराये हैं जो पूर्व में उनकी सूचना के अनुसार संबद्ध वस्तु के उत्पादन में शामिल रहे थे परंतु उनके उत्पादन के ब्यौरे देने में उन्होंने असमर्थता जताई है क्योंकि सार्वजनिक डोमेन में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। आवेदक ने यह भी प्रमाणित किया है कि आवेदक या उसके किसी संबंधित पक्ष ने उनके सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं किया है।

13. एक प्रतिवादी निर्यातक ने यह दलील दी है कि ऐसा कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है कि अन्य उत्पादकों ने कब संबद्ध वस्तु का उत्पादन करना बंद कर दिया और क्षति जाँच अवधि के किसी वर्ष के लिए आवेदन में अन्य चार उत्पादकों के उत्पादन और बिक्री की किसी सूचना पर विचार नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

14. इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने ऐसे अन्य सभी उत्पादकों को जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना भेजी है जिसमें उनसे प्राधिकारी के समक्ष उनकी वास्तविक स्थिति या किसी अन्य संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक उत्तर आमंत्रित किए गए हैं। तथापि, प्राधिकारी आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना से नोट करते हैं कि सभी अन्य उत्पादकों ने पिछले अनेक वर्षों से अपना उत्पादन बंद कर दिया है और यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि ऐसे अन्य उत्पादक क्षति जाँच अवधि के किसी वर्ष के दौरान संबद्ध वस्तु के उत्पादन में शामिल थे। यह भी नोट किया जाता है कि कोई भी हितबद्ध पक्ष ने आवेदक के घरेलू उद्योग की स्थिति और दर्जे के संबंध में कोई तथ्यपूर्ण मुद्दा नहीं उठाया है।

15. उक्त स्थिति को देखते हुए और चूंकि आवेदक का उत्पादन भारत में संबद्ध वस्तु के कुल उत्पादन में 'एक प्रमुख हिस्सा' (भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत) बनता है इसलिए प्राधिकारी पाते हैं कि आवेदक नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

घ. गोपनीयता

प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध

16. गोपनीयता और सूचना के प्रकटन के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नानुसार अनुरोध किये गये हैं:

i. घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और कोई विधिसम्मत कारण बताए बिना काफी सूचना को गोपनीय माना है और यह नियमों और माननीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विस्तृत प्रक्रिया का उल्लंघन है।

ii. वर्तमान जॉच में आवेदक द्वारा प्रदत्त आवेदन के अगोपनीय अंश में सूचना के अपर्याप्त अंतिम निष्कर्ष हैं।

iii. पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन आदि का आधार नहीं बताया गया है।

iv. समस्त संगत सूचना के प्रकटन के बाद ही आवेदक द्वारा किए गए कतिपय दावों का खंडन किया जा सकता है।

v. घरेलू उद्योग ने निर्यात कीमत में दावा किए गए समस्त समायोजनों को दावा उनके लिए गोपनीयता का दावा करने का कोई कारण बताए बिना किया है।

vi. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन से संबंधित समस्त ब्योरों के गोपनीय होने का दावा किया गया है और मूल्यों को रेंज में नहीं दिया गया है। घरेलू उद्योग ने उक्त ब्योरों को प्रकट नहीं करने का भी कोई कारण नहीं बताया है।

vii. लाभ/हानि और प्रतिशत रूप में नियोजित पूंजी पर प्रतिदान (आरओसीई) को गोपनीय रखा गया है।

<u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

17. गोपनीयता और सूचना के प्रकटन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तर्क और प्राधिकारी द्वारा उन्हें संगत समझे जाने का ब्योरा निम्नानुसार है:

i. निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत ईक्यू उत्तर और आयातकों द्वारा प्रस्तुत आयातक प्रश्नावली के उत्तर में मात्रा संबंधी सूचना का खुलासा भी नहीं किया गया है जबकि घरेलू उद्योग की क्षमता, बिक्री, उत्पादन आदि जैसी मात्रा संबंधी सूचना को आवेदक द्वारा सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराया गया है।

ii. प्रतिवादी निर्यातकों ने पाटन मार्जिन की रेंज भी नहीं बताई है जिससे आवेदक कारगर अनुरोध करने से वंचित हो गये।

iii. प्राधिकारी निर्यातकों/आयातकों को भारत में निर्यातों/आयातों के बारे में मात्रात्मक सूचना प्रकट करने का निदेश दे सकते हैं क्योंकि ऐसी मौलिक सूचना को गोपनीय मानने का कोई औचित्य नहीं है।

iv. एक प्रतिवादी निर्यातक, झेजियांग जिनझोउ फार्मास्युटिकल कं. लि. ने किसी तार्किक कारण के बिना शेयरधारकों के नाम को भी गोपनीय माना है जो अत्यधिक गोपनीयता है। प्राधिकारी को इस निर्यातक के शेयरधारकों के नाम का प्रकटन करना चाहिए।

v. ऐसे कतिपय आयातकों के केवल अनुरोध जिन्होंने आयातक प्रश्नावली का उततर नहीं दिया है, को कार्यवाही को उचित बताने के लिए रिकार्ड नहीं करना चाहिए और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे पक्षकार को वर्तमान कार्यवाही में भाग लेने के लिए जॉच से संबंधित प्राधिकारी द्वारा विहित ऐसी समस्त सूचना प्रदान करने के लिए दायित्व बद्ध हैं।

vi. आवेदक ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में यथा अनुमत उनके द्वारा प्रदत्त कतिपय सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है और ऐसी सूचना का सार्थक सारांश भी उपलब्ध कराया गया है। सुनवाई के दौरान हितबद्ध पक्षों का यह दावा कि आवेदक ने आवश्यक प्रकटन नहीं किए हैं, निराधार है।

vii. निर्यातकों/आयातकों ने निर्यात मात्रा, आयात मात्रा, उतपादन क्षमता, क्षमता उपयोग, मात्रा में मालसूची, रेंज/सूची आयात कीमत, निर्यात कीमत रेंज/सूची, पाटन मार्जिन प्रतिशत रेंज आदि से संबंधित आकड़ों को गोपनीय रखा है और प्राधिकारी द्वारा उसकी अनुमति दी जानी चाहिए।

<u>प्राधिकारी द्वारा जॉच</u>

18. गोपनीयता/सूचना केप्रकटन के संबंध में हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा उन्हें संगत समझे जाने की जॉच और समाधान निम्नानुसार किया गया है:

i. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

ii. हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जाँच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षों को उसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्ष को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश को सार्वजनिक फाइल के रूप में रखा है।

ङ. <u>विविध अनुरोध</u>

<u>प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

19. जाँच की प्रक्रिया के दौरान विविध मुद्दों के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों का सारांश निम्नानुसार है : -

(i) प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच की शुरूआत करने में जल्दबाजी की है, क्योंकि अनिवार्य औषधि प्रयोक्ताओं और भेषज उद्योग के समग्र हित और समग्र अंतिम प्रभाव पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया है ।

(ii) याचिकाकर्ता संबद्ध वस्तुओं की भारतीय मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। याचिकाकर्ता की बिक्रियां भारतीय मांग का केवल लगभग 28 प्रतिशत हैं। यदि उनकी पूरी क्षमता पर भी विचार किया जाए तो भी वे भारतीय मांग के केवल 50 प्रतिशत को पूरा कर सकते हैं। ऐसा तब है जबकि भारत में मधुमेह के मामलों में दिनांक 15.6.2015 के टाइम्स आफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 1999 और 2013 के बीच 123 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता भारी मात्रा का निर्यात भी कर रहा है जिससे मांग और पूर्ति की समस्या को और बढ रही है ।

(iii) ग्लाइक्लेजाइड की विनिर्मितियों को एनपीपीए द्वारा नियंत्रित किया जाता है और बल्क औषधि की कीमत को नियंत्रित नहीं किया जाता है इसलिए पाटनरोधी शुल्क से संबद्ध वस्तु को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग करने वाले विनिर्माताओं पर अनुचित प्रभाव पड़ेगा ।

(iv) पाटनरोधी शुल्कों से आयात मंहगे हो जाएंगे और मांग और पूर्ति के बीच अंतर से कीमतों में वृद्धि होगा और मधुमेह रोगियों को नुकसान हो सकता है। भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है इसलिए पाटनरोधी शुल्क वांछनीय नहीं है ।

(v) केन्द्र सरकार ने मांग और पूर्ति की समस्या पर विचार करते हुए पेनीसिलीन जी और 6 एपीए के मामले में पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया, वह भी एक बल्क औषधि थी। इसलिए प्राधिकारी को वर्तमान मामले में भी पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाना चाहिए ।

(vi) कुछ उत्पादकों द्वारा उत्पादित ग्लाइक्लेजाइड गोलियों की कीमतें, डीपीसीओ कीमत नियंत्रण के अध्यधीन हैं । यदि पाटन-रोधी शुल्कों का प्रस्ताव किया जाता है तो उनका पूर्वाकलन इन तथ्यों को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए ।

(vii) संबद्ध वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाना, ब्रांडिड/जननिक औषधियों की कीमतों को कम करने की सरकार की नीति के विरूद्ध होगा।

(viii) घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन पत्र के साथ आईबीआईएस से उसको प्राप्त हुए कच्चे/मूल आयात के आंकडों की हार्ड कापी और एक्सिल फाईल में उसकी सॉफ्ट कापी प्रस्तुत नहीं की है और न ही उसने यह बताया कि उसे प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया है।

(ix) मेसर्ज शानडोंग केयून फार्मा कंपनी, चीन की ओर से यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग ने गैर-क्षति कीमत निर्धारित करने के लिए नियोजित पूंजी पर आय की स्फीत दर लगाई है। यह निवेदन किया गया है कि कानून में यह अपेक्षित है कि अपनाए जाने वाला प्रतिदान उचित होना चाहिए और यह परिकल्पित नहीं होना चाहिए। उचित प्रतिदान का तात्पर्य उसकी तथ्यपरक पुष्टि किए जाने से है। यह सामान्य तर्क कि डीजीएडी निरंतर 22 % को अपना रहा है, उसकी उपयुक्तता के दावे का आधार नहीं हो सकता है। उन्होंने आगे यह निवेदन किया है कि जब कि पाटन का कोई आरोप नहीं लगाया गया है, निर्धारित प्राधिकारी को उद्योग द्वारा अर्जित आरओसीई को ही अपनाया जाना चाहिए क्योंकि यह उचित लाभ का मार्जिन है और न कि 22 % आरओसीई।

<u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

20. जांच किए जाने के समय घरेलू उद्योग द्वारा अनेक निवेदन किए गए हैं जो कि निम्नानुसार हैं:

(क) कुछ हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा कि प्राधिकारी द्वारा अधिकतर प्रयोक्ताओं के समग्र हित और समग्र अंत प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है, का कोई कानूनी आधार नहीं है क्योंकि पाटन-रोधी शुल्कों का सीमित उद्देश्य पाटन को क्षति पहुंचाने वाले प्रभाव को दूर करना तथा बाजार में उचित वातावरण बहाल करना है।

(ख) जांच की अवधि के दौरान ग्लाइक्लेजाइड की मांग सीमा 122 मी.टन तक रही है और जांच अवधि के दौरान ही इसकी हस्तगत माल सूचियों के विशेष स्तर के साथ घरेलू उद्योग की क्षमता 60 एमटी/पीए रही है । हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग की वर्तमान क्षमता, 50% भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, वस्तु स्थिति यह है कि इसका भारत में डायबेटिक औषधियों और डायबेटिक रोगियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पडता है । ग्लाइक्लेजाइड अणुओं में से केवल एक ऐसा अणु है जिसका उपयोग, टाईप -2 के डायबेटिक रोगियों के उपचार के सूत्रीकरण के लिए किया जाता है और आईएमएस-हेल्थ की बाजार सूचना के अनुसार समग्र डायबेटिक औषधियों में भारत में बेची जाने वाली डायबेटिक आधार पर निर्मित औषधियों में ग्लाइक्लेजाइड का अंशदान निम्नोक्त अनुसार है :

क्रमांक	विवरण	2013-14		2014-15		विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि (%)
		करोड रूपए	कुल में अंशदान (%)	करोड रूपए	कुल में अंशदान (%)	
1.	भारत में डायबेटिक औषधियों की बिक्रियां	5,353	100	6,692	100	25.01
2.(क)	टाईप – 1 (इंसुलीन आधारित)	1,248	23.31	1,526	22.80	22.28
2.(ख)	टाईप – 2 (मुख सेवन आधारित)	4,105	76.69	5,166	77.20	25.85
2.(ख) (1)	गैर- ग्लाइक्लेजाइड आधारित	3,777	70.56	4,788	71.55	26.77
2.(ख) (2)	ग्लाइक्लेजाइड आधारित	328	6.13	378	5.65	15.24
3.	समग्र डायबेटिक औषधियों की तुलना में आवेदनकर्ता की ग्लाइक्लेजाइड की बिक्रियां	15-20	1% से कम	16-21	1% से कम	
*स्रोत : आईएमएस :- हेल्थ - जो कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त एक एजेंसी है।						

(ग) आईएमएस की उपरोक्त सूचना से यह स्पष्ट होता है कि ग्लाइक्लेजाइड आधारित डायबेटिक का प्रतिपादन, जांच अवधि के दौरान कुल एंटी-डायबेटिक औषधियों का लगभग 6 प्रतिशत बनता है, और याचिकाकर्ता की बिक्रियां, कुल डायबेटिक औषधियों के 1 प्रतिशत से भी कम हैं। इस प्रकार आयातकों का यह दावा कि संबद्ध वस्तुओं की सीमित आपूर्ति से भारत में डायबेटिक रोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, केवल एक निराधार आरोप है जो कि घरेलू उद्योग पर पाटन से पडने वाले व्यापक प्रभाव को छिपाना मात्र है। पाटन—रोधी शुल्क से आयात स्वत: बंद नहीं होंगे लेकिन इनसे केवल यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्द्धा स्थापित हो। आयातक/निर्यातक निरंतर आयात कर सकते हैं लेकिन उचित कीमतों पर और न कि पाटन कीमतों पर।

(घ) नेशनल फार्मेस्युटिकल प्राईसिंग अथोरिटी ने इस बात से संतुष्ट होते हुए है कि ऐसा करना जन हित में आवश्यक है, अपनी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1730 (ई) के अंतर्गत मेसर्ज पेनेसिया बायोटेक, मेसर्ज सर्डिया, मेसर्ज डा. रेड्डीस लैब्स, मेसर्ज इंडोको, मेसर्ज आईपीसीए लैब्स और मेसर्ज केडिला फार्म के ब्रांड नाम से विनिर्मित/बाजार में बेचे जाने वाले फार्मूलेशन पैक पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय करों सहित अधिकतम फुटकर कीमतें अधिसूचित की हैं। यह आदेश इस लिए आवश्यक था क्योंकि ऐसे उत्पादक, ग्लाइक्लेजाइड औषधियों के लिए 25% अतिरिक्त शुल्क सहित ऐसी कीमत प्रभारित कर रहे थे जो कि अप्रैल, 2014 के मास के लिए मेसर्ज आईएमएस-हेल्थ द्वारा प्रदत्त किए गए बाजार आधारित आंकडों के अनुसार ऐसी औषधी की सामान्य औसत कीमत की सीमा से काफी अधिक थीं ।

(ङ) प्रतिपक्षकार का यह तर्क रहा है कि डीपीसीओ के कीमत नियंत्रण के साथ पाटन-रोधी शुल्क से ग्लाइक्लेजाइड आधारित एंटी-डायबेटिक औषधियों की कीमत पर अत्यधिक लागत प्रभाव पडेगा। नीचे तालिका में ऐसी संख्या निर्दिष्ट है जिनसे यह पता चलता है कि यदि पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाता है तो उसका 30 % प्रभाव पडेगा और इससे यह भी पता चलता है कि ऐसा तर्क निराधार है तथा इसका प्रभाव बहुत न्यूनतम पडेगा। कुछ उत्पादकों पर डीपीसीओ द्वारा यथा निर्धारित औषध की कीमतों पर ही निम्नोक्त विश्लेषण किया गया है, जो कि आयातित ग्लाइक्लेजाइड की कीमत पर आधारित है और जो स्वत: स्पष्ट है ।

	इकाई	30 एमजी	40 एमजी	60 एमजी	80 एमजी
चीन जन. जण. से पहुंच कीमतें	रूपए/ कि.ग्रा.	5,114	5,114	5,114	5,114
यदि 30% पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाता है तो चीन जन. जण. से पहुंच कीमतें	रूपए/ गोली	6,504	6,504	6,504	6,504
पाटन-रोधी शुल्क लगानेसे लागत में वृद्धि	रूपए/ गोली	0.04	0.06	0.08	0.11
पेनेसिया, सर्डिया, डा. रेड्डीस, इंडोको, आईपीसीए और केडिला से संबंधित डीपीसीओ/एनपीपीए के आर्डर के अनुसार एमआरपी	रूपए/ गोली	5.77	3.26	9.90	5.00
एमआरपी के संबंध में लगात वृद्धि	%	0.72	1.71	0.84	2.22

(च) यह नोट किया जा सकता है कि किसी भी पाटन-रोधी शुल्क का प्रभाव बहुत नगण्य पडेगा जो कि 0.72% से 2.22% तक श्रेष्ठ होगा। यदि ऐसे औषधी विनिर्माता ऐसी नगण्य वृद्धि का लाभ ग्राहकों को नहीं दे पाते हैं तो भी इसका उनके लाभ पर बहुत तुच्छ प्रभाव पडेगा तथा वह भी लागत में पर्याप्त वृद्धि किए बिना । इस प्रकार यह तर्क कि पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप सामान्यतया एंटी-बायोटिक औषधियों की कीमत में वृद्धि होगी पूर्णतया निराधार है।

(छ) कुछ उत्पादकों द्वारा उत्पादित ग्लाइक्लेजाइड गोलियां, डीपीसीओ के कीमत नियंत्रण अधीन होती हैं । तथापि, इस कीमत के आधार पर ही पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाना चाहिए क्योंकि डीपीसीओ कीमत नियंत्रण संबद्ध वस्तुओं के लिए नहीं हैं और कीमत नियंत्रण देश व्यापी नहीं है । यह ग्लाइक्लेजाइड गोलियों के ऐसे कुछ उत्पादकों से संबंधित है, जो कि डायबेटिक रोगियों से अधिक कीमतें प्रभारित करते हुए पाए गए हैं ।

(ज) ग्लाइक्लेजाइड की उचित कीमत, ग्लाइक्लेजाइड आधारित डायबेटिक औषधियों के भारतीय प्रयोक्ताओं के दीर्घकालिक हित के लिए उपयुक्त होगी तथा घरेलू उद्योग का अस्तित्व, बाजार में संबद्ध वस्तुओं के लिए उचित कीमत लगाए जाने पर अत्यधिक निर्भर करता है । यदि पाटन के परिणामस्वरूप मेसर्ज बाल फार्मा बंद हो जाता है जो कि भारत में ऐसी बल्क औषधी का एक मात्र बचा हुआ विनिर्माता है, तो ऐसी स्थिति में भारत पूर्णतया आयातित संबद्ध वस्तुओं पर ही निर्भर करने लगेगा जिससे चीन जन. गण. का कीमत निर्धारण में एकाधिपत्य हो जाएगा । इस प्रकार जैसा कि आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया है, ग्लाइक्लेजाइड पर पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाना जनहित के विरूद्ध नहीं है बल्कि यह दीर्घकालिक जनहित की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है ।

(झ) हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि घरेलू उद्योग के पास क्षमता विद्यमान नहीं है, इसलिए वे पाटन-रोधी शुल्क नहीं लगा सकते हैं, भ्रामिक है । अनेक वर्षों से इसकी क्षमता स्थिर बनी हुई थी लेकिन चीन जन.गण. से पाटित सामान के रहते इसकी मांग बढ गई थी और याचिकादाता को अत्यधिक घाटे हो रहे थे । यदि याचिकादाता ऐसे सामान को लाभप्रद कीमतों पर बेचने की स्थिति में होता तो वह अपनी क्षमता का विस्तार भी कर सकता था । उपरोक्त के बावजूद ग्लाइक्लेजाइड आधारित डायबेटिक औषधियां, भारत में कुल डायबेटिक औषधियों का लगभग 6% भाग मात्र ही बनती हैं और डायबेटिक औषधियों और ग्लाइक्लेजाइड का उत्पादन करने की क्षमता की तुलना में इनकी आपूर्ति में ऐसा कोई अंतर भी व्याप्त नहीं है, जैसा कि आयातक द्वारा आरोपित किया गया है । वस्तु स्थिति यह है कि याचिकादाता की मौजूदा क्षमता, ग्लाइक्लेजाइड के लिए (और न कि डायबेटिक औषधियों के लिए), भारत की मांग का लगभग 51 % है, लेकिन यदि उचित बाजार स्थिति हो तो इसमें वृद्धि हो सकती है और यह तर्क पाटन को निरंतर जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है । इसके अतिरिक्त सुलभ संदर्भ के लिए माननीय ट्रिब्यूनल के निर्णय और प्राधिकारी के नीचे यथा उल्लिखित विभिन्न निर्णयों से यह विधिशास्त्र स्पष्ट हो जाता है कि पाटन के विरूद्ध सुरक्षा प्राप्त करने के लिए समग्र मांग को पूरा किया जाना कोई पूर्व शर्त नहीं है ।

(ञ) कुछ हितबद्ध पक्षकार का यह तर्क कि घरेलू उद्योग का उत्पादन, घरेलू उत्पादन का 50% अंश भी नहीं होता है और उनके पास संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कटिबद्ध क्षमता नहीं है, यह कहने का कोई कानूनी अथवा तथ्य परक आधार नहीं है कि कोई पाटन-रोधी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए । याचिका से यह देखा जा सकता है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू मांग में घरेलू उद्योग का अंशदान लगभग 28 % है, जबकि घरेलू उद्योग के पास 50 % से भी अधिक घरेलू मांग को पूरा करने के लिए क्षमता विद्यमान है । घरेलू मांग के विशिष्ट भाग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता के प्रतिवेश में विधिशास्त्र, अनेक जांच में तथा निर्धारित प्राधिकारी के लिए विवादास्पद मुद्दा रहा है और इसलिए माननीय सीईएसटीएटी ने भी इस पहलु पर सुस्पष्ट विचार व्यक्त किया है जो कि स्पष्ट निर्दिष्ट करता है कि पाटन-रोधी शुल्क लगाने की योजना के अंतर्गत सुरक्षा चाहने वाला घरेलू उत्पादक, समग्र घरेलू मांग को पूरा करने अथवा उसके कुछ भाग को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है और न ही यह पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की कोई पूर्वापेक्षा है। पाटन-रोधी शुल्क स्वत: आयात के विरूद्ध नहीं हैं । पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने का लक्ष्य पाटन के तत्वों को समाप्त करके घरेलू बाजार में समान व्यापारिक स्थिति को बहाल करना होता है । विगत कुछेक मामलों में प्राधिकारी द्वारा और साथ ही सीईएसएटी द्वारा इस मुद्दे पर व्यक्त किए गए विचार निम्नानुसार हैं :-

(i) सीईएसटीएटी – डीएसएम इंडेमित्सू लिमिटिड बनाम निर्धारित प्राधिकारी (2000 (119) ई.एल.टी. 308 (ट्रिब्यूनल) –

" 11. जैसा कि रिकार्ड को देखने से पता चलता है, इससे न केवल बाजार के हिस्से में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है बल्कि अन्य देशों की तुलना में भारत में कम कीमतों पर वस्तुओं का पाटन किया गया है । उदाहरणत: वर्ष 1996-97 के दौरान अनेक निर्यातक देशों में 68 रूपए प्रति किलाग्राम की तुलना में जापानी कीमतें 50 रूपए प्रति किलोग्राम थीं । अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि घरेलू उद्योग बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं था और इसलिए जापान जरूरतमंद उपभोक्ताओं को बचाने के लिए आया था । यदि निर्यातक भारतीय बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं की आपूर्ति करना चाहते थे तो ऐसा समान कीमत पर अथवा सामान्य मूल्य पर निर्यात करके किया जा सकता था और न कि पाटित मूल्य पर और न ही बाजार को अधिग्रहीत करके जैसा कि निर्धारित प्राधिकारी के लिए परामर्शदाता द्वारा सही उल्लिखित किया गया है । प्राधिकारी की वर्कशीट और हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई गोपनीय सूचना का अनुशीलन करने पर हमने पाया है कि जांच अवधि के लिए क्षमता के उपयोग के अनुकूलतम स्तर पर ईपीडीएम की उचित बिक्री कीमत का निर्धारण किया गया था । निर्धारित प्राधिकारी ने यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग को सामग्री की क्षति हुई थी और उसे वस्तुओं को उसके उत्पादन की लागत से कम कीमतों पर बेचने के लिए विवश होना पडा था । संबद्ध वर्षों के तुलन पत्र भी इस स्थिति की संपुष्टि करते हैं कि वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की स्थिति से ही अलाभप्रद कीमत निर्धारण किए जाने के परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष घाटे हुए हैं । यह ऐसी उचित बिक्री कीमत वसूल करने में भी सक्षम नहीं रहा है जिससे कि उसके उत्पादन की पूरी लागत वसूल की जा सके और उचित लाभ कमा सके और हालांकि यह जापान से पाटित आयातों के कारण अनुमानित लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर सका (आपूर्ति किए गए इलेटिक्स) ।"

(ii) कोरिया आर. पी. मूल से अथवा आयातित एसीटोन के संबंधित आयातों के अंतिम जांच परिणाम (एसएसआर) – 4 दिनांक 2014 का अंतिम निर्णय ।

"29. यह निवेदन कि घरेलू उद्योग देश में समग्र मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है और आयात करना अपरिहार्य है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी नियम 12 के अंतर्गत बाजार में उचित कीमत प्राप्त करने का पात्र बनने के लिए घरेलू उद्योग के लिए अनिवार्य नहीं है समग्र मांग को पूरा किया जाए । इसके अतिरिक्त प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी उपाय लागू करने से आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयात करने से नहीं रोका जा सकता है लेकिन इससे उचित और प्रस्पिर्द्धी कीमतों पर आपूर्ति किए जाने के बहुविध स्रोत सुनिश्चित किए जा सकते हैं (आपूर्ति किए गए इलेटिक्स) ।"

(iii) ताईवान मूल के अथवा फिनाईल के निर्यात अथवा ताईवान और संयुक्त राज्य अमरीका से निर्यातित फिनाईल के बारे में पाटन-रोधी जांच – दिनांक 6 अगस्त, 2014 का अंतिम निर्णय ।

" 47. i. इस तर्क के संबंध में कि पाटन-रोधी शुल्क लगाना विश्व व्यापार संगठनके विरूद्ध होगा विशेषकर जब कि याचिकादाता कंपनी केवल 12% मांग को ही पूरा कर रही है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क लगाने के उपाय करने से संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए इनसे उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी । उपभोक्ता अभी भी उचित बाजार कीमत पर आपूर्ति के सभी स्रोतों का लाभ उठा सकते हैं । भारतीय नियमों अथवा विश्व व्यापार संगठन के करार में घरेलू उद्योग के लिए ऐसे किसी भी न्यूनतम अंश के बारे में कोई प्रावधान निहित नहीं हैं जिसका वह नियमों के अंतर्गत पाटन के विरूद्ध राहत प्राप्त करने से पहले उत्पाद की मांग/खपत में निश्चित रूप से प्राप्त करने का हकदार हो (आपूर्ति किए गए इलेटिक्स)।"

(iv) यूरोपियन यूनियन (ईयू) और मेक्सिको से पीवीसी ससपेंशन रेसिन के आयात पर पाटन-रोधी जांच – दिनांक 4 अप्रैल, 2014 का अंतिम निर्णय ।

" 115. i. इस तर्क के संबंध में कि मांग और पूर्ति में व्याप्त विशेष अंतर होने के बावजूद घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताएं नहीं बढाई हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब कि यह सही है कि घरेलू उद्योग मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है फिर भी यह उत्पाद के पाटन होने और घरेलू बाजार पर प्रतिकूल कीमत प्रभाव पडने को न्यायोचित नहीं ठहराता है । यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने इसका विरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में बाजार की निरंतर प्रतिकूल स्थितियों ने घरेलू उत्पादकों को अपनी क्षमताओं को और बढाने से रोका है (आपूर्ति किए गए इलेटिक्स)।"

(ट) इस तर्क के संबंध में कि याचिकादाता अत्यधिक मात्रा में आयात कर रहा है और इससे मांग की आपूर्ति का मुद्दा बढ रहा है, यह निवेदन किया जाता है कि याचिकादाता द्वारा किए जाने वाले निर्यात से भारतीय उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं से वंचित नहीं रखा जा रहा है। वस्तुत: ऐसे निर्यात, याचिकादाता को संबद्ध देश से क्षतिपूर्ण पाटन के कारण अपने उत्पादों का उत्पादन पूरी तरह से बंद करने से रोकने में सहायक हुए हैं। इसके साथ ही घरेलू बाजार में मात्रा की वसूली सामान्य रही है, जबकि याचिकादाता को चीन जन.गण. से पाटित सामग्री की उपलब्धता के परिणामस्वरूप निर्माण लागत पर अत्यधिक घाटा हुआ है।

(ठ) यह भी निवेदन किया जाता है कि हालांकि भारतीय बाजार में उत्पाद की भारी मांग बनी हुई है, फिर भी घरेलू उद्योग ऐसी स्थिति में है जिसमें उसे संबद्ध देश से क्षतिपूर्ण पाटन के प्रभाव के कारण अत्यधिक वित्तीय घाटे उठाने पड रहे हैं। वस्तुत: चीन जन.गण. से पाटन के कारण संबद्ध वस्तुओं के संबंध में बाजार की निरंतर प्रतिकूल स्थितियों ने घरेलू उद्योग को किसी भी प्रकार का उचित और कानूनी लाभ उठाने तथा अपनी क्षमताओं को और बढाने से रोका है।

(ड) यह प्रेक्षण गलत है कि क्षमता के स्थिर बने रहने पर मूल्यह्रास और ब्याज में अनुचित वृद्धि हुई है और अचल परिसम्पतियों में कैसे वृद्धि हुई है। इस संबंध में निवेदन है कि इनके आंकडों में वृद्धि नहीं हुई है। प्रपत्र 4 क यह दर्शाता है कि घरेलू आंकडों तथा मूल्यह्रास, ब्याज और एनएफए के आंकडों में हुई वृद्धि को अनेक वर्षों से घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री में व्याप्त विशेष अंतर के आलोक में देखा जाना चाहिए। संविभाजन के बाद इन आंकडों में घरेलू बिक्री और निर्यात बिक्री की स्थिति में संविभाजन के परिवर्तन होंगे और ये तदनुसार अनेक वर्षों की भिन्न स्थिति निर्दिष्ट करेंगे, हालांकि समग्र और प्रति यूनिट के आंकडे तुलनात्मक स्थिति दर्शायेंगे। इस प्रकार आयातक की आशंकाएं निराधार हैं और मौजूदा मामले के तथ्य तथा आयातक द्वारा उल्लिखित सुरक्षा के मामले भिन्न हैं। यहां क्षति होने का कारण पाटन है और पाटन को किसी अन्य कारकों से होने वाली क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।

(ढ) कुछ हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता सीमित होगी, यह निवेदन किया जाता है कि यह एक मिथ्या धारणा है। पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने से भारतीय और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को व्यापार करने का समान क्षेत्र उपलब्ध होगा और इससे संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता सीमित नहीं होगी। नियम/विश्व व्यापार संगठन अन्य देश के वाणिज्य में पाटन की अनुमति नहीं देते हैं और ऐसे पाटन का कोई भी लाभ-भोगी गैर-कनूनी फायदा उठाता है जिस पर उपयुक्त पाटन-रोधी उपायों से अंकुश लगाया जाना चाहिए। मौजूदा मामले में घरेलू उद्योग के कानूनी हितों की रक्षा पाटन-रोधी शुल्क लगा कर की जा सकती है।

(ण) कुछ हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क है कि पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने से महंगे आयातों और मांग आपूर्ति के अंतर से कीमतें बढेंगी और इनसे डायबेटिक रोगियों को कष्ट हो सकता है तथा इसके अतिरिक्त संबद्ध वस्तुओं का केवल एक ही उत्पादक है। इस संबंध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि पाटन-रोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य आयात को बंद करना नहीं है, बल्कि इससे आयातित उत्पादों के साथ-साथ घरेलू उत्पादों को एक समान व्यापारिक अवसर प्रदान किए जायेंगे। इनसे डायबेटिक रोगियों को कष्ट नहीं होगा क्योंकि ये पाटन-रोधी शुल्क उत्पादों की उपलब्धता को प्रतिबंधित नहीं करेंगे। वास्तव में मेसर्ज बाल फार्मा भारत में अंतिम विद्यमान उत्पादक है और यह डायबेटिक रोगियों के हित में है तथा भारत को एक राष्ट्र के नाते अपनी इस कंपनी को बंद होने से बचाना चाहिए और यदि भारत में कोई देशी उत्पादक नहीं होगा तो संबद्ध वस्तुओं के आयात की कीमतें, उन पर नियंत्रण रखे बिना बढती रहेंगी। इसलिए ये शुल्क अपरिहार्य हैं।

(त) कुछ हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि मांग और पूर्ति में अत्यधिक अंतर व्याप्त होने के कारण आयात करने जरूरी होते हैं, यह निवेदन किया जाता है कि मांग और पूर्ति में व्याप्त अंतर आयात करने की अनुमति नहीं देता है। घरेलू मांग में घरेलू उद्योग का अंश लगभग 28% बना हुआ है। कंपनी को बाध्य किया गया कि वह अपनी कीमतों को चीनी उत्पादकों द्वारा पेश की जा रही कीमतों के बराबर करे जिसके फलस्वरूप उसे घाटे हुए। वास्तव में कंपनी द्वारा बनाया गया 28% हिस्सा, कंपनी को हुए अत्यधिक घाटों के आलोक में इतना विवेकपूर्ण नहीं था। यहां तक कि वित्तीय घाटों की लागत पर इस हिस्से को अधिक समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता है। इसलिए मुद्दा मांग और पूर्ति में अंतर व्याप्त होने का नहीं है, मुद्दा तो चीनी उत्पादकों द्वारा पेश की जा रही पाटित कीमतों का है। पाटन-रोधी शुल्क लगाने से बाजार में व्यापार करने का समान वातावरण बहाल होगा और घरेलू उद्योग विवेकपूर्ण कीमतों पर अधिक मात्रा में आपूर्ति करने की स्थिति में होगा।

(थ) कुछ हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि कुछ उत्पादकों द्वारा ग्लाइक्लेजाइड के सूत्रीकरण की कीमतें एनपीपीए द्वारा नियंत्रित होती हैं और ग्लाइक्लेजाइड बल्क औषधी की कीमत नियंत्रित नहीं होती है, यह निवेदन है कि पाटन-रोधी शुल्क लगाना, कर निर्धारण करना नहीं है जिससे कीमतों में स्वत: वृद्धि हो जाती है। पाटन-रोधी शुल्कों का निर्धारण, एक

स्तर पर किया जाता है ताकि आयात कीमत के क्षति पहुंचाने वाले प्रभाव को दूर किया जा सके तथा संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत और लागू पाटन-रोधी शुल्कों को संबद्ध वस्तुओं की उचित कीमत के रूप में माने जाने की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे विवाद का कोई तात्पर्य नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसा उचित रूप से माना जा सकता है कि एनपीपीए ने उपयुक्त प्रतिदान के साथ कच्चे माल की उचित कीमतों को ध्यान में रखते हुए ही सूत्रीकरण की कीमत निर्धारित की होगी और न कि कच्चे माल की पाटित दरों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया होगा। सैद्धांतिक रूप से यदि पाटन-रोधी शुल्क लगाने के बाद भी कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होती है तो सूत्रीकरणों के उत्पादक, कीमतों की पुनरीक्षा करने के लिए एनपीपीए से अनुरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार कुछ उत्पादकों के लिए सूत्रीकरण पर एनपीपीए का कीमत नियंत्रण, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के लिए भारतीय बाजार में उचित कीमत नहीं देने अथवा देश में संबद्ध वस्तुओं के पाटन को बढावा देने का कोई तर्क अथवा औचित्य नहीं है। इस संबंध में विधिशास्त्र तय है। विशेष रूप से यह भी उल्लेखनीय है कि मेट्रोनिडाजोल जैसी जीवन रक्षक औषधियां भी एक दशक से अधिक अवधि से भारत में पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने को आकर्षित कर रही हैं।

(द) कुछ हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि केन्द्रीय सरकार ने पेनसिलीन जी और 6 एपीए के मामले में पाटन-रोधी शुल्क नहीं लगाए थे, यह कहना है कि इसका मौजूदा जांच से कोई संबंध नहीं है। निर्धारित प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किए जाने पर ही नियम 18 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के विशेषाधिकार की कल्पना की जाएगी । केन्द्रीय सरकार द्वारा लिया जाने वाला कोई भी निर्णय विशेष मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। वास्तव में केन्द्रीय सरकार ने मेट्रोनिडाजोल जैसी जीवन रक्षक औषधियों और सेफाड्रोक्सिल मोनोहाईड्रेट, सेफ्ट्रिएक्सोन सोडियम स्ट्रेराईल जैसी बल्क औषधियों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए थे। इस संबंध में यह भी नोट किया जा सकता है कि जबकि घरेलू उद्योग में पेन जी और 6 एपीए के लिए उनकी 31% और 12 % मांग को पूरा करने की क्षमता विद्यमान थी, फिर भी बाल फार्मा की क्षमता, 50% से भी अधिक घरेलू मांग को पूरा करने की थी और इस कंपनी को जांच अवधि के दौरान अप्रयुक्त क्षमता के साथ छोड दिया गया था। ऐसी वस्तु स्थिति होने के बावजूद इस मामले में प्राधिकारी को जिस अत्यधिक जटिल तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए वह यह है कि कम से कम चार अन्य उत्पादकों ने जो कि संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण कर रहे थे, पाटन द्वारा पैदा की गई गैर-अर्थक्षम और क्षति पहुंचाने वाली स्थिति के कारण अपना उत्पादन बंद कर दिया था । यदि ऐसे पाटन को नहीं रोका जाता है तो याचिकादाता का भाग्य भी उनसे भिन्न नहीं होगा। पाटन के कारण कुछ उत्पादकों द्वारा उत्पादन बंद करने और सामग्री की घोर क्षति होने पर भी संबद्ध वस्तुओं के एक मात्र बचे उत्पादक की ऐसी ही स्थिति होने पर आयातक/निर्यातक अब यह तर्क नहीं दे सकते हैं कि घरेलू उद्योग भारतीय मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं है और इसलिए कोई पाटन-रोधी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

21. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विविध प्रकार के विभिन्न मुद्दों में से संबद्ध मुद्दों की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है और उनका निदान किया गया है जो कि निम्नानुसार हैं :-

(क) इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी ने वर्तमान जांच करने के लिए जल्दबाजी से काम किया है और उन्होंने अनिवार्य औषध प्रयोक्ताओं और फार्मा उद्योग के समग्र हितों को तथा समग्र अंत प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा है, यह नोट किया जाता है कि जैसा कि पाटन-रोधी नियमों में अपेक्षित है, चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को उसके परिणामस्वरूप हुई क्षति को दर्शाने वाले पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या प्रमाणों के आधार पर ही वर्तमान जांच शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने जब कभी भी आवश्यकता हुई, अतिरिक्त सूचना भी मांगी थी और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच की थी। इसके अतिरिक्त ऐसी कार्रवाई शुरू करने के समय उन्होंने सभी हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच से संबद्ध मामले पर अपने अनुरोध प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया था। पाटन-रोधी जांच, तथ्यों पर आधारित है और कानून का अधिदेश है कि पाटन की मात्रा तथा उससे घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाए तथा जैसा कि भारतीय पाटन-रोधी नियमों में स्वीकार किया गया है, अंत प्रभावों को कम करने और अनिवार्य से आगे कोई और उपाय नहीं करने के निमित्त शुल्क लगाने संबंधी कम नियम लागू किए जाएं।

(ख) इस तर्क के संबंध में कि याचिकादाता समग्र भारतीय मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं है और याचिकादाता द्वारा स्थापित क्षमता भारतीय मांग का लगभग 50% है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क लगाने से भी संबद्ध देश से किसी भी तरीके से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए ये उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। उपभोक्ता फिर भी उचित बाजार कीमत पर आपूर्ति के समस्त स्रोतों का लाभ उठा सकते हैं।

इसलिए पाटन-रोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पडेगा । भारतीय नियमों अथवा विश्व व्यापार संगठन के करार में ऐसे न्यूनतम अंशदान के बारे में कोई प्रावधान निहित नहीं है, जिससे घरेलू उद्योग को देश में ऐसे उत्पाद की मांग/खपत पर अधिपत्य प्राप्त हो । प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी नियमों में उपयुक्त और पर्याप्त पाटन-रोधी उपाय लागू करने का प्रावधान है ताकि पाटन की तुलना में घरेलू उद्योग को व्यापार करने का उपयुक्त और समान वातावरण प्राप्त हो सके ।

(ग) इस तर्क के संबंध में कि दिनांक 15.06.2014 के टाईम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में डायबेटिक रोगियों की संख्या में वर्ष 1999 से वर्ष 2013 की अवधि में 123% की वृद्धि हुई है, और पाटन-रोधी शुल्कों के फलस्वरूप भारत में डायबेटिक औषधियों की कमी होगी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ग्लाईक्लाजाइड ऐसा एक मात्र आण्विक तत्व है जिसका उपयोग एंटी-डायबेटिक्स औषधियों के उत्पादन में किया जाता है तथा रिकार्ड बद्ध सूचना के अनुसार ऐसा पता चलता है कि ग्लाईक्लाजाइड आधारित औषधियां, भारत में कुल एंटी-डायबेटिक्स औषधियों का लगभग 6% है । यदि शुल्क लगाए जाते हैं तो शुल्क की सीमित मात्रा, भारतीय बाजार में ऐसे उत्पाद की उचित कीमत निर्धारित करने तक ही होगी । इस प्रकार यह तर्क कि ग्लाईक्लाजाइड पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने से डायबेटिक रोगियों की समस्त जनसंख्या प्रभावित होगी, सही नहीं है ।

(घ) इस तर्क के संबंध में कि पाटन-रोधी शुल्क लगाने से आयात महंगे हो सकते हैं तथा मांग-पूर्ति में अंतर व्याप्त होने से कीमतें बढ सकती हैं और इससे डायबेटिक रोगी प्रभावी होंगे, इसलिए पाटन-रोधी शुल्क लगाना वांछनीय नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापारिक प्रक्रियाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि देश के सामान्य हित में भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति बहाल की जा सके । पाटन-रोधी उपाय लागू करने से किसी भी तरीके से संबद्ध देश/क्षेत्र से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए इससे उपभोक्ताओं के उत्पाद की उपलब्धता भी प्रभावित नहीं होगी । यह माना जाता है कि पाटन-रोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं के उपयोग से विनिर्मित उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और उसके परिणामस्वरूप इस उत्पाद की अपेक्षाकृत प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर भी कुछ प्रभाव पड सकता है । तथापि, पाटन-रोधी उपाय करने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्द्धा कम नहीं होगी बशर्ते कि पाटन-रोधी शुल्कों को ऐसी राशि तक ही सीमित रखा जाए जिससे कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निदान हो सके । इसके विपरीत पाटन-रोधी उपाय करने से पाटन प्रक्रियाओं द्वारा अनुचित लाभ उठाए जाने की पद्धति समाप्त होगी तथा घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में आई गिरावट की रोकथाम होगी और साथ ही ये उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं में से अपनी पसंद की वस्तु का चयन करने में उनकी व्यापक उपलब्धता कराने में सहायक होंगे ।

(ङ) इस निवेदन को कि ग्लाईक्लाजाइड सूत्रीकरण एनपीपीए द्वारा नियंत्रित होता है लेकिन ग्लाईक्लाजाइड बल्क औषधी की कीमत नियंत्रित नहीं होती है तथा पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करने वाले औषध विनिर्माता प्रभावित होंगे, प्राधिकारी द्वारा द्वारा नोट कर लिया गया है । अधिसूचना के संबद्ध उद्धरण नीचे दिए गए हैं :

"नेशनल फार्मेस्यूटिकल प्राईसिंग अथोरिटी अनियंत्रित (गैर-अनुसची बद्ध) सूत्रीकरण का नियमित रूप से अनुवीक्षण करती है और जबकि आईएमएस हेल्थ से प्राप्त किए गए आंकडों में ऐसा पाया गया है कि 30 एमजी, 40 एमजी और 80 एमजी की ग्लाईक्लाजाइड गोलियों जिनका विनिर्माण संबंधित कंपनी के ब्रांड नाम नामत: मेसर्ज डा. रेड्डीज लैब, मेसर्ज इंडोको, मेसर्ज आईपीसीए लैब्स और मेसर्ज केडिला फार्मा, से किया गया है, उनकी कीमतें, मेसर्ज आईएमएस हेल्थ द्वारा अप्रैल, 2014 मास के लिए उपलब्ध कराए गए बाजार आधारित आंकडों के अनुसार 25% अतिरिक्त शुल्क सहित औषधी की सामान्य औसत कीमत की सीमा से अधिक पाई गई हैं । डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के अंतर्गत गैर-अनुसूचीबद्ध सूत्रीकरण की कीमत निर्धारण के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद एनपीपीए द्वारा जार किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार जैसा कि नीचे तालिका में विनिश्चित किया गया है, उपरोक्त कंपनी (कंपनियों) द्वारा विनिर्मित/विपणन किए गए ऐसे सूत्रीकरण की कीमतें इतनी अनुचित और जनहित विरूद्ध थीं कि इनके बिना किसी पर्याप्त औचित्य के उपभोक्ताओं पर अनुचित प्रभाव पडा है ।

इसलिए भारत सरकार में रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 30 मई, 2013 की अधिसूचना एसओ संख्या 1394 (ई) के अंतर्गत औषधी (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 19 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उसके बाद नेशनल फार्मेस्यूटिकल प्राईसिंग अथोरिटी के इस तथ्य पर संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित के लिए जरूरी है, सरकार एतद्वारा, मेसर्ज पेनेसिया बायोटेक, मेसर्ज डा. रेड्डीज लैब, मेसर्ज इंडोको, मेसर्ज आईपीसीए लैब्स और मेसर्ज केडिला फार्मा, जैसा भी लागू होता है, के ब्रांड नाम से विनिर्मित/बाजार में बेची गई निम्नलिखित सूत्रीकरण की अधिकतम कीमतें उनके उत्पाद शुल्क और स्थानीय करों सहित अधिसूचित करती है"।

(च) यह नोट किया जाता है कि डीपीसीए ने केवल कुछ औषध विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित ग्लाईक्लाजाइड गोलियों के लिए ही कीमत नियंत्रण किया और यह देश व्यापी उपाय नहीं है। ऐसे उपाय के लिए एनपीपीए द्वारा अधिसूचित किया गया कारण उपभोक्ताओं पर पडने वाले अनुचित प्रभाव को दूर करना तथा मेसर्ज पेनेसिया बायोटेक, मेसर्ज डा. रेड्डीज लैब, मेसर्ज इंडोको, मेसर्ज आईपीसीए लैब्स और मेसर्ज केडिला फार्मा के बांड नाम से विनिर्मित/बाजार में बेची गई ग्लाईक्लाजाइड गोलियों के लिए अधिकतम फुटकर कीमत का निर्धारण करना था ताकि इन उत्पादकों द्वारा प्रभारित अनुचित कीमत को रोका जा सके। ऐसा जन हित के लिए किया गया था। कुछेक विनिर्माताओं द्वारा ग्लाईक्लाजाइड आधारित विनिर्मित औषधियों पर डीपीसीओद्वारा लागू किया गया कीमत नियंत्रण का पाटन-रोधी नियमों के प्रचालन पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। इसके अतिरिक्त पाटन-रोधी शुल्कों का सीमित उद्देश्य पाटन को रोकना और उससे होने वाली क्षति को दूर करना है ताकि भारत में उचित बाजार स्थिति बहाल की जा सके।

(छ) इस तर्क के संबंध में कि केन्द्रीय सरकार ने पेंसलीन जी और 6 एपीए जो कि एक बल्क औषधी थी, के मामले में कोई पाटन-रोधी शुल्क नहीं लगाया था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी जांच में निर्धारित प्राधिकारी की भूमिका सिफारिश करने की प्रकृति की होती है और शुल्क लगाने अथवा नहीं लगाने का केन्द्रीय सरकार का निर्णय उसके विवेक का मामला होता है जो कि निर्धारित प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार प्रत्येक मामले में तथ्यों पर आधारित होता है। जबकि यह स्पष्ट होता है कि मौजूदा मामले के तथ्य, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए मामले से भिन्न हैं, यह भी नोट किया जाता है कि उक्त मामले, निर्धारित प्राधिकारी के लिए ऐसे पूर्वनिर्णय नहीं होते हैं, जिनके आधार पर वे शुल्कों की सिफारिश करने के लिए विशेष तरीके से कार्रवाई करें।

(ज) इस विवाद के संबंध में कि संबद्ध वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क लगाना, ब्रांड की/जननिक औषधियों की कम कीमत निर्धारित करने संबंधी सरकार की नीति के विरूद्ध होगा, यह नोट किया जाता है कि पाटन-रोधी शुल्क लगाने से उपयुक्त और पर्याप्त पाटन—रोधी उपाय किए जा सकेंगे ताकि पाटन की तुलना में घरेलू उद्योग को उचित और समान बाजार क्षेत्र प्रदान किया जा सके।

(झ) इस विवाद के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन पत्र के साथ आईबीआईएस से उसे प्राप्त हुए कच्चे/मूल आयात के आंकडों की हार्ड कापी और एक्सिल में सॉफ्ट कापी प्रदान नहीं की है और न ही उसने ऐसी सूचना दी है कि उसे निर्धारित प्राधिकारी को सौंप दिया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिका के सीवी और एनसी दोनों वृतान्त में संबद्ध देश और अन्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात के बारे में कारोबार-वार सूचना निहित है। निदेशालय द्वारा बना कर रखी गई जनता की फाईल में हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई समस्त संबद्ध सूचना विद्यमान है और किसी भी समय इनकी जांच की जा सकती है।

(ञ) संस्थापित क्षमता में किसी भी प्रकार की समान वृद्धि किए बिना अचल परिसम्पतियों की कीमत में वृद्धि होने के संबंध में निर्यातक द्वारा उठाए गए मुद्दे के संबंध में यह देखा गया है कि अचल परिसम्पतियों में संवर्धन उपस्करों के प्रतिस्थापन के लिए किया गया है जिसके फलस्वरूप क्षमता में कोई संवर्धन नहीं हुआ है। इस पहलु को ध्यान में रख कर ही एनआईपी तय की गई है ।

(ट) नियोजित पूंजी पर प्रतिदान के विषयक निर्यातक के तर्क के संबंध में यह निवेदन किया जाता है कि पाटन-रोधी जांच में एनआईपी का निर्धारण पाटन-रोधी नियमों के अनुबंध – 3 के अनुसार किया जाता है और इनमें नियोजित पूंजी पर भी उपयुक्त प्रतिदान की व्यवस्था निहित है। प्राधिकारी एनआईपी का निर्धारण करते समय सुसंगत पद्धति के अनुरूप नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिदान की अनुमति दे रहे हैं। निर्यातक द्वारा उठाए गए सीईएसटीएटी के मामले के संबंध में यह निवेदन किया जाता है कि उक्त मामले के तथ्य, मौजूदा मामले से भिन्न हैं और न ही न्यायाल्य का कोई ऐसा निर्णय विद्यमान है जो कि प्राधिकारी को मौजूदा मामले में एनआईपी का निर्धारण करते समय उचित प्रतिदान पर सुसंगत पद्धति को अपनाने से निषिद्ध करता हो। इसके अतिरिक्त ईसी की पद्धति भारतीय प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं है और क्या उपयुक्त है, यही उसकी सुसंगत पद्धति है।

पाटन का मूल्यांकन – कार्यप्रणाली और प्राचल

(च) बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

(क) बाजार अर्थव्यवस्था का विवेचन

22. यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. से शानडोंग केयुआन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटिड और झेजियांग मेडिसिंस एंड हेल्थ प्रॉडक्टस् इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटिड ने वर्तमान जांच शुरू होने पर ई.क्यू. के प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर प्राधिकारी को उत्तर दे दिए हैं। साथ ही यह भी नोट किया जाता है कि प्रत्युत्तर देने वाले चीन जन. गण. के इन दोनों उत्पादकों/निर्यातकों ने एमईटी प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं ताकि पाटन-रोधी नियमों के अनुबंध-1 के पैरा 8 (2) में किए गए प्रावधान के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश की आवधारणा का खण्डन किया जा सके।

प्रतिपक्षी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

23. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

(i) आवेदक द्वारा सुझाए गए आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह प्रोद्योगिकी, कच्चे माल की खपत के पेटर्न और संयंत्र की क्षमता पर निर्भर करता है।

(ii) पाटन मार्जिन का परिकलन करने की विधि सही नहीं है और यह भ्रामक है क्योंकि स्थिति और संयंत्र की दशाएं भिन्न हैं। इन पहलुओं पर न्यूनतम प्रकटन भी नहीं किया गया है।

(iii) याचिकादाता ने निबल निर्यात कीमत ओर पहुंच मूल्य का निर्धारण गल्त किया है। सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत पाटन मार्जिन आदि का निर्धारण करने के कोई प्रत्यक्ष प्रमाण आदि प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

24. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

(i) चीन जन. गण. को मौजूदा जांच के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना जाना चाहिए और चीन के उत्पादकों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटन-रोधी नियमों के अनुबंध-1 के पैरा 7 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार किया जाना चाहिए।

(ii) विभिन्न पाटन-रोधी जांच के एक भाग के रूप में चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मान कर भारतीय प्राधिकारी और ईयू, यूएसए, आस्ट्रेलिया आदि जैसे अन्य देशों ने हाल ही में सम्पूर्ण हुई जांच सहित अनेक जांच में चीन के उत्पादकों को एमईटी के दर्जे से वंचित रखा गया है।

(iii) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक द्वारा एमईटी की सभी शर्तें पूरी करने पर ही दिया जा सकता है और न कि अन्यथा। इस प्रकार बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने के लिए पाटन-रोधी नियमों के अनुबंध-1 के पैरा 8 (3) में निर्दिष्ट अपेक्षाओं को सुव्यवस्थित ढंग से पूरा किया जाना आवश्यक है।

(iv) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा ऐसी स्थिति में नहीं दिया जा सकता है जहां एक प्रमुख स्टेकहोल्डर राज्य के स्वामित्वाधीन/नियंत्रणाधीन सत्व हो। बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि चीन के प्रतिवादी निर्यातक नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रत्येक प्राचल के परीक्षण में सफल नहीं हो जाते हैं।

(v) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि चीन जन. गण. के प्रतिवादी निर्यातक इसकी पुष्टि नहीं कर देते कि प्रमुख निविष्टियों की कीमतें, पर्याप्त रूप से बाजार मूल्यों को प्रतिबिम्बित करती हैं। "बाजार मूल्यों को पर्याप्त रूप से प्रतिबिम्बित करने" की अभिव्यक्ति को व्यापक रूप से ऐसा माना जाता है कि इन निविष्टियों की कीमतें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित कीमतों के समान होनी चाहिए। तथ्य यह है कि ऐसी कीमतें चीन में प्रचलित कीमत के तुलनीय हैं, अत्यधिक अपर्याप्त हैं।

(vi) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि चीन जन. गण. के प्रतिवादी निर्यातक इसकी पुष्टि नहीं कर देते कि उनके बही-खातों की लेखा परीक्षा, अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानकों (आईएएस) के अनुसार की जाती है। ऐसी स्थिति में बाजार अर्थव्यवस्था के निरूपण को अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए जहां चीन के निर्यातक इसकी पुष्टि करने में असमर्थ हों कि उनके बही-खाते, अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानकों (आईएएस) के समनुरूप हैं।

(vii) इसकी जिम्मेदारी चीन के निर्यातकों की है कि वे इसकी पुष्टि करें कि वे पाटन-रोधी नियमों में उल्लिखित सभी शर्तों को संतोषजनक ढंग से पूरी करने के बाद बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रचालन कर रहें हैं।

(viii) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि प्रतिवादी कंपनी और उसका समस्त समूह इसका दावा नहीं करते हैं। यदि एक समूह के भाग स्वरूप एक कंपनी अथवा अधिक कंपनियों ने प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है तो उसे इस तथ्य की ओर ध्यान दिए बिना कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन या उसकी बिक्री के कार्य में लगे समूह की अन्य कंपनियों ने उत्तर प्रस्तुत कर दिए हैं, बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए।

(ix) ऐसी स्थिति में जहां मौजूदा शेयरधारकों ने अपनी उत्पादन क्षमताएं स्वयं स्थापित नहीं की हैं, लेकिन उन्हें किसी अन्य पक्षकार से अधिग्रहीत किया हुआ है, उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि ऐसे परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी नहीं हो जाती है और दस्तावेजी प्रमाणों के साथ उसकी पूर्णतया संपुष्टि नहीं हो जाती है।

(x) मौजूदा जांच में सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों ने एमईटी की प्रश्नावली के अनुसार समस्त संबद्ध सूचना प्रस्तुत करके एनएमई के दर्जे की अवधारणा का खंडन नहीं किया है। चीन जन. गण. को केवल इस अकेले तथ्य के आधार पर ही गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना जाना चाहिए।

(xi) शानडोंग केयुआन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटिड द्वारा प्रस्तुत किया गया ई.क्यू. का प्रत्युत्तर अपूर्ण प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि प्राधिकारी के समक्ष सामग्री संबंधी कुछ तथ्यों का प्रकटन नहीं किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार इस निर्यातक के प्रमुख शेयर धारक, शानडोंग लिनाओकेफेंग फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटिड और लिन्यो ग्रुप कंपनी लिमिटिड हैं। सूचना से यह भी पता चलता है कि लिन्यो ग्रुप मुख्य धारक कंपनी/समूह है तथा शानडोंग केयुआन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटिड और शानडोंग लिनाओकेफेंग फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटिड, लिन्यो ग्रुप के भाग हैं। तथापि, निर्यातक द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उसके शेयर धारक/उससे संबंधित कंपनियां संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन अथवा बिक्री का कार्य नहीं कर रहे/रही हैं। इसके विपरीत उपलब्ध सूचना से ऐसा पता चलता है कि शानडोंग लिनाओकेफेंग फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटिड चीन जन. गण. में ग्लाईक्लाजाइड के उत्पादन का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली कंपनी थी। ऐसी सूचना का अप्रकटन तथा उक्त कंपनी के भाग नहीं लेने का सामग्री संबंधी प्रभाव, प्रतिवादी निर्यातक के लिए पृथक विशिष्ट मार्जिन के किसी भी प्रकार का कोई निर्धारण करने पर पडता है। ई.क्यू. के प्रत्युत्तर भी यह दर्शाते हैं कि शानडोंग लिनाओकेफेंग फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटिड प्रतिवादी निर्यातक से कच्चे माल के रूप में ग्लाईक्लाजाइड की खरीद करती है। शानडोंग लिनाओकेफेंग फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटिड द्वारा उत्पादन के बारे में अप्रकटन भी इस कंपनी के इस निवेदन पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है कि इस कंपनी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है। इस प्रकार शानडोंग लिनाओकेफेंग फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटिड को पृथक विशिष्ट मार्जिन स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

(xii) शानडोंग लिनाओकेफेंग फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटिड ने अपने प्रत्युत्तर में अत्यधिक गोपनीयता रखी है और ऐसी मूल सूचना को, जिसका प्रकटन किया जाना चाहिए था जैसे कि शेयर धारक के नाम, बिना किसी औचित्य के गुप्त रखा है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्यातक के ई.क्यू. के प्रत्युत्तर की कडी जांच की जाए तथा डीजी प्रणालियों/सीमा शुल्क से तत्संबंधी सूचना प्राप्त की जाए ताकि इस निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातोंकी वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। जब तक प्राधिकारी द्वारा तथ्यपरक स्थिति का मूल्यांकन नहीं कर लिया जाता है तब तक इस निर्यातक को पृथक विशिष्ट मार्जिन स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से संबंधित प्रावधान

25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि "बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण" के बारे में पाटन-रोधी नियमों के **अनुबंध –1** में निर्धारित संबद्ध प्रावधान निम्नानुसार हैं :-

"8(1)"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ कि देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धांतों का लागू नहीं करने वाले के रूप में मानते हैं जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं की बिक्रियां उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।"

(2) यह कहना पूर्वानुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यू.टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निधार्रित अथवा माना गया है, एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है।

तथापि, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या :-

(क) ऐसे देश में कच्ची सामग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों,लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य के हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती हैं।

(ख) ऐसे फर्मों की उत्पादन लागतें तथा वित्तीय स्थिति विशेष रूप से परिसंपत्तियों के ह्रास, अन्य अन्य बट्टे खातों, वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए भुगतान की दृष्टि से पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था से प्राप्त निर्यात विकृतियों के अधीन हैं।

(ग) ऐसी फर्म दिवालिया तथा संपत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है, और

(घ) विनिमय दर परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं :

तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसे अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धांतों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।

{(4) उप पैरा (2) में कुछ भी निहित होते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में ऐसे देश को माना जा सकता है जो संगत मानदंडों के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन जिसमें उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंड शामिल हैं, के आधार पर एक सरकारी दस्तावेज में इस प्रकार से मूल्यांकन के प्रकाशन द्वारा किसी देश, जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजन से बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है अथवा मानने के लिए निर्धारित किया गया है।}"

प्राधिकारी द्वारा जांच

26. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विगत कई वर्षों में चीन जन. गण. को भारत और अन्य डब्ल्यू टी ओ सदस्यों द्वारा पाटन रोधी जांच में एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में माना गया है। चीन जन. गण. को इस नियमावली के संबंध में निर्यातक देश अथवा अलग अलग निर्यातकों द्वारा अनुमान के खंडन के अध्यधीन एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में माना गया है।

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/ निर्यातकों जिन्होंने वर्तमान जांच में प्राधिकारी के पत्र का उत्तर दिया है, में से किसी ने इस प्राधिकारी द्वारा जारी की गई जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना के फलस्वरूप बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की है।

28. यह भी नोट किया जाता है कि उत्तर देने वाले उत्पादक/ निर्यातक नामत: शांडॉग केयूवान फर्मास्टिकल कं. लिमि. और जियांग जियूझोउ फर्मास्टिकल कं. लिमि., चीन जन. गण. ने एम ई टी प्रश्नावली के अनुसार सभी संगत सूचना दायर कर एम ई टी का दर्जा प्राप्त करने का दावा नहीं किया है अथवा गैर बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंडन करने का प्रयास किया है। यह दर्शाता है कि चीन जन. गण. के प्रतिष्ठान से प्राधिकारी जो यह सिद्ध करते हैं कि इस प्रकार का देश अनुबंध I के पैरा 8 के उप पैरा (3) में निर्दिष्ट

मानदण्डों के आधार पर एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था देश नहीं है, को सूचना एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर इस प्रकार के अनुमान का खंडन नहीं कर सकता है।

29. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी इसे उपयुक्त पाते हैं कि वह उत्तर देने वाले इन उत्पादकों/ निर्यातकों अर्थात शांडॉग केयूवान फर्मास्टिकल कं. लिमि., चीन जन. गण. और जियांग जियूझोउ फर्मास्टिकल कं. लिमि., चीन जन. गण. तथा वर्तमान जांच में चीन जन. गण. के अन्य सभी उत्पादकों/ निर्यातकों को भी एम ई टी का दर्जा नहीं प्रदान करें।

ख) <u>सामान्य मूल्य का निर्धारण</u>

<u>विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध</u>

30. इस आवेदन में चीन जन. गण. के विरुद्ध पाटनरोधी जांच शुरू करने का औचित्य सिद्ध करने के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त संगत सूचना नहीं है।

31. याचिकाकर्ता ने निवल निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य का निर्धारण सही ढंग से नहीं किया है और सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन आदि के निर्धारण के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

32. चीन जन. गण. के जियांग जियूझोउ फर्मास्टिकल कं. लिमि. द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं अर्थात ग्लिकलेजाइड का निर्माण भारतीय फार्माकोपिया (आई पी), ब्रिटिश फार्माकोपिया (बी पी) और युरोपियन फार्माकोपिया (ई पी) के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है। निर्माण संबंधी मानदंड आई पी/ बी पी की तुलना में ई पी के लिए बहुत कठोर है। आई पी/ बी पी श्रेणियों में बहुत अधिक अंतर नहीं है और इस कारण से दोनों श्रेणियों को एक श्रेणी के अंतर्गत लिया जा सकता है। ई पी के अपेक्षाकृत कठोर मानदंडों के साथ, उत्पादन की ई पी श्रेणी लागत आई पी/ बी पी श्रेणियों की तुलना में बहुत अधिक है और इस प्रकार से ई पी श्रेणी को अपेक्षाकृत अधिक कीमत पर बेचा जाता है। उन्होंने भारतीय पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 6 के साथ पठित नियम 10 और डब्ल्यू टी ओ ए डी ए के अनुच्छेद 2.4 के प्रावधानों के अनुसार पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए ग्लिकलेजाइड की श्रेणियों के दो समूहों अर्थात ई पी और आई पी/ बी पी के लिए अलग अलग उचित तुलना करने के लिए अनुरोध किया है।

<u>घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध</u>

33. सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाये गये कुछ तर्कों के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि आवेदक ने पाटन रोधी नियमावली में उल्लिखित और इस नियमावली के अनुबंध से संगत उपलब्ध सूचना और अनुमेय पद्धतियों के अनुसार सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन प्रस्तुत किया है। ऐसी गणना का ब्यौरा एन सी वी आवेदन में दिया गया है जो विस्तृत और और जिसमें सभी आवश्यक विशिष्ट बातों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से हितबद्ध पक्षकारों की आशंकाओं और तर्कों का कोई आधार नहीं है।

34. निर्यातक का यह तर्क कि विचाराधीन उत्पाद को आई पी/ बी पी श्रेणियों तथा ई पी श्रेणियों में वर्गीकृत कर एक उचित तुलना की जानी चाहिए, में कोई दम नहीं है। निर्यातक पहली बार इस संबंध में कुछ अपुष्ट दावे कर रहे हैं जबकि स्वयं ई क्यू आर में निर्यातक ने यह माना है कि "संबंधित उत्पाद का केवल एक प्रकार है"। ई क्यू आर में सूचना भी इस आधार पर दी गई है और श्रेणियों के बारे में कोई भी दावा निर्यातक द्वारा नहीं किया गया है। वास्तव में इस लिखित अनुरोध के माध्यम से निर्यातक के कुछ दावे स्वयं ई क्यू उत्तर की सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं क्योंकि इस निर्यातक द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट 8क और 8ख ऐसी श्रेणियों के बीच कोई अंतर नहीं करता है और उक्त परिशिष्ट दी गई परिभाषा के अनुसार ग्लिकलेजाइड अथवा विचाराधीन उत्पादन के लिए दिया गया था। केवल इसी को देखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि निर्यातक का प्रयास इस प्राधिकारी के मन में संदेह पैदा करने के लिए है और वह नए और अपुष्ट तर्कों को शामिल कर इस जांच में विलंब करने का प्रयास कर रहे हैं। रूचि का विषय यह है कि निर्यातक ने इस तर्क का दावा अथवा उसकी पुष्टि नहीं की है कि ई पी श्रेणी की लागत इसके पूर्व के अनुरोध में से किसी में आई पी/ बी पी श्रेणी की तुलना में बहुत अधिक है और केवल यह विवरण प्राधिकारी को भ्रमित करने के लिए दिया गया है। निर्यातक के अपने आप में किए गए दावे के अनुसार, आई पी/ बी पी और ई पी के बीच एकमात्र अंतर शुद्धता की जांच की शर्तों में से एक शर्त के संबंध में है और अन्य सभी शेष बातें उनके लिखित अनुरोध के अनुबंध I के अनुसार वैसी ही हैं। हमारा यह विनम्र अनुरोध है कि जब तक निर्यातक आई पी/ बी पी श्रेणी की तुलना में ई पी श्रेणी लागत और कीमत में 'बहुत अधिक' अंतरों को स्थापित नहीं करता है, इस

प्राधिकारी को इस तर्क पर बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए। जहां तक याचिकाकर्ता का प्रश्न है, याचिकाकर्ता इन सभी तीन श्रेणियों का निर्माण और आपूर्ति कर रहे हैं और भारत में आयात के मामले में भी वही स्थिति है। इस प्रकार से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के साथ विचाराधीन उत्पाद जो ग्लिकलेजाइड है की तुलना एक औसत स्तर पर जांच प्रारंभ करने संबंधी अधिसूचना में दी गई परिभाषा के अनुसार सर्वोत्तम तुलना है और विचाराधीन उत्पादन को आई पी/ बी पी और ई पी श्रेणियों में वर्गीकृत कर लागत और कीमत की तुलना किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक इसे निर्यातक द्वारा इस प्राधिकारी द्वारा समग्र दावे को अव्यवहारिक और निरस्त किए जाने योग्य करने के लिए प्राधिकारी के समक्ष लाया जाता है।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

35. इस आवेदन में चीन जन. गण. के विरुद्ध पाटन रोधी जांच शुरू करने के औचित्य को सिद्ध करने के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त संगत सूचना नहीं दी गई थी। इसके अलावा, पाटन रोधी नियमावली और उससे संबंधित संगत अनुबंध के अनुसार इस अंतिम जांच परिणाम विवरण के प्रयोजन से सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने का आधार इस अंतिम जांच परिणाम विवरण में उपयुक्त स्थानों पर विस्तृत रूप में किया गया है और वह अपने आप में व्याख्यात्मक है।

36. निवल निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य के निर्धारण के संबंध, प्राधिकारी ने इस नियमावली में यथानिर्धारित नियमित प्रक्रिया का पालन किया है।

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. के किसी भी उत्पादकों/ निर्यातकों को इस नियमावली के अनुबंध I के पैरा 6 के संबंध में चीन जन. गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति के अंतर्गत कार्य करता हुआ पाया गया है। इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी चीन के उत्पादकों/ निर्यातकों पर नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8 लागू करने की स्थिति में नहीं है और प्राधिकारी को इस नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करनी है।

38. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- I के पैरा-7 में उपबंध है कि:

> *"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्वित रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।"*

39. इन नियमावलियों के अनुसार, चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित में किसी भी आधार पर किया जा सकता है :

(क) एक बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश में कीमत के आधार पर, अथवा

(ख) एक बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश में निर्धारित मूल अथवा

(ग) भारत सहित अन्य देशों को इस प्रकार के एक तृतीय देश से कीमत

(घ) यदि सामान्य मूल्य का निर्धारण उपर्युक्त विकल्पों के आधार पर किया जा सकता है, निर्दिष्ट प्राधिकारी उचित लाभ का मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तविक रूप से प्रदत्त अथवा भुगतान किए जाने योग्य कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं।

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि तृतीय देश की लागत और कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, घरेलू बिक्री अथवा तृतीय देश के निर्यात बिक्री तथा तृतीय देश में इस प्रकार के उत्पादकों के उत्पादन की लागत और सहयोग के संबंध में पूर्ण और विस्तृत आंकड़े अपेक्षित हैं। इन बाजारों में प्रचलित कीमतों और लागतों के संबंध में ऐसी कोई सूचना न तो आवेदक अथवा उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा दी गई और न तो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कोई सूचना प्राप्त की जा सकती है और न ही उत्तर देने वाले चीन की कंपनियों ने एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश के संबंध में कोई दावा किया है। उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी किसी अन्य उचित आधार पर आधारित सामान्य मूल्य तय करने की कार्यवाही करते हैं।

41. प्राधिकारी पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध । के पैरा 7 के दूसरे परंतुक के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की कार्यवाही करते हैं। तद्नुसार इस नियमावली के अनुबंध । के पैरा 7 के संबंध में प्राधिकारी ने निम्नलिखित आधार पर चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य तय किया है -

(क) कच्चा माल तथा एन अमीनो और पी टी एस यूरिया की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार किया गया है।

(ख) कच्चे मालों के उपभोग और उनकी परितर्वन लागतों को घरेलू उद्योग के सबसे सक्षम उत्पादक की सूचना/ आंकड़ों के आधार पर अपनाया गया है।

(ग) बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक लागतों को घरेलू उद्योग के सबसे सक्षम उत्पादक के सूचना/ आंकड़ों के आधार पर लिया गया है।

(घ) ब्याज सहित एक्स फैक्ट्री लागत का 5 प्रतिशत की दर से लाभ को लिया गया है।

इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

42. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के साथ विचाराधीन उत्पाद के साथ आयातित वस्तुओं जो ग्लिकलेजाइड है की तुलना एक औसत स्तर पर जांच प्रारंभ करने संबंधी अधिसूचना में दी गई परिभाषा के अनुसार सर्वोत्तम तुलना है और विचाराधीन उत्पादन को आई पी/ बी पी और ई पी श्रेणियों में जैसा कि निर्यातक द्वारा कहा गया है, वर्गीकृत कर लागत और कीमत की तुलना किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। विश्लेषण और तुलना के लिए विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न आई पी/ बी पी/ ई पी श्रेणियों में वर्गीकृत करने का अनुरोध इस प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जाता है।

(ग) <u>निर्यात मूल्य का निर्धारण</u>

<u>शांडॉग केयूवान फार्मासिटिकल कं. लिमि., चीन जन. गण.</u>

43. ई क्यू आर में, शांडॉग केयूवान फार्मासिटिकल कं. लिमि. चीन जन. गण. ने भारत में किए गए निर्यात का ब्यौरा दिया है। प्राधिकारी ने एक्स फैक्ट्री स्तर पर निवल निर्यात कीमत तय करने के उद्देश्य से निर्यातक द्वारा उनके ई क्यू उत्तर में किए गए दावे के अनुसार समायोजन किया। कीमत का समायोजन निर्यातक और संबंधित उत्पादकों द्वारा दायर किए गए प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय भाड़ा, बीमा, निकासी शुल्क, ऋण लागतों, बैंक प्रभारों तथा वैट आदि के आधार पर किया गया है। स्वीकार्य समायोजन करने के बाद प्राधिकारी ने निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में यथा उल्लिखित भारित औसत निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

<u>जियांग जियूयोउ फार्मासिटिकल कं. लिमि., चीन जन. गण.</u>

44. ई क्यू आर में, जियांग जियूयोउ फार्मासिटिकल कं. लिमि. चीन जन. गण. ने भारत में किए गए निर्यात का ब्यौरा दिया है। प्राधिकारी ने एक्स फैक्ट्री स्तर पर निवल निर्यात कीमत तय करने के उद्देश्य से निर्यातक द्वारा उनके ई क्यू उत्तर में किए गए दावे के अनुसार समायोजन किया। कीमत का समायोजन निर्यातक और संबंधित उत्पादकों द्वारा दायर किए गए प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय भाड़ा, बीमा, क्लियरिंग शुल्क, ऋण लागतों, कमीशन, बैंक प्रभारों तथा वैट आदि के आधार पर किया गया है। स्वीकार्य समायोजन करने के बाद प्राधिकारी ने निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में यथा उल्लिखित भारित औसत निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

चीन जन. गण. के अन्य सभी उत्पादक/ निर्यातक

45. चीन जन. गण. के असहयोगी उत्पादको/ निर्यातकों के संबंध में, प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6 (8) के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार उनकी निवल निर्यात की कीमत का निर्धारण किया है। तद्नुसार, चीन जन. गण. के असहयोगी निर्यातकों के संबंध में इस प्रकार से निर्धारित निवल निर्यात निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में किए गए उल्लेख के अनुसार दर्शाया गया है।

(घ) पाटन मार्जिन का निर्धारण

46. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर, चीन जन. गण. के सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों तथा अन्य के लिए पाटन मार्जिन नीचे दिया गया है :

विवरण	सामान्य मूल्य अमरीकी डॉलर/ कि.ग्रा.	निर्यात कीमत अमरीकी डॉलर/ कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन अमरीकी डॉलर/ कि.ग्रा.	पाटन मार्जिन %	रेंज
शांडॉग केयूवान फार्मासिटिकल क. लिमि.	***	***	***	***	45-55
जियांग जियूयोउ फार्मासिटिकल कं. लिमि.	***	***	***	***	45-55
अन्य सभी उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	70-80

छ. क्षति का निर्धारण और कारणात्मक संबंध

क्षति का निर्धारण और क्षति की जांच तथा कारणात्मक संबंध के लिए पद्धति

क्षति का निर्धारण

विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

47. उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों क्षति के संबंध में किया गया अनुरोध निम्नलिखित है :

(क) घरेलू उद्योग की समस्याएं किसी नए ड्रग को प्रारंभ में शुरू से जुड़ी हुई है और घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन का निपटान अभी किया जाना है। इस प्रकार से वर्तमान मामले में पाटन रोधी शुल्कों को लगाये जाने का कारण नहीं दिखता है।

(ख) वर्तमान मामले में कीमत में कोई कटौती नहीं हुई, आयात स्थिर है और वर्तमान मामले में कारणात्मक संबंध मौजूद नहीं है। आयात की कीमत कम हुई है और घरेलू निर्यात में वृद्धि हुई है।

(ग) अनेक संयंत्रों पर लागत और खर्च तथा आवटन के आधार का उचित रूप से अध्ययन किया जाना आवश्यक है।

(घ) संबद्ध वस्तुओं का भारतीय उत्पादकों के साथ आपूर्ति से संबंधित समस्याएं हैं और उपभोक्ता किफायती लागत पर चीन से आयात करने की ओर देखते हैं।

(ङ) भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है जिससे आयात करना पड़ा।

(च) घरेलू उद्योग को क्षति वास्तविक नहीं है। निम्न घरेलू बिक्री घरेलू उद्योग के निर्यात के कारण हुई है।

(छ) घरेलू उद्योग को मात्रा के मामले में कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि ऐसा माना गया है कि इसका उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, कर्मचारियों की संख्या आदि सभी ने क्षति की जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक सुधार दर्शाया है।

(ज) यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की कुल बिक्री उनके उत्पादन से अधिक हुई है, जो यह दर्शाता है कि जांच की अवधि में उनके माल भंडार में गिरावट आई है और इसलिए माल भंडार के संबंध में भी घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

(झ) घरेलू उद्योग ने यह अनुमान लगाया है कि कीमत में कटौती, कीमत पर दबाव आदि जैसे विभिन्न मानदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की कीमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यह अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान जांच कीमत में सकारात्मक कटौती पहुंच मूल्य के गलत निर्धारण के फलस्वरूप हुई है। जैसे ही पहुंच मूल्य का निर्धारण सही ढंग से कर दिया जायेगा तब कीमत में कोई कटौती नहीं होगी।

(ञ) कीमत पर दबाव के संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि चीन से कथित पाटित आयातों से उनका संबंध काल्पनिक है और न कि वास्तविक।

(ट) यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग का एन एफ ए में क्षति की जांच की अवधि में 300 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। हालांकि, मजे की बात यह है कि घरेलू उद्योग की संबद्ध वस्तुओं की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ठ) यह भी देखा जा सकता है कि एन एफ ए में इस प्रकार की बहुत अधिक वृद्धि के परिणामी प्रभाव के फलस्वरूप क्षति की जांच की अवधि में ह्रास लागत में 235 प्रतिशत और ब्याज लागत में 174 प्रतिशत की बहुत अधिक वृद्धि हुई है। एन एफ ए में निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप भी कंपनी द्वारा कर्मचारियों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और वेतन बिल भी 53 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है।

(ड) घरेलू उद्योग में लागत में वृद्धि एन एफ ए में वृद्धि करने के लिए इसके अपने व्यापार संबंधी निर्णयों का परिणाम है और न कि कथित पाटन सहित कोई बाह्य कारणों से ऐसा हुआ है। अत: घरेलू उद्योग का यह दावा कि संबद्ध देश से आयात के कारण इनकी लागतों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने की अनुमति नहीं मिली है, इस मामले के तथ्यों और स्थिति के अंतर्गत उचित नहीं है। बल्कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें घरेलू उद्योग को अपने कारणों से क्षति हुई है।

(ढ) घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटित आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। घरेलू कीमतें और आयात कीमतें अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रही हैं। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आयात की कीमतों का घरेलू कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ण) यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री में बहुत अधिक गिरावट आई है क्योंकि वह 2011-12 में 35327 मी. ट. की इसकी अधिकतम बिक्री से कम होकर जांच की अवधि में 22620 मी. ट. हो गई है। इस प्रकार से घरेलू उद्योग ने अपने आयातों में कटौती के कारण मजबूरी में अपनी कीमतों में बहुत अधिक कटौती की है और न कि आयात कीमतों में गिरावट, जो कि मामूली हैं के कारण।

(त) प्राधिकारी इस बात पर विचार करने में असफल रहे हैं कि आवेदक द्वारा दिए गए आंकड़ों में वास्तविक अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा आयातों तथा अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा आयातों के बजाय व्यापारियों द्वारा किए गए आयात शामिल हैं, जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

(थ) यह घरेलू कीमत है जो आयात की कीमत को शासित करती है। आयातक घरेलू उद्योग की कीमत की प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं थे।

(द) याचिकाकर्ता एक मात्र उत्पादक है और यह एकाधिकारवादी लाभ अर्जित करता है और लाभ को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार के आयात को रोकना चाहता है।

(ध) उस कीमत पर कम मूल्य पर बिक्री नहीं हुई है जिस पर याचिकाकर्ता ने किसी खास अंतिम प्रयोक्ता आपूर्ति की है और किसी खास अवधि में इस याचिकाकर्ता की औसत बिक्री कीमत एक गलत कीमत प्रभाव को दर्शायेगा।

(न) कारणों में संभावित गिरावट की जांच नहीं की गई है।

(प) ब्याज और ह्रास की लागत में अन्यायोचित वृद्धि हुई है। ये याचिकाकर्ता को क्षति के मुख्य कारण हैं।

(फ) यह कीमत प्रतिस्पर्धा है जिसकी शुरुआत स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा की गई है जो कथित कीमत क्षति के प्रमुख कारण हैं और न कि संबद्ध आयात।

(ब) याचिकाकर्ता और संबद्ध आयातों के लाभ में कमी मौजूद नहीं है। चीन जन. गण. से आयात 14 प्रतिशत तक पहुंच मूल्य में वृद्धि के साथ स्थिर रही है और याचिकाकर्ता ने 4 प्रतिशत तक अपनी कीमत बढ़ा दी है। इससे इसकी कीमतें और अधिक बढ़ सकती थीं।

(भ) वर्तमान आवेदन के तथ्य ये दर्शाते हैं कि क्षति रहित कीमत (एन आई पी) का गलत निर्धारण हुआ है।

<u>घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध</u>

48. घरेलू उद्योग द्वारा संक्षिप्त में किए गए क्षति से संबंधित अनुरोध निम्नलिखित हैं:

(क) विभिन्न आर्थिक मानदंडों का वस्तुपरक और सुव्यवस्थित मूल्यांकन स्पष्ट रूप से दर्शायेगा कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को बहुत अधिक क्षति हुई है।

(ख) घरेलू उद्योग को चीन जन. गण. के उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा अपनाए गए आक्रामक पाटन के कारण भारी वित्तीय हानि का सामना करना पड़ा है।

(ग) यद्यपि उत्पादन की मात्रा और क्षमता का उपयोग जैसे कुछ क्षति मानदंडों की प्रवृत्ति सकारात्मक रही है फिर भी घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति से संबंधित अनेक अन्य सांकेतक नामत: लाभप्रदत्ता, निवेश पर लाभ, नकद लाभ आदि ऋणात्मक रही।

(घ) पाटित आयातों का कीमत प्रभाव बहुत अधिक रहा है, जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता और कम हो गई है और घरेलू उद्योग की स्थिति हानि में परिणत हो गई है।

(ङ) हालांकि, कुछ मात्रा मानदंडों में वृद्धि असंगत है और घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति पर इसका कोई बहुत अधिक घनात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है और क्योंकि घरेलू उद्योग अपनी कीमत में लगातार कटौती करने के लिए मजबूती और स्थिर लागतों के प्रभाव को कम करने के लिए इसे क्षमता उपयोग को बनाये रखने के लिए लाभप्रद स्तरों से कमतर कीमत में कटौती करनी पड़ी और इसके फलस्वरूप वित्तीय हानि और ऋणात्मक लाभ की कीमत पर उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई।

(च) जिस कीमत पर विचाराधीन उत्पाद का आयात भारत में किया जाता है वह इसके सामान्य मूल्य से कम है और जिसके फलस्वरूप बहुत अधिक पाटन मार्जिन हुआ है।

(छ) हानि की पूरी अवधि में कीमत में कटौती बहुत अधिक हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा तथा संबद्ध देश के उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा पेशकश की जा रही कीमतों के बीच बहुत अधिक अंतर है। इस प्रकार से

संबद्ध देशों से आयातों की निम्न पहुंच कीमत का घरेलू उद्योग की कीमत और कार्य निष्पादन पर प्रत्यक्ष परिणामी प्रभाव पड़ा है।

(ज) घरेलू उद्योग आदर्शतम से कम कीमतों की पेशकश करने के लिए मजबूर रहा है जिससे इसकी लाभप्रदता ऋणात्मक स्तर तक पहुंच गई तथा यह उस स्तर पर पहुंच गई कि जो गैर अक्षम है तथा प्रचालन को जारी रखने पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है।

(झ) घरेलू उद्योग को इनपुट लागत में वृद्धि की सीमा तक अपनी कीमत में वृद्धि करने से रोकते हुए बहुत कम और पाटित कीमत पर आयात की मौजूदगी से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों पर दबाव रहा है और इससे दबावकारी प्रभाव भी उत्पन्न हो रहे हैं।

(ञ) लाभ में कटौती के परिणामस्वरूप सीधे सीधे नियोजित पूंजी पर लाभ और नकद लाभ में कमी हुई है। घरेलू उद्योग पूंजी की लागत को शामिल कर पाने में सक्षम नहीं रहा है। इस प्रकार से घाटे, नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय और नकद लाभ भी प्रत्यक्ष रूप से पाटित आयातों के कारण हुआ है।

(ट) घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण ही हुई है।

(ठ) कुछ हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग की समस्याएं किसी नए गवाह को शुरू करने से जुड़ी हुई हैं, यह अनुरोध किया जाता है कि याचिकाकर्ता अब से विगत कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। वास्तव में कुछ अन्य उत्पादकों, जो संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए हैं, ने अपने संयंत्र हमारी सूचना के अनुसार प्राथमिक रूप से पाटन के कारण बंद किए हैं। याचिकाकर्ता की हालत भी अलग नहीं होगी यदि पाटन रोधी शुल्क नहीं लगाया जाता है। कंपनी द्वारा चीन जन. गण. से निर्यातकों द्वारा पेशकश की जा रही पाटित कीमतों के कारण सामना की जा रही वित्तीय हानि ने कंपनी की वित्तीय हालत पर बहुत गंभीर प्रभाव डाला है और इसकी व्यवहार्यता गंभीर प्रश्न है। यह तर्क सही नहीं है कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन को अभी निपटाया जाना है जबकि तथ्य यह है कि घरेलू उद्योग को और आगे बने रहने में सहायता करने के लिए तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता का मामला स्पष्ट रूप से पर्याप्त हानि होने के संबंध में है और न कि किसी भी काल्पनिक तरीके से बहुत अधिक पिछड़ने का है।

(ड) कुछ हितबद्ध पक्षकारों के इस तथ्य के संबंध में की यह इकाईयां तत्काल चरण से उत्पादन कर सकती हैं, गलत संयंत्र क्षमता का उल्लेख किया गया है। यह अनुरोध किया जाता है कि इन टिप्पणियों से कोई बात नहीं बनने वाली है और इसे अस्वीकार किए जाने की आवश्यकता है।

(ढ) कुछ हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता के निर्यात कीमत का प्रकटन किया जाना चाहिए, यह अनुरोध किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने समुचित औचित्य देते हुए इस नियमावली में जहां तक अनुमेय है उस सीमा तक गोपनीय के रूप में इस प्रकार की सूचना का दावा किया है जिसे इस प्राधिकारी द्वारा उसी रूप में माना जाना चाहिए।

(ण) कुछ हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि कीमत में कोई कटौती नहीं हुई है, आयात स्थिर है और किसी प्रकार का कारणात्मक संबंध मौजूद नहीं है। यह अनुरोध किया जाता है कि इन तर्कों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है और इस कारण से इसे अस्वीकार किया जाता है। चीन जन. गण. से कीमत में बहुत अधिक सकारात्मक कटौती हुई है। चीन जन. गण. से आयातों में जांच की अवधि तक वृद्धि हुई है और यह घरेलू मांग और उत्पादन पर विचार करने के बाद बहुत अधिक स्तर पर थी। घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में कटौती करने के लिए मजबूर था ताकि यह पाटित आयातों के पहुंच मूल्य से प्रतिस्पर्धा कर सके।

(त) कुछ हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि इन्हें संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादकों की आपूर्ति संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वे किफायती लागत पर चीन से आयात करना चाहते हैं। यह अनुरोध किया जाता है कि यह एक अपुष्ट तर्क है कि उन्हें भारतीय उत्पादकों से आपूर्ति संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वास्तव में ये आयातक चीन के उत्पादकों द्वारा, पेशकश की गई पाटित कीमतों के आधार पर मोल भाव करते हैं और उपभोक्ताओं द्वारा पेशकश की गई कीमत कभी कभी संबद्ध वस्तुओं की परिवर्तन लागत को पूरा भी नहीं कर पाती है। चीन जन. गण. से आयात भारतीय उत्पादक की आपूर्ति करने में असमर्थता के कारण नहीं होती है बल्कि केवल उनके द्वारा पेशकश की गई पाटित कीमतों के कारण होती है।

(थ) इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग को कोई मात्रा संबंधी क्षति नहीं हुई है क्योंकि ऐसा माना गया है कि इसका उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, कर्मचारियों की संख्या आदि सभी में क्षति की जांच की अवधि में बहुत अधिक सुधार आया है, प्राधिकारी नोट कर सकते हैं कि इस प्रकार की सकारात्मक मात्रा प्रवृत्ति से कोई अच्छा अंतिम परिणाम कीमत के मामले में नहीं हुआ क्योंकि पाटित आयात भारतीय बाजार में प्रचलित थे। समग्र स्थिति बहुत अधिक क्षति की स्थिति है।

(द) विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि कीमत में कोई क्षति नहीं हुई है। वास्तव में पाटित कीमतों द्वारा प्रदत्त अत्यधिक प्रतियोगिता से घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय हानि हुई है।

(ध) विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग का एन एफ ए क्षति की जांच की अवधि के दौरान 300 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है जबकि घरेलू उद्योग की संबद्ध वस्तुओं की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है, प्राधिकारी नोट कर सकते हैं कि यह तर्क भ्रामक है। प्रति कि.ग्रा. एन एफ ए एक सतत तस्वीर को दर्शायेगा, इसके अलावा कुल एन एफ ए मूल्य में प्रवृत्ति भी कुछ वर्षों में घरेलू और निर्यात बिक्री में परिवर्तन के अनुरूप रही है। एन एफ ए केवल घरेलू बिक्री के संबंध में कुछ वर्षों में घरेलू बिक्री में परिवर्तन के साथ साथ देखा जाना चाहिए। घरेलू बिक्री जो आधार वर्ष में 9 मी. ट. था बढ़कर जांच की अवधि में लगभग 36 मी. ट. हो गया और वैसी ही वृद्धि की प्रवृत्ति घरेलू एन एफ ए आकंड़ों में भी देखा गया है।

(न) इस तथ्य के संबंध में कि एन एफ ए में बहुत अधिक वृद्धि के फलस्वरूप क्षति की जांच की अवधि के दौरान ह्रास लागत में 235 प्रतिशत और ब्याज लागत में 174 प्रतिशत तक बहुत अधिक वृद्धि हुई है और एन एफ ए में निवेश में वृद्धि से भी कंपनी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई और मजदूरी बिल भी 53 प्रतिशत तक बढ़ गया, प्राधिकारी नोट कर सकते हैं कि प्रति कि.ग्रा. आधार वर्ष ये कारक सतत प्रवृत्ति को दर्शाता था। कुल वेतन में वृद्धि को रोजगार में वृद्धि के आलोक में देखे जाने की आवश्यकता है। हालांकि, यह देखा जा सकता है कि मजदूरी में वृद्धि इस देश के श्रम कानूनों पर विचार करने पर भी न्यूनतम वृद्धि को दर्शाता है।

(प) इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग में लागत में वृद्धि एन एफ ए में वृद्धि करने के लिए इसके अपने व्यापार संबंधी निर्णयों का परिणाम है और प्राधिकारी नोट कर सकते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जैसा आरोप लगाया गया है समग्र रूप में संबद्ध वस्तुओं के लिए एन एफ ए में कोई बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है। एन एफ ए प्रति कि.ग्रा. इस अवधि के दौरान बहुत सतत रही है।

(फ) इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटित आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है, प्राधिकारी नोट कर सकते हैं कि यह तर्क गलत है और केवल चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण क्षति हुई है।

(ब) इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री में बहुत अधिक गिरावट आई है क्योंकि वह 2011-12 में 35327 मी. ट. की इसकी अधिकतम बिक्री से कम होकर जांच की अवधि में 22620 मी. ट. हो गई है, यह नोट किया जाये कि याचिका में दावा की गई क्षति केवल घरेलू प्रचालन के कारण हुई है। इसके अलावा याचिकाकर्ता अपने निर्यात के लिए बेहतर प्राप्ति प्राप्त करते रहे हैं।

(भ) इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी इस बात पर विचार करने में असफल रहे हैं कि आवेदक द्वारा दिए गए आंकड़ों में वास्तविक अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा आयातों तथा अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा आयातों के बजाय व्यापारियों द्वारा किए गए आयात शामिल हैं, जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, इस तर्क का कोई कानूनी आधार नहीं है और यह औसत कीमत है जोकि संगत है।

(म) इस तर्क के संबंध में कि घरेलू लागत जो आयात की कीमत को शासित करती है और आयातक घरेलू उद्योग के मूल्य से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं थे, यह अपने हित के लिए है और साथ ही यह मामूली तर्क है जिसे घरेलू उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे पाटन की विशालता को कम आंकने के लिए सामने लाया गया है।

(य) इस दावे के संबंध में कि याचिकाकर्ता को कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि मात्रा संबंधी कोई प्रभाव नहीं है, प्राधिकारी नोट कर सकते हैं कि वर्तमान मामला गंभीर कीमत क्षति के बारे में है जब मानदंडों ने सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शायी। यह स्पष्ट है कि पाटन से संबंध वस्तुओं के लिए बढ़ते हुए बाजार में बेहतर कीमत प्राप्त किए जाने से रुकावट आई।

(र) पाटन रणनीति अपनाकर कीमत प्रतिस्पर्धा चीन के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में अपनी पैठ बनाने के लिए शुरू की गई थी जो अन्य प्रकार से घरेलू उद्योग के लिए स्वस्थ बाजार स्थान है। ग्राहक चीन जन. गण. से पेशकश की जा रही पाटित कीमतों के आधार पर प्रत्यक्ष कीमत का मोल भाव करने में लगे हैं और याचिकाकर्ता अलाभप्रद स्तर तक अपनी कीमतों में कटौती करने के लिए मजबूर हुआ, एक अन्य विकल्प संयंत्र को पूर्ण रूप से बंद कर देने का था। इसके अलावा क्षति मार्जिन निर्धारण के किसी दावे का कोई आधार नहीं है। याचिकाकर्ता ने कीमत में कटौती तथा कम मूल्य पर बिक्री का दावा किया। किसी भी स्थिति में क्षति मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अनुबंध **III** में दिये गये सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। वर्तमान मामले में बहुत अधिक क्षति मार्जिन हुआ है।

(ल) व्यापक जनहित का ध्यान स्वयं पाटन रोधी निमयावली में रखा जाता है क्योंकि भारत में अपेक्षाकृत कम शुल्क नियम का पालन किया जाता है। आयातक जो डायबिटीज के रोगियों को उचित मूल्य के बारे में बात करते हैं, को बहुत अधिक लाभ कमाते हुए पाया गया है और एन पी पी ए को उनके द्वारा बेची जा रही ग्लिकलेजाइड टेबलेट की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही करनी पड़ी। शुल्कों के लगाने से आयात किए गए उत्पाद की कीमत में केवल मामूली वृद्धि होगी और उनके उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसा कि आयातक द्वारा दावा किया गया है और न ही आयातक उन पर प्रभाव की मात्रा बता सकते हैं अथवा तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता के दावे का खंडन कर सकते हैं। पाटन रोधी शुल्क भारतीय बाजार में एक समान अवसर प्रदान करेगा जो व्यापक जनहित में है और न कि पाटन में लगे हुए पक्षकारों की इच्छा के अनुसार याचिकाकर्ता के संयत्र को बंद करेगा। तद्नुसार पेनेशिया की प्रार्थना को भ्रामक पाया गया और प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जाना चाहिए।

(व) यह तर्क कि घरेलू उद्योग घाटे पर बेचना चाहता है बिलकुल हास्यास्पद है। घरेलू उद्योग के लिए पाटित आयातों के कारण कठोर कीमत प्रतिस्पर्धा को छोड़कर घाटा करने के लिए इन कीमतों पर बिक्री करने का कोई बाध्यकारी कारण नहीं है। इसके अलावा केवल बिक्री में वृद्धि का यह मतलब नहीं है कि पाटन रोधी नियमावली में विचार किए गए अनुसार कोई अधिक क्षति नहीं हुई है। इसके अलावा एक मात्र उत्पादक होने से बाल फार्मा के अधिकार उचित कीमत और पाटन के विरुद्ध संरक्षण से दोषित नहीं होता है।

(श) समग्र रूप में कंपनी की लाभप्रदत्ता वर्तमान जांच के लिए संगत नहीं है और संबद्ध वस्तुओं के संबंध में क्षति आंकड़े यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को बहुत अधिक क्षति हो रही है। इसके प्रतिकूल एन पी पी ए अधिसूचना से एक बात सामने आती है कि डॉ. रेड्डीज जैसे दवा निर्माता ग्लिकलेजाइड टेबलेट की बिक्री से बहुत अधिक लाभ कमा रहा था (25 प्रतिशत से अधिक) और एन पी पी ए को इनकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही करनी पड़ी। उसी अवधि में याचिकाकर्ता को संबद्ध वस्तुओं के व्यापार में भारी वित्तीय हानि हुई। यह स्पष्ट है कि आयातकों ने चीन के उत्पादकों द्वारा अपनाए जा रहे पाटन का लाभ लिया और वे चाहते हैं कि यह स्थिति भारत में किसी स्थापित उद्योग की लागत पर अनैतिक लाभ अर्जित करने के लिए जारी रहे। यह दर्शाता है कि आयातक की मंशा सही नहीं है और पाटन रोधी शुल्क चीन जन. गण. से पाटन के विरुद्ध संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

(ष) याचिकाकर्ता ने आई बी आई एस के आंकड़ों पर विश्वास किया है और प्राधिकारी से यह अनुरोध भी किया है कि वह डी जी सी आई एंड एस के अनुसार आयात के आंकड़े उन्हें दें। हालांकि, चूंकि विचाराधीन उत्पाद का आयात लगभग 20 सीमा शुल्क उप शीर्ष के अंतर्गत किया जाता है, डी जी सी आई एंड एस आंकड़े जो उत्पाद उप शीर्ष वार उपलबध हैं, आयात की सही तस्वीर को नहीं दर्शा सकते हैं।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

49. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध को ध्यान में रखा है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति की जांच पाटन रोधी नियमावली के अनुरूप और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करने के बाद किया है।

50. डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 3.1 और पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध **II** में दोनों (क) समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में पाटित आयातों की मात्रा और कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव की वस्तु परक जांच का प्रावधान है। पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह इस बात की जांच करे कि क्या भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में अथवा पूर्ण रूप में पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। पाटित आयातों की कीमत प्रभाव के संबंध में, प्रधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह इस बात की जांच करे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से बहुत अधिक सीमा तक कीमतों पर अन्य प्रकार से दबाव पड़ा है अथवा कीमतों में वृद्धि रूक गई है, जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक बढ़ गई होती।

51. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध-**II** के पैरा (iv) में निम्नानुसार उल्लेख है :

> *"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"*

52. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध और इन तथ्यों को ध्यान में रखकर वस्तुपरक ढंग से क्षति के मानदंडों की जांच की है।

<u>घरेलू उद्योग पर आयातों का मात्रा प्रभाव</u>

<u>मांग का आकलन</u>

53. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन से भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात का योग के रूप में भारत में इस उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को परिभाषित किया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है।

i. <u>मांग एवं बाजार हिस्सा</u>

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
संबद्ध देश से आयात	कि.ग्रा.	76,411	72,480	68,247	85,600
सूची बद्ध	प्रवृत्ति	100	95	89	112
अन्य देशों से आयात	कि.ग्रा.	4,151	5,850	4,240	8,146
कुल आयात	कि.ग्रा.	80,562	78,330	72,487	93,746
आयात में संबद्ध देश का हिस्सा	%	94.85	92.53	94.15	91.31
घरेलू उद्योग की बिक्री	कि.ग्रा.	9,891	13,753	20,545	36,895
सूची बद्ध	प्रवृत्ति	100	139	208	373
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	कि.ग्रा.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
मांग	कि.ग्रा.	**90,453**	**92,083**	**93,032**	**1,30,641**
सूची बद्ध	कि.ग्रा.	100	102	103	144
संबद्ध देश से आयात	%	80.48	78.71	73.36	65.52
अन्य देशों से आयात	%	4.59	6.35	4.56	6.24
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	10.94	14.93	22.08	28.24

54. प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस द्वारा दिए गए लेन देन वार आयात आंकड़ों के अनुसार संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा की जांच की है। रिकार्ड में दर्ज आयात आंकड़ों के आधार पर, संबद्ध देश से आयात की मात्रा न्यूनतम स्तर से अधिक पाई गई है।

55. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से आयात पूर्ण रूप में बढ़ा है और यह जांच की अवधि सहित पूरी जांच अवधि के दौरान भारत में कुल आयात का 90 प्रतिशत से अधिक रही थी। यह भी नोट किया जाता है कि अन्य देशों से आयात ने जांच की अवधि में आधार वर्ष में 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्शायी है जो मामूली है। इस प्रकार से संबद्ध देश से आयातों की मात्रा स्वतंत्र रूप में बढ़ी है और भारत में कुल आयात का एक बहुत बड़ा हिस्सा संबद्ध देश से आयात का है।

56. उपर्युक्त तालिका से यह देखा गया है कि देश में उत्पाद की मांग ने सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शायी है और यह विशेष रूप से जांच की अवधि में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई।

57. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया कि आधार वर्ष में घरेलू उद्योग की बिक्री बहुत कम थी और घरेलू मांग का लगभग 13 प्रतिशत था। यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग के हिस्से ने जांच की अवधि तक 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी फिर भी वास्तविक बिक्री की मात्रा समग्र मांग में पाटित आयातों से काफी कम थी। घरेलू मांग पर आयातों का दबदबा है और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा केवल 30 प्रतिशत है।

58. यह भी देखा गया है कि संबद्ध देश से आयात जांच की पूरी अवधि के दौरान कुल भारतीय उत्पादन की तुलना में अधिक रहा है और संबद्ध देश से आयात इस देश में उत्पाद की मांग की तुलना में बहुत अधिक स्तर पर रही। इस प्रकार से संबद्ध देशों से आयात भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गई है और यह क्षति की पूरी अवधि के दौरान उल्लेखनीय स्तर पर रहा है। उत्पादन की तुलना में पाटित आयात जांच की अवधि के दौरान और पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक बढ़ गया है।

59. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री ने बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाया। घरेलू उद्योग ने दावा किया कि यद्यपि मात्रा के उपर्युक्त मानदंड बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाते हैं अत: संबद्ध कीमत मानदंड में तेज गिरावट दर्शायी और घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि हुई

है। इस प्रकार से यद्यपि बिक्री की मात्रा में वृद्धि हुई थी फिर भी कीमत की प्रतिकूलताओं की विशालता बनी हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू मांग का बहुत बड़ा हिस्सा आयात के द्वारा होता है और इस प्रकार के आयातों से घरेलू उद्योग पर बहुत अधिक कीमत प्रभाव पड़ रहा है।

ii. <u>उत्पाद, क्षमता एवं क्षमता उपयोग</u>

60. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता और क्षमता का उपयोग निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
क्षमता मी. टन	कि.ग्रा.	60,000	60,000	60,000	60,000
घरेलू उद्योग का उत्पादन	कि.ग्रा.	***	***	***	***
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची बद्ध	100	122	103	137
मांग की तुलना में उत्पादन	%	***	***	***	***

61. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग 2011-12 तक बढ़ गई परंतु 2012-13 में इसमें गिरावट आई है और पुन: जांच की अवधि में यह बढ़ गई। हालांकि क्षमता स्थिर रही। घरेलू उद्योग ने दावा किया कि यद्यपि मात्रा के उपर्युक्त मानदंड बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाते हैं अत: संबद्ध कीमत मानदंड में तेज गिरावट दर्शायी और घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि हुई है। वर्तमान क्षमता में किसी प्रकार का विस्तार संबद्ध वस्तुओं के लिए अनुकूल और उचित बाजार स्थिति पर बहुत अधिक निर्भर करेगा।

62. यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लगातार प्रतिकूल बाजार स्थितियों ने घरेलू उत्पादक को और आगे क्षमताओं को बढ़ाने से रोका है और वास्तव में उन्हें तब बहुत अधिक घाटा हो रहा है जब उस उत्पाद की बहुत अधिक मांग रहती है।

63. क्षति की पूरी अवधि के दौरान उत्पादन ने बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाया। हालांकि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग की तुलना में उत्पादन ने आधार वर्ष 2010-11 की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट दर्शायी है।

iii. <u>माल भंडार</u>

64. घरेलू उद्योग के पास माल भंडार जांच की अवधि में बहुत अधिक बढ़ गया जो नीचे दिया गया है :

	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
औसत भंडार	कि.ग्रा.	101	100	847	1,386
सूची बद्ध	प्रवृत्ति	100	100	838	1372
बिक्री दिनों की संख्या के रूप में भंडार	दिन	1	1	8	9

<u>घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव</u>

65. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी से इस पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्य प्रकार से काफी हद तक कीमतों पर दबाव आयेगा अथवा कीमत की वृद्धि में रुकावट आयेगी जो अन्य प्रकार से काफी

हद तक होता। इस विश्लेषण के प्रयोजन से, घरेलू उद्योग के उत्पादन की भारित औसत लागत (सी ओ पी), भारित औसत निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) और क्षति रहित कीमत (एन आई पी) की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुंच मूल्य से की गई है।

क) <u>कम कीमत पर बिक्री</u>

66. निवल बिक्री प्राप्ति सभी छूट और करों को घटाने के बाद तय की गई थी। आयात के पहुंच मूल्य की गणना संबद्ध आयातों के सी आई एफ मूल्य का 1 प्रतिशत हैंडलिंग प्रभाव और लागू मूल सीमा शुल्क को जोड़कर किया गया था। आयात के पहुंच मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना में की गई थी और विश्लेषण नीचे दिया गया है :

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
निवल वित्तीय प्राप्ति	रु./ कि.ग्रा.	***	***	***	***
पहुंच मूल्य	रु./ कि.ग्रा.	5,127	5,884	5,209	5,018
कीमत में कटौती	रु./ कि.ग्रा.	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	15 - 25	5- 15	10 – 20	5- 15

67. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से आयातों का पहुंच मूल्य तथा घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से बहुत कम रही है जिसके फलस्वरूप कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है। संबद्ध देश से आयात का पहुंच मूल्य आधार वर्ष और 2011-12 के बीच कुछ वृद्धि के बाद घटती हुई प्रवृत्ति दर्शाती है। घरेलू उद्योग ने दावा किया कि उन्हें लाभप्रद कीमत तक कीमतों को बढ़ाने से स्पष्ट रूप से रोका गया है जो तब संभव हो पाता जब चीन जन. गण. से पाटन नहीं हुआ होता।

ख) <u>कम कीमत पर बिक्री</u>

68. क्षति रहित कीमत घरेलू उत्पादक के लिए पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध **III** के अनुसार जांच की अवधि के दौरान विचारधीन उत्पाद के लिए उत्पादन की लागत पर उपयुक्त रूप से विचार करने के बाद तय की गई है और इसकी तुलना कम कीमत पर बिक्री की सीमा तय करने के लिए संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य से की गई जो नीचे दिया गया है :

विवरण	इकाई	चीन जन. गण.
क्षति रहित कीमत	रु./ कि.ग्रा.	***
पहुंच मूल्य	रु./ कि.ग्रा.	5,018
कम कीमत पर बिक्री	रु./ कि.ग्रा.	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***
कम कीमत पर बिक्री	% रेंज	25-35

69. कम कीमत पर बिक्री जो क्षति के आकलन का एक प्रमुख सांकेतक है, का विश्लेषण दर्शाता है कि संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य क्षति रहित कीमत से बहुत कम था।

ग) <u>कीमत दबाव/ ह्रास</u>

70. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की कि क्या पाटित आयातों का प्रभाव भारत में समान वस्तु की कीमतों पर दबाव पैदा करने के लिए था अथवा कीमत में वृद्धि रोकने के लिए था जो अन्य प्रकार से हो सकता था।

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
उत्पादन की लागत	रु./ कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची बद्ध	100	118	107	102
बिक्री कीमत	रु./ कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची बद्ध	100	104	98	88
पहुंच मूल्य	रु./ कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची बद्ध	100	115	102	98

71. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि जबकि लागत 2010-11 से जांच की अवधि तक 100 से बढ़कर 102 हो गई। बिक्री कीमत उसी अवधि के दौरान 100 से घटकर 88 हो गई, जिसका यह तात्पर्य है कि कीमतें पाटित आयातों के कारण ह्रास हुई थी क्योंकि घरेलू उद्योग लागतों में वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमतें बढ़ाने में सक्षम नहीं थी। यह स्पष्ट है कि आयात की पहुंच कीमत बहुत अधिक मात्रा में कीमत का ह्रास पैदा कर रहा है जो यह दर्शाता है कि कीमत में गंभीर कटौती के अलावा घरेलू उद्योग की बिक्री की प्राप्ति पर कीमत का गंभीर प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से पाटित आयात घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रास प्रभाव पैदा कर रहा था।

घ) <u>लाभ/ हानि</u>

72. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
लाभ	रु./ लाख	***	***	***	***
लाभ	रु. / कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची बद्ध	100	(391)	(254)	(417)

73. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट आई। प्रतिकूल प्रभाव और क्षति घरेलू उद्योग की समग्र क्षति अवधि के दौरान लाभप्रदता की स्थिति से देखा जा सकता है।

ङ) <u>नियोजित पूंजी पर लाभ</u>

74. नियोजित पूंजी पर लाभ के संबंध में सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
एन एफ ए – घरेलू	रु./ किग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची बद्ध	100	85	96	111
कार्यशील पूंजी – घरेलू	रु./ किग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची बद्ध	100	87	81	66
नियोजित पूंजी – घरेलू	रु./ किग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची बद्ध	100	86	88	86
नियोजित पूंजी घरेलू – एन एफ ए	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची बद्ध	100	120	182	319
नियोजित पूंजी पर लाभ	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची बद्ध	100	(79)	(40)	(121)

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लिए नियोजित पूंजी पर लाभ में क्षति के अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट आई है और यह जांच की अवधि में बहुत अधिक नकारात्मक रही। यह भी नोट किया जाता है कि कुछ वर्षों में क्षमता उतनी ही रही और समग्र विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए नियोजित पूंजी ने कार्यशील पूंजी स्थिति में गिरावट के साथ निम्नगामी प्रवृत्ति दर्शायी। प्रतिकूल प्रभाव और क्षति को जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की आर ओ सी ई स्थिति से देखा जा सकता है।

च) <u>नकद प्रवाह</u>

76. घरेलू उद्योग के नकद प्रवाह के संबंध में सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची बद्ध	100	(221)	(198)	(687)

77. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग का नकद लाभ क्षति की अवधि में बहुत अधिक कम हो गया और नकारात्मक हो गया। यह भी नोट किया जाता है कि घेरलू उद्योग का नकद लाभ और नकद प्रभाव की स्थिति ने प्रतिकूल स्थिति दर्ज की।

छ) <u>घरेलू कीमतों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले कारक</u>

78. लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धी विकल्पों की कीमतें, यदि कोई हो कि जांच पाटित आयातों को छोड़कर उन कारकों का विश्लेषण करने के लिए की गई है जो घरेलू उद्योग में कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। चूंकि याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। अत: कोई घरेलू प्रतिस्पर्धा नहीं है जिससे कीमतों में गिरावट हो सकती थी। संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से कम है जो विचाराधीन उत्पाद की बिक्री कीमत में गिरावट का कारण हो सकता है।

ज) <u>उत्पादकता</u>

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता वही प्रवृत्ति दर्शाती है जो उत्पादन दर्शाता है। उत्पादकता एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाता है और यह नहीं माना जा सकता है कि घरेलू उद्योग को उत्पादकता में कम कार्य निष्पादन के कारण नुकसान हुआ है।

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
उत्पादकता/ कर्मचारी	कि.ग्रा./ सं.	***	***	***	***
उत्पादकता/ दिन	कि.ग्रा./ दिन	122	148	126	168

झ) <u>रोज़गार एवं मजदूरी</u>

80. रोजगार का स्तर क्षति की पूरी अवधि में तथा जांच की अवधि में बढ़ा है परंतु बहुत मामूली स्तर से यह बढ़ा है। प्रति कि.ग्रा. समग्र वेतन आधार वर्ष की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाया है जो तत्काल कुल वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट के समय सामान्य वृद्धि लगती है। यह नोट किया जाता है कि सामान्य वेतन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादकता में सुधार भी होता है और यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग इन मानदंडों पर किसी प्रतिकूल स्थिति में नहीं था। इस प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता है कि घरेलू उद्योग को क्षति का कारण वेतन और रोजगार का प्रतिकूल प्रभाव रहा है।

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
रोजगार	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची बद्ध	100	103	108	119
मजूदरी	रु./ कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची बद्ध	100	98	133	112
मजदूरी	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची बद्ध	100	119	138	153

ञ) <u>विकास</u>

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का विकास अनेक मानदंडों के मामले में नकारात्मक था।

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
बिक्री की लागत	%		17.98	(8.93)	(5.15)
घरेलू बिक्री – कीमत (एन एस आर)	%		4.13	(6.28)	(10.05)
लाभ/ (हानि) प्रति कि.ग्रा.	%		(291)	35	(64)
पी बी आई टी	%		(195)	23	(430)
नकद लाभ	%		(321.34)	10.62	(247.23)
निवेश पर लाभ	%		(18.42)	4.04	(8.29)
मांग	%		5.71	27.52	16.34
औसत भंडार	%		(0.50)	746.83	63.71

ट) <u>पूंजी निवेश प्राप्त करने की क्षमता</u>

82. यह नोट किया जाता है कि इस उत्पाद में कोई अतिरिक्त निवेश करने की घरेलू उद्योग की क्षमता संबंधित उत्पाद के लिए बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में बहुत अधिक गिरावट हुई है और घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि होती रही है। यह स्थिति ऊपरी तौर पर अतिरिक्त पूंजी निवेश प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक नहीं रही है जब मौजूदा निवेशों से निवेश पर आय को नुकसान हो रहा था। इस कारण से उत्पाद के पाटन से विचाराधीन उत्पाद के लिए पूंजी निवेश प्राप्त करने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था।

ठ) <u>क्षति संबंधी निष्कर्ष</u>

83. आयातों की मात्रा और कीमत संबंधी प्रभावों के साथ साथ क्षति के विभिन्न मानदंडों की जांच स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक क्षति हुई है। क्षति की जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की आयात की मात्रा देश में कुल आयातों, घरेलू उत्पादन और कुल मांग की तुलना में स्वतंत्र रूप से वृद्धि हुई है।

84. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण कीमत के प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में बहुत अधिक कटौती हो रही है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण कीमत पर दबाव का सामना करना पड़ा है। संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कीमत जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत में वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ी है और बदले में आधार वर्ष की तुलना में इसमें गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमतों के साथ पहुंच मूल्य की तुलना भी यह दर्शाती है कि कम कीमत पर बिक्री बहुत अधिक हुई है। उपर्युक्त को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री के संबंध में आंशिक रूप से सुधार हुआ है। फिर भी लाभ, नकद प्रवाह, निवेश पर आय और माल भंडार के मामले में कार्य निष्पादन और खराब हो गया है। लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह में गिरावट बहुत अधिक हुई है। इस प्रकार से प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान अधिक हानि हुई है।

85. अनेक मानदंडों में घरेलू उद्योग की नकारात्मक वृद्धि जब उस उत्पाद के लिए बाजार मांग अन्य बातों के साथ साथ सतत विकास को दर्शाता हो तब घरेलू उद्योग को कीमत में बहुत अधिक कटौती और कम कीमत पर बिक्री के साथ पाटित आयातों के मौजूद रहने के कारण इस प्रकार की सकारात्मक बाजार स्थिति का लाभ उठाने से रोका गया था। स्पष्ट रूप से पाटित सामग्री के कारण प्रतिकूल कीमत प्रभावों ने मात्रा के मानदंडों के संबंध में प्राप्त गति को रोक दिया है और याचिकाकर्ता इस प्रकार के मात्रा के विकास को समग्र विकास में परिवर्तित कर सकता था और उसके बजाय इसे प्राय: प्रत्येक कीमत मानदंड के मामले में नकारात्मक स्थिति का सामना करना पड़ा।

86. मांग आपूर्ति के अंतर के अलावा गलत और अवास्तविक है और यह संगत नहीं है। ग्लिकलेजाइड आधारित एन टी डायबिटिक दवाएं भारत में कुल एंटी डायबिटिक दवाओं के बाजार का लगभग 7 प्रतिशत मात्र है। याचिकाकर्ता भारत में इस भारी संख्या में दवा की एक मात्र निर्माता कम्पनी है जो एंटी डायबिटिक दवाओं के लिए मोलेक्यूल में से एक मोलेक्यूल है परंतु यह यदि पाटन रोधी शुल्क नहीं लगाया जाता है तब बंद होने के कगार पर है। याचिकाकर्ता के किसी बंदी के बाद, भारत इस महत्वपूर्ण उत्पाद के लिए चीन के बाजार पर निर्भर हो जायेगा जो भारत में व्यापक जनहित के विरुद्ध होगा और इस प्रकार से पाटन के विरुद्ध याचिकाकर्ता का संरक्षण महत्वपूर्ण है। ग्लिकलेजाइड फार्मूलेशन का निर्माण पाटित कीमतों पर अधिक हो रहा था और वे उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूल रहे थे, जिसके फलस्वरूप एन पी पी ए को कार्यवाही करनी पड़ी और कुछ ग्लिकलेजाइड आधारित एंटी डायबिटिक दवा के निर्माताओं पर कीमत को नियंत्रित करने की कार्यवाही करनी पड़ी। इस प्रकार से जनहित के लिए तर्क देने हेतु उपभोक्ताओं से अनुचित रूप से अधिक पैसे वसूलने के बाद दवा निर्माताओं की स्थिति पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गया है। यदि 30 प्रतिशत तक भी शुल्क लगाया जाता है तब इसके पास ग्लिकलेजाइड आधारित डायबिटिक फार्मूलेशन में लगभग 0.**72** प्रतिशत से 2.70 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है जो बहुत मामूली है। इस प्रकार से मांग और आपूर्ति के बीच अंतर तथा विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाये गये लागत में वृद्धि के दावे अस्वीकार्य हैं।

87. पाटन रोधी शुल्कों को पाटन को रोकने तथा ग्लिकलेजाइड के लिए भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा स्थापित करने के लिए लगाए जाने की आवश्यकता है।

ज. <u>कारणात्मक संबंध और अन्य कारक</u>

88. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों से बहुत अधिक हानि, मात्रा और कीमत के प्रभावों की मौजूदगी की जांच करने के बाद, भारतीय नियमावली और पाटन रोधी करार के अंतर्गत सूचीबद्ध इसकी कम कीमत पर बिक्री और कीमत पर दबाव तथा ह्रास के प्रभावों, अन्य सांकेतिक मानदंडों के संबंध में, प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या पाटन रोधी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते थे। कारणात्मक संबंध की जांच नीचे दिये गये अनुसार की गई है :

(क) तृतीय दशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

89. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश को छोड़कर अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा बहुत अधिक रही है और यह अधिक कीमतों पर उचित की गई थी। इस कारण से अन्य देशों से आयातों को इस बाबत विचार नहीं किया जा सकता है कि इसने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है।

(ख) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं एवं प्रतिस्पर्धा

90. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए यह एकमात्र बाजार है जहां संबद्ध देश से पाटित आयातों की सीधी प्रतिस्पर्धा घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए संबद्ध वस्तुओं से होता है। यह भी नोट किया जाता है कि आयात किए गए संबद्ध वस्तुओं और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुएं समान वस्तु हैं और उनका उपयोग समान उपयोगों/ अंतिम प्रयोगों के लिए किया जाता है। विदेशी उत्पादकों और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं और प्रतिस्पर्धा का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच रही हो।

(ग) मांग का संकुचन तथा उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति की अवधि तथा जांच की अवधि के दौरान भी इस उत्पाद के लिए मांग में बहुत अधिक वृद्धि दर्शायी गई और इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति मांग में संकुचन के कारण नहीं हुई थी।

(घ) प्रौद्योगिकी में विकास

92. किसी भी हितबद्ध पक्षकारों में यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है कि प्रौद्योगिकी में बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं जिससे घरेलू उद्योग को बहुत अधिक हानि हुई हो।

(ङ) घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन

93. याचिकाकर्ता द्वारा निर्यात का विवरण नीचे दिया गया है :

अवधि	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
कि.ग्रा. में मात्रा	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	114	65	64
कि.ग्रा. में कीमत	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	114	123	119

94. हानि का विश्लेषण इस प्राधिकारी द्वारा केवल उनके घरेलू प्रचालन को ध्यान में रखकर ही किया गया है। इस कारण से निर्यात बाजार में कार्य निष्पादन से वर्तमान क्षति विश्लेषण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके बावजूद प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यात की कीमत में आधार वर्ष में बहुत अधिक वृद्धि हुई है जबकि घरेलू कीमतों में बहुत अधिक गिरावट आई है। प्राधिकारी इस आवेदक के अनुरोध पर भी विचार करते हैं कि निर्यात मात्रा में गिरावट वास्तविक मात्रा में कमी नहीं है बल्कि वह उस समय से कछ एम एन सी की घरेलू बिक्री को दर्शाता है जब से दवा निर्माताओं ने भारत में अपने प्रचालन शुरू किए और इस सामग्री की आपूर्ति उन्हें स्वयं भारत में ही की गई थी।

(च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

95. घरेलू उद्योग की उत्पादकता सतत रूप से बढ़ी है। तथापि, उत्पादकता के अवसरों में परिवर्तन को ध्यान में रखे बिना, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में लगातार गिरावट दर्शायी गयी। इस प्रकार से उत्पादकता में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कोई कारण नहीं है।

96. पूर्व में किए गए उल्लेख से, इस प्रकार से यह नोट किया जाता है कि सूचीबद्ध ज्ञात अन्य कारक यह नहीं दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को उनके कारण क्षति हो सकती थी। किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि घरेलू उद्योग को हुई अत्यधिक क्षति अन्य ज्ञात कारणों से हुई है।

झ. <u>कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक</u>

97. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन का विश्लेषण दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में क्षति की अवधि और जांच की अवधि में बहुत अधिक क्षति हुई है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित आधारों पर स्थापित किया गया है :

क) संबद्ध वस्तुओं का आयात भारत में पाटित कीमतों पर किया जाता है। संबद्ध देश से पाटित आयातों में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई। संबद्ध देश से आयातों में बहुत अधिक वृद्धि उसी समय हुई जब घरेलू बाजार की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए उसके हिस्से में बहुत अधिक वृद्धि हुई ताकि इसका बाजार हिस्सा उचित एवं लाभप्रद कीमत के साथ साथ उच्च स्तर तक पहुंच सके।

ख) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में बहुत अधिक कटौती हो रही थी, जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग बढ़ती हुई कीमतों के अनुपात में अपनी कीमतों को बढ़ाने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है।

ग) घरेलू उद्योग की घरेलू कीमतों पर दबाव फलस्वरूप जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता और निवेश पर आय में बहुत अधिक कमी आई। लागतों में वृद्धि के साथ साथ कीमतों में कमी का प्रतिकूल प्रभाव घरेलू उद्योग के वित्तीय कार्य निष्पादन पर पड़ा है और घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय हानि हो रही थी।

घ) घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन भी कम नकद प्रभाव और बढ़ते हुए माल भंडार के मामले में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा था। लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ में गिरावट पाटित आयातों का प्रत्यक्ष परिणाम है।

ङ) घरेलू उद्योग की वृद्धि अनेक मानदंडों के मामले में नकारात्मक हो गई।

98. प्राधिकारी का यह मत है कि उपर्युक्त आधार संबद्ध देश से पाटित आयातों और घरेलू उद्योगों को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के मौजूद होने को सिद्ध करता है।

ञ. <u>क्षति और क्षति मार्जिन का आकार</u>

99. प्राधिकारी ने इस नियमावली में यथा संशोधित निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है। इस प्रकार से निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुंच मूल्य से की गई है। इस प्रकार से निर्धारित क्षति मार्जिन बहुत अधिक है।

क्र. सं.	उत्पादक/ निर्यातक	क्षति रहित कीमत अमरीकी डॉलर/ कि.ग्रा.	पहुंच मूल्य अमरीकी डॉलर/ कि.ग्रा.	क्षति मार्जिन - अमरीकी डॉलर/ कि.ग्रा.	क्षति मार्जिन - %	क्षति मार्जिन रेंज - %
1	शांडॉग केयूवान फार्मास्टिकल क. लिमि.	***	***	***	***	20-30
2	जियांग जियूयोउ फार्मासिटिकल कं. लि.	***	***	***	***	15-25
3	चीन जन. गण. से कोई अन्य	***	***	***	***	40-50

ट. प्रकटन पश्चात विवरण/अनुरोध

100. प्रस्तुत किए गए अनुरोध और उठाए गए बिन्दु वही हैं जो कि पहले उठाए गए हैं और जिनका इस निष्कर्ष में ऊपर उल्लेख किया गया है।

क. आयातक के अनुरोध

(i) पाटन रोधी नियमावली के नियम 17(1) में ऐसे अपेक्षित है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच शुरू करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर अंतिम निष्कर्ष जारी कर देगा। नियम 17 (1) के परन्तुक के अंतर्गत केवल एक अपवाद है, जिसे केवल "विशेष परिस्थितियों" के विद्यमान होने पर ही रद्ध किया जा सकता है। चूंकि वर्तमान मामले में कोई विशेष परिस्थिति विद्यमान नहीं है, इसलिए जांच को एक वर्ष से अधिक समय तक जारी नहीं रखा जा सकता है।

(ii) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महा निदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से प्राप्त आयात के आंकडे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। प्रतिवादी ऐसा महसूस करता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूरेविवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं और संपूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आयात आंकडों के बारे में कोई सार्थक निवेदन नहीं किया जा सकता है।

(iii) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीनी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का आकलन करने के लिए न तो प्रकटन किया है और न ही कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का उल्लेख किया है। असहयोगी निर्यातकों के लिए निबल निर्यात कीमत का आकलन करने का आधार का प्रकटन नहीं किया गया है। इसलिए आकलित किए गए पाटन मार्जिन के सही होने का दावा नहीं किया जा सकता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी बिक्रियों की लागत और बिक्री कीमत के सूचीबद्ध आंकडे गोपनीय रखे हुए हैं। निर्दिष्ट प्रधिकारी ने पहुंच मूल्य भी गोपनीय रखा हुआ है। चूंकि निर्दिष्ट प्रधिकारी ने आयात के पहुंच मूल्य का प्रकटन नहीं किया है, इसलिए प्रतिवादी यह निवेदन करता है कि निर्दिष्ट प्रधिकारी द्वारा क्षति का निर्धारण संदेहास्पद प्रतीत होता है। यह ज्ञात नहीं है कि निर्दिष्ट प्रधिकारी ने क्या समायोजन किया है। जब तक इसे प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है तब तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री किए जाने के निर्धारण की जांच नहीं की जा सकती है।

(iv) मांग और पूर्ति में 72% तक का अंतर व्याप्त है और इसे याचिकादात द्वारा दूर कर दिए जाने की संभावना है क्योंकि यह लगभग अनुकूलतम क्षमता उपयोग का प्रचालन कर रहा है। याचिकादाता भारत में समग्र मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी परिस्थिति में पाटन-रोधी शुल्क लागू किए जाने से अंतत: रोगियों पर भार बढेगा ।

(v) जिन कंपनियों पर डीपीसीओ लागू होता है, उनका सीमित लाभ मार्जिन है क्योंकि अंतिम उत्पाद को बेचने के लिए निर्धारित अधिक कीमत सीमा लगी हुई है। यदि पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाता है तो प्रतिवादी को अत्यधिक घाटे होने लगेंगे और उसे अपना उत्पादन बंद भी करना पड़ सकता है क्योंकि ग्लिकेजाईड की महंगी कच्ची सामग्री होने के परिणाम स्वरूप उसका विनिर्माण करने की लागत बढ जाती है, जिसको वह पूरा नहीं कर सकता है। इसके फलस्वरूप भारतीय नागरिकों के लिए एंटी-डाएवेटिक औषधियों की कमी हो जाएगी और इसका कुल मिला कर प्रतिकूल प्रभाव अंतत: भारतीय नागरिकों के स्वास्थ्य पर पडेगा।

(vi) गैर-क्षति कीमत का निर्धारण करने के लिए नियोजित पूंजी पर 22% का प्रतिलाभ पर विचार करना अनुचित है। माननीय सीईएसटीएटी के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी ने यह निवेदन किया है कि नियोजित पूंजी पर 22% के प्रतिलाभ पर विचार करना सही नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वर्तमान मामले को, वर्ष 2004 के इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामला संख्या (170) ईएलटी 144 (ट्राईडल) से भिन्न माने जाने के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया है।

(vii) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका के साथ संलग्न प्रकटन विवरण की तुलना करने से ऐसा पता चलता है कि याचिकादाता के आर्थिक प्राचलों और अन्य कारकों के बीच अत्यधिक अंतर व्याप्त है। इन प्राचलों में व्याप्त अंतर बिक्रियों, मांग, औसत स्टॉक, प्रति यूनिट बिक्री कीमत, नियोजित पूंजी, लाभ आदि में देखा गया है। रोचक तथ्य यह है कि ऐसे सभी संशोधित आंकडे घरेलू उद्योग के लिए लाभदायक हैं।

(viii) जबकि एक ओर प्रतिवादी और अन्य हितबद्ध पक्षकार याचिका में प्रस्तुत किए गए आंकडों पर टिप्पणियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निर्दिष्ट प्राधिकारी कुल मिलाकर भिन्न आंकडों पर कार्रवाई कर रहे हैं । भिन्न आंकडों को अपनाए जाने के बारे में कोई प्रकटन नहीं किया गया है।

(ix) क्षति की अवधि के दौरान याचिकादाता की बिक्रियों और उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। साथ ही घरेलू उद्योग की बिक्रियों में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा वस्तु स्थिति यह है कि मांग में हुई वृद्धि की तुलना में बिक्रियों में अधिक बढोत्तरी हुई है। वर्ष 2010-

11 से ले कर जांच अवधि के दौरान घरेलू बिक्रियां, 10.94% से बढ कर 28.24 % हो गईं जो कि लगभग 250 % की वृद्धि दर्शाती हैं।

(x) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह माना है कि घरेलू मांग पर घरेलू उद्योग के आयातों और बाजार हिस्से का अधिपत्य है जो कि 30% है । इस संबंध में प्रतिवादी का यह निवेदन है कि याचिकादाता पहले से ही अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहा है और वह अपने बाजार के हिस्से को कुछ सीमा से अधिक नहीं बढा सकता है क्योंकि उसकी क्षमता सीमित है। क्षमता उपयोग भी 71% से बढ कर लगभग अनुकूलतम क्षमता उपयोग के स्तर पर पहुंच गया है।

(xi) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने प्रकटन विवरण में बिक्रियों, लाभ, आउट पुट और अन्य प्राचलों में संभावित गिरावट आने की स्थिति की बिल्कुल जांच नहीं की है। जबकि अनुच्छेद 3.4 के अनुसार उन्हें न केवल वास्तविक गिरावट आने के संबद्ध कारकों का प्रदर्शन करना चाहिए था बल्कि क्षति का सार्थक निर्धारण करने के लिए संभावित गिरावट पर ऐसी गिरावट के प्रभाव को भी सिद्ध करना चाहिए था।

(xii) घरेलू बाजार में याचिकादाता के बाजार के हिस्से में वृद्धि इस तथ्य के कारण हुई है कि जांच अवधि के दौरान निर्यात में गिरावट आई है और जैसा कि विगत वर्ष में हुआ था, यदि याचिकादाता को निर्यात के आर्डर प्राप्त हो जाते तो मांग और पूर्ति के बीच व्याप्त अंतर और अधिक बिगड जाता। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निर्यात की मात्रा को गोपनीय बनाए रखा हुआ है जिसे पहले याचिकादाता द्वारा स्वय प्रकट किया गया था।

(xiii) याचिकादाता द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका में क्षति अवधि अर्थात् वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक की अवधि में ब्याज की लागत में वृद्धि होने का उल्लेख किया गया है। इस अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की क्षमता में वृद्धि हुए बिना ही ब्याज की लागत लगभग तिगुनी हो गई है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस संबंध में किए गए निवेदन की पूर्णतया अनदेखी कर दी है और उन्होंने ब्याज की लागत के प्रभाव की जांच नहीं की है। इसका गैर-क्षति कीमत पर प्रभाव पडेगा और इसके परिणामस्वरूप क्षति मार्जिन बढ़ेगा।

(xiv) चूंकि संबद्ध उत्पाद, याचिकादाता का मुख्य उत्पाद है और वर्ष 2013-14 की वार्षिक रिपोर्ट में लागत ह्रास और ब्याज लागत में गिरावट आना दर्शाय गया है, इसलिए याचिकादाता के लिए यह अत्यधिक संदेहास्प्द है कि वह अपनी याचिका में बढ़ते ह्रास और ब्याज लागत को निर्दिष्ट करे। याचिकादाता द्वारा अपनी याचिक में उल्लिखित नकद लाभ की प्रवृति तथा प्रकटन विवरण में प्रस्तुत नकदी लाभ संदेहजनक प्रतीत होते हैं। पीबीआईटी में गिरावट हुई है और क्षति अवधि के दौरान मूल्यह्रास व्यय में समान वृद्धि हुई है। पीबीआईटी में मूल्य ह्रास में हुई ऐसी तीव्र वृद्धि को जोडने से नकदी घाटों में वस्तुत: गिरावट आनी चाहिए थी। तथापि, क्षति अवधि के दौरान इसमें निरंतर वृद्धि होना दर्शाया गया है जो कि तर्कसंगत नहीं है। याचिकादाता की कुल मिलाकर लाभप्रदता प्रत्येक वर्ष बढी है, जबकि मुख्य उत्पाद के संबंध मे घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में निरंतर गिरावट आई है। प्रतिवादी यह समझने में असमर्थ है कि ऐसी स्थिति में समग्र कंपनी के रूप में याचिकादाता कैसे निरंतर लाभ कमा सकता है जबकि उसके मुख्य उत्पाद को अत्यधिक क्षति हो रही है।

(xv) घरेलू उद्योग को क्षति होने का कारण डीपीसीओ का कीमत निर्धारण भी हो सकता है। फार्मूलेटर संबद्ध वस्तुओं को ऐसी कीमत पर नहीं खरीदेंगे जिससे उत्पादन की लागत, स्वत: डीपीसीओ में उल्लिखित कीमत सीमा से अधिक होती हो। इस प्रकार अंतिम उत्पाद के लिए डीपीसीओ द्वारा निर्धारित कीमतों को ध्यान में रख कर और आवश्यक समायोजन करके ही गैर-क्षति कीमत का निर्धारण किया जाना चाहिए। निर्दिष्ट प्राधिकारी को संबद्ध वस्तुओं के आयात से घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए डीपीसीओ कीमत निर्धारण को जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए। विगत में भी प्राधिकारी की यही सुसंगत प्रक्रिया रही है। उदाहरण के लिए प्राधिकारी के यूरोपीय यूनियन मूल की अथवा वहां से निर्याति सेफेड्रोक्सिल मोनोहाईड्रेट के मामले में पाटन-रोधी जांच के अंतिम निर्णय को देखा जा सकता है।

(xvi) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह बताया है कि याचिकादाता के यूनिट के बंद हो जाने के बाद भारत इस महत्वपूर्ण उत्पाद के लिए चीन के बाजार पर निर्भर करने लगेगा, जो कि भारत के व्यापक जन हित में नहीं होगा। अभी भी मांग और पूर्ति में पर्याप्त अंतर विद्यमान है और एक भारतीय घरेलू उत्पादक अपनी घरेलू मांग को पूरा करने में असमर्थ है। यदि पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाता है तो उस स्थिति में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में न केवल वृद्धि होगी बल्कि मांग-पूर्ति के बीच व्याप्त अंतर और बदतर होगा।

ख. निर्यातक के अनुरोध

(xvii) उचित तुलना करने के अनुरोध को पूरा नहीं किया गया है। हम माननीय प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे पाटन मार्जिन का निर्धारण करने करने के लिए उचित तुलना करने के प्रति व्यक्त की गई हमारी चिंताओं को दूर करें। साथ ही हम पुन: आग्रह करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं नामत: ग्लिक्लेजाईड का विनिर्माण इंडियन फार्माकोपिया (आईपी), ब्रिटिश फार्माकोपिया (बीपी)

और यूरोपीय फार्माकोपिया (ईपी) के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है । यह देखा जा सकता है कि आईपी/बीपी की तुलना में ईपी के लिए विनिर्माण के मानदंड बहुत सख्त हैं। आईपी/बीपी ग्रडों में कोई विशेष अंतर नहीं है और इसलिए इन दोनों ग्रडों को एक ही श्रेणी में माना जा सकता है। ईपी के सख्त मानदंडों के आधार पर ईपी ग्रेड के उत्पादन की लागत, आईपी/बीपी ग्रडों की तुलना में काफी अधिक है। इसका कारण यह है कि उक्त ग्रेडों की कीमतों में अंतर है और ईपी को अधिक कीमत पर बेचा जाता है। इसलिए हम माननीय प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे डब्ल्यूओटी एडीए के अनुच्छेद 2.4 और भारतीय पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 6 के साथ पठित नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए ग्लिक्लेजाईड के ग्रेडों के दो सेटों अर्थात् ईपी और आईपी/बीपी की पृथक रूप से उचित तुलना करें। इन दोनों ग्रेडों अर्थात् ईपी और आईपी/बीपी ग्रेडों की उचित तुलना करने के हमारे औचित्य के संबंध में यह निवेदन है कि ईपी और आईपी/बीपी ग्रेडों के उत्पादन और तकनीकी मानक हमने पहले से ही प्राधिकारी को उपलब्ध करा दिए हैं। इनके तुलनात्मक विश्लेषण का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

(xviii) अनुबंध-1 के पैरा 7 के अंतर्गत सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के संबंध में प्रकटन विवरण के पैरा 39 में यह देखा गया है कि एनएमई देश का सामान्य मूल्य का निर्धारण, पैरा 7 में निर्धारित किसी भी पद्धति से किया जा सकता है। अंतत: सामान्य मूल्य का निर्धारण, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया जाना प्रस्तावित होता है। इस संबंध में निवेदन है कि जैसा कि पैरा 7 में निर्धारित किया गया है, इसके लिए श्रेणीबद्ध प्रकियाओं का अनुसरण किया जाना होता है तथा सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों पर विश्वास करके ही किया जाना चाहिए जो कि अंतिम विधि है और इसका अनुसरण उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जब कि पैरा 7 के प्रारंभिक वाक्य में निर्धारित अन्य विकल्पों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना संभव नहीं हो। पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए पहले तृतीय देश की बाजार अर्थव्यवस्था को अभिज्ञात करना अपेक्षित होता है तथा जब ऐसे तृतीय देश से आवश्यक आंकडे प्राप्त करना संभव नहीं होता है तब वह सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी अन्य उचित आधार पर कर सकते हैं, जिनमें समान उत्पाद के लिए वास्तव में अदा की गई कीमत अथवा भारत में देय कीमत जिसे यदि आवश्यक हो तो विधिवत संमजित की गई राशि शामिल होगी ताकि उचित लाभ मार्जिन को शामिल किया जा सके। यह निवेदन किया जाता है कि घरेलू उद्योग का यह दायित्व बनता है कि वह बिना किसी विलंब के तृतीय देश की बाजार अर्थव्यवस्था के चयन करे ताकि संबंधित पक्षकारों को उसके संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अवसर मिल सके। तथापि, वर्तमान मामले में कानून द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया-विधि का अनुसरण नहीं किया गया है क्योंकि हितबद्ध पक्षकारों को न ही तृतीय देश के चयन के बारे में कोई नोटिस दिया गया है और न ही हितबद्ध पक्षकारों से ऐसा कोई अनुरोध किया गया है कि वे इस बारे में अपने सुझाव दें और तृतीय देश के बारे में उपलब्ध आवश्यक सूचना दें । इस प्रकार अनिवार्य प्रक्रिया-विधि का अनुसरण नहीं किए जाने की स्थिति में मौजूदा कार्यवाही को जारी नहीं रखा जा सकता है और शेन्यांग मत्सुशिटा 2005 (181) ईएलटी 320 (एससी) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय जो कि इस मुद्दे से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, को ध्यान में रखते हुए यह असाध्य बन गई है।

ग. प्रकटन पश्चात घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

(xix) निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन उत्पाद, समान वस्तु, प्रतिष्ठा, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में पहले से ही विस्तृत निवेदन किए गए हैं। अनुरोध है कि ऐसे समस्त निवेदनों को कृपया इन टिप्पणियों के भाग के रूप में ही माना जाए।

(xx) प्रकटन विवरण से यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने शान्डोंग केयुन फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटिड और झेजियांग जियोझोऊ कंपनी लिमिटिड को पृथक मार्जिन स्वीकार करने का प्रस्ताव किया है। इन निर्यातकों को पृथक मार्जिन मंजूर करने के प्रति हमारी निम्नोक्त आपत्तियां हैं और हमारे ऐसे तर्क के निम्नोक्त कारण हैं :-

(क) शान्डोंग केयुन फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटिड : हमारा यह निवदेन है कि मुख्य शेयर धारक, शान्डोंग केयुन और शान्डोंग केयुन फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटिड और लिनुओं ग्रुप कंपनी लिमिटिड हैं। सूचना से ऐसा पता चलता है कि लिनुओं ग्रुप मुख्य धारक कंपनी/ग्रुप है तथा शान्डोंग केयुन फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटिड और शान्डोंग लिनुओकेफेंग फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटिड, लिनुओं ग्रुप के अंग हैं। तथापि, निर्यातक द्वारा यह निवेदन किया गया है कि उसके शेयर धारक/संबंधित कंपनियां संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन अथवा बिक्री का कार्य नहीं कर रही हैं। इसके विपरीत उपलब्ध सूचना से ऐसा पता चलता है कि शान्डोंग लिनुओकेफेंग फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटिड ऐसी पहली कंपनी थी जिसने चीन जन. गण. में ग्लिक्लेजाईड का उत्पादन करने के लिए सरकार से लाईसेंस प्राप्त किया था। ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं किया जाने और उक्त कंपनी के सहभागी नहीं होने से प्रतिवादी निर्यातक के लिए पृथक मार्जिन का किसी भी प्रकार

का निर्धारण करने पर आर्थिक प्रभाव पडेगा । ईक्यू के प्रत्युत्तर भी यही बताते हैं कि शान्डोंग लिनुओकेफेंग फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटिड, प्रतिवादी निर्यातक से कच्चे माल के रूप में ग्लिक्लेजाईड की खरीद करती है । शान्डोंग लिनुओकेफेंग फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटिड द्वारा उत्पादन के बारे में अप्रकटन से ऐसा संदेह उत्पन्न होता है कि इस कंपनी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है। हम अपने निखित निवेदनों में इस आशय के निवेदन को बार-बार दोहराते हैं करते हैं। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त निर्यातक प्राधिकारी को इस मुद्दे पर कोई सार्थक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहा है। इन परिस्थितियों में उत्पादकों के बडे समूह में से यदि किसी एक प्रतिवादी निर्यातक को पृथक मार्जिन प्रदान कर दिया जाता है तो ऐसी संभावना उत्पन्न हो सकती है जिसमें उसी समूह के अन्य उत्पादक भी जो कि प्राधिकारी के समक्ष नहीं आए हैं और जो कि अन्यथा बची हुई श्रेणी में आते हैं, भारत मे ऐसी सामग्री का निर्यात करते समय समूह के भीतर प्रतिवादी निर्यातक के ऐसे पृथक मार्जिन का अनुचित लाभ उठा लेने से इंकार नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार शान्डोंग लिनुओकेफेंग फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटिड को पृथक मार्जिन स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए ।

(ख) **झेजियांग जियोझोऊ फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटिड** : हम झेजियांग जियोझोऊ कंपनी लिमिटिड के बारे में अपने निवेदन को पुन: दोहराते हुए यह कहते हैं कि इस निर्यातक ने अत्यधिक गोपनीयता बनाए रखी हुई है और इसने अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने शेयरधारकों के बारे में कोई सूचना नहीं दी है, जिसके कारण आम जनता के लिए उपलब्ध कराए गए तथ्य के आधार पर इस निर्यातक के निवेदनों की पुष्टि करने में हम स्वयं को असमर्थ पाते हैं। तथापि, झेजियांग जियोझोऊ कंपनी लिमिटिड का पश्चय लेख निवेदन है कि विचाराधीन उत्पाद में दो मुख्य ग्रेड नामत: आईपी/बीपी और ईपी निहित हैं तथा इन ग्रेडों के आधार पर ही इनकी तुलना की जानी चाहिए । हमारा प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि अंतिम परिणाम के प्रयोजनार्थ भी प्रकटन विवरण के पैरा 42 में प्रकट किए गए उनके विचारों की संपुष्टि की जाए । किसी भी परिस्थिति में निर्यातक ने अपने ईक्यू के प्रत्युत्तर में अपने इस तर्क की संपुष्टि नहीं की है जिससे यह पता चल सके कि ग्रेडों के बीच "विशिष्ट" लागत और कीमत में अंतर व्याप्त है और इसी आधार पर उनके इस तर्क को खारिज किया जा सकता है।

(ग) झेजियांग जियोझोऊ कंपनी लिमिटिड प्रत्यक्ष रूप से एक अविश्वसनीय उत्पादक है और जैसा कि हमारे यूएस एफडीए ने बताया है, वह कथित रूप से अन्य एपीआई (गेबेपेन्टीन) के कदाचार में लिप्त है। इस प्रकार हम इस निर्यातक के व्यवहार का प्रतिवाद करते हैं जिससे ऐसा पता चलता है कि विचाराधीन उत्पाद में जो कि फार्मा का मुख्य तत्व है, उसने कदाचार किया है। उपरोक्त परिस्थितियों में हम प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे झेजियांग जियोझोऊ फार्मास्युटिकल कंपनी कंपनी लिमिटिड को पृथक मार्जिन स्वीकृत करने से पहले झेजियांग जियोझोऊ फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटिड से संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यातित एपीआई की कथित मिसब्रांडिंग तथा उसके झेजियांग जियोझोऊ इंप एंड एक्सप कंपनी लिमिटिड के साथ अपने संबंध के बारे में उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करें। यदि निर्यातक सार्थक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होता है तो उस स्थिति में यही उचित होगा कि इस निर्यातक को कोई पृथक मार्जिन स्वीकृत नहीं किया जाए।

(xxi) जैसा कि पाटन रोधी करार/नियम में व्यवस्था की गई है, पाटन को रोकने और भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्द्धा व्यवस्था स्थापित करने के लिए ही पाटन-रोधी शुल्क लगाना आवश्यक होता है । ऐसे शुल्क को संयुक्त राज्य अमरीकी डालरों के रूप में निर्धारित मात्रा तक बनाए रखना अपेक्षित है।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

(xxii) आयातकों, निर्यातकों ओर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उठाए गए मुद्दों का निदान पहले से ही पूर्ववर्ती पैराग्राफों में कर लिया गया है। तथापि, स्पष्टीकरण की दृष्टि से कुछेक मुद्दों का निदान नीचे संक्षेप में किया गया है।

(क) याचिकादाता द्वारा प्रस्तुत किए गए दूसरे स्रोत नामत: आईबीआईएस से प्राप्त की गई सूचना और आंकडे, एनसीवी याचिका के ही भाग थे और ये सभी हितबद्ध पक्षकारों के संदर्भ के लिए उपलब्ध हैं।

(ख) जांच के दौरान विश्लेषण के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट प्राधिकारी ने डीजीसीआईएस के आकडों पर विश्वास किया है जो कि उन्हें सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए है । इन आंकडों को मेल की मार्फत सभी सहभागी हितबद्ध पक्षकारों को भी भेजा गया था । किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इन आंकडों के बारे में अपनी कोई विशिष्ट टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए प्राधिकारी का यह विचार है कि विश्लेषण ठीक ढंग से किया गया है।

(ग) जांच को पूरा करने के लिए समय सीमा को बढाने की सुविधा का लाभ पाटन रोधी नियमावली के नियम 17 (1) के अनुसार उठाया गया है। इसे महिन्द्रा एंड महिन्द्रा बनाम भारत सरकार और अन्य (डब्ल्यूपी (सी) 3022/2014) और वोल्क्सवेगेन इंडिया लिमिटिड बनाम भारत सरकार और अन्य (डब्ल्यूपी (सी) 3023/2014) के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार वैध ठहराया गया है।

(घ) आंकडों में अंतर होने के मामले में यह देखा गया है कि याचिकादाता ने यह दावा किया है कि उसने अपनी याचिका में पहले से ही विवरण प्रस्तुत कर दिए थे तथा विश्लेषण, जांच अवधि के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय आंकडों पर आधारित था क्योंकि याचिका प्रस्तुत करने के समय लेखाओं की लेखा परीक्षा नहीं की गई थी। लेकिन लेखा परीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने तथा तदुनसार प्राधिकारी द्वारा उसे सत्यापित कर दिए जाने पर बाद में उसमें संशोधन कर दिया गया था ।

(ङ) एपीआई की कीमत निर्धारण तंत्र और अंतिम फार्मूलेशन से संबंधित मामले का ऊपर विस्तृत विवरणों के साथ पहले से ही निदान कर दिया गया है और उसे यहां दोहराए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(च) औषधियों की कमी और कीमत में वृद्धि होने सहित जन हित से संबंधित मामले उपरोक्त पैराओं में विस्तृत विवरणों के साथ पहले से ही निदान कर दिया गया है और इसका और विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) विचाराधीन उत्पादों जैसे कि आईपी/ईपी/बीपी के भिन्न ग्रेडों से संबंधित मामले में निर्यातक द्वारा उठाए गए बिन्दु के बारे में जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया गया है, प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु जिसे अधिसूचना की शुरूआत की कार्रवाई में ग्लिक्लेजाईड परिभाषित किया गया है, के साथ आयातित वस्तुओं की तुलना करना एक श्रेष्ठ तुलना प्रक्रिया है और जैसा कि निर्यातक द्वारा उल्लेख किया गया है, विचाराधीन उत्पाद को आईपी/बीपी और ईपी ग्रेडों में वर्गीकृत करके तुलनात्मक लागत और कीमत निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है अथवा उसकी संपुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त निर्यातक ने अपने ईक्यू प्रत्युत्तर अथवा अपने स्थल पर जांच के दौरान अपने तर्क की संपुष्टि नहीं की है जिससे यह पता चलता है कि कि किसी भी प्रकार से इन ग्रेडों के बीच "विशिष्ट" लागत और/अथवा कीमत में अंतर व्याप्त है और इसी आधार पर उनके इस तर्क को खारिज किया जा सकता है।

(छ) किसी भी निर्यातक द्वारा कदाचार किए जाने डीआई के आरोप की जांच की गई थी और यह पाया गया है कि उसका विचाराधीन उत्पाद अथवा प्रासंगिक जांच से कोई संबंध नहीं है। प्राधिकारी ने मौजूदा मामले में निर्यातक के आंकडों पर विश्वास किया है।

<u>निष्कर्ष</u>

101. प्राधिकारी ने पूर्व में उल्लिखित तथ्यों पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि :

क. संबद्ध वस्तुओं का निर्यात भारत में संबद्ध देशों से इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है;

ख. घरेलू उद्योग को बहुत अधिक हानि हुई है;

ग. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों से बहुत अधिक क्षति हुई है;

घ. यह क्षति संबद्ध देशों से आयातों के द्वारा संचयी रूप से हुई है।

(क) <u>भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे</u>

102. प्राधिकारी इस तथ्य को मानते हैं कि पाटन रोधी शुल्कों को लगाये जाने से भारत में उत्पाद के कीमत के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को पाटन रोधी उपायों से कम नहीं किया जायेगा। इसके प्रतिकूल पाटन रोधी उपायों को लगाने से पाटन प्रथाओं द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को समाप्त किया जायेगा, घरेलू उद्योग की गिरावट को रोका जायेगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। उपभोक्ता अब भी आपूर्ति के दो अथवा उससे अधिक स्रोतों को बनाए रख सकते हैं।

103. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य तौर पर पाटन रोधी शुल्कों का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित की जा सके जो देश के आम हित में है। पाटन रोधी उपायों को लगाने से संबद्ध देशों से आयातों पर किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इन उत्पादों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) <u>सिफारिशें</u>

104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच को शुरू किया गया था और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना देने के लिए निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को समुचित अवसर दिया गया था। पाटन रोधी नियमावली के संबध में पाटन, क्षति और उसके

कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने तथा आयोजित करने के बाद और ऐसे पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई अत्यधिक क्षति तथा सकारात्मक पाटन मार्जिन स्थापित करने के बाद, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन रोधी शुल्क को पाटन और क्षति को रोकने के लिए लगाया जाना अपेक्षित है। अत: प्राधिकारी इसे आवश्यक समझते हैं कि वह नीचे दिए गए रूप में और तरीके से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाये।

105. प्राधिकारी द्वारा अपनाये जा रहे अपेक्षाकृत कम शुल्क के नियम के संबंध में प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और हानि के मार्जिन में से जो भी कम है उसके बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली हानि को दूर किया जा सके। तदनुसार, नीचे दी गई तालिका के कॉलम 9 में दर्शायी गई राशि के समतुल्य पाटन रोधी शुल्क को संबद्ध देश में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा लगाये जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र. स.	**शुल्क मद**	**सामानों का विवरण**	**विनिर्देशन**	**उत्तपति वाले देश**	**निर्यातक देश**	**उत्पादक**	**निर्यातक**	**राशि (अम.डा. में)**	**माप की इकाई**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	2942 00 90	ग्लिकलेजाइड	कोई भी विनिर्देशन	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	शांडॉग केयूवान फार्मास्टिकल कं. लिमि.	शांडॉग केयूवान फार्मास्टिकल कं. लिमि.	20.86	कि.ग्रा.
2.	2942 00 90	ग्लिकलेजाइड	कोई भी विनिर्देशन	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	जियांग जियूयोउ फार्मास्टिकल कं. लिमि.	जियांग जियूयोउ फार्मास्टिकल कं. लिमि.	18.26	कि.ग्रा.
3.	2942 00 90	ग्लिकलेजाइड	कोई भी विनिर्देशन	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	क्रम संख्या 1 और 2 पर दिए गए को छोड़कर कोई समूह		31.22	कि.ग्रा.
4.	2942 00 90	ग्लिकलेजाइड	कोई भी विनिर्देशन	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. के अलावा अन्य देश	कोई	कोई	31.22	कि.ग्रा.
5.	2942 00 90	ग्लिकलेजाइड	कोई भी विनिर्देशन	चीन जन. गण. के अलावा अन्य देश	चीन जन. गण.	कोई	कोई	31.22	कि.ग्रा.

106. इस अधिसूचना के प्रयोजन से आयातों का पहुंच मूल्य आकलन योग्य मूल्य होगा जिसका निर्धारण सीमा शुल्क 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा किया गया और इसमें उक्त अधिनियम की धाराएं 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार के सीमा शुल्क शामिल हैं।

107. इस अंतिम जांच परिणाम से उत्पन्न केंद्र सरकार के विरुद्ध कोई अपील सीमा शुल्क अधिनियम के अनुरूप सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी ।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2015

(Final Findings)

Subject: Anti-dumping duty Investigation in the matter relating to import of Gliclazide originating in or exported from China PR

F. No. 14/5/2014-DGAD:—Whereas, having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules,1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules); M/s Bal Pharma Ltd., Bangalore (hereinafter also referred to as the 'applicant', the 'petitioner' or the domestic industry) filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Act and the Rules, for initiation of antidumping investigation concerning imports of Gliclazide (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR, alleging dumping and consequent injury and requested for levy of anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the said country.

2. And whereas, the Authority on the basis of sufficient evidence, submitted by the applicant issued a public notice vide Notification F. No.14/5/2014-DGAD dated 28th August, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the sub Rule 5 of the Rules supra, to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

A. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed;

i. The Authority under the Rules supra, received a written application from M/s Bal Pharma Ltd., Bangalore on behalf of the domestic industry, alleging dumping of Gliclazide originating in or exported from China PR.

ii. Preliminary scrutiny of the application showed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the Applicant. The application was, therefore, considered as properly documented. The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the Applicant to justify initiation of the investigation, decided to initiate the investigation against imports of the subject goods from the subject country.

iii. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.

iv. The Authority issued a public notice dated 28th August, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from subject country to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

v. A copy of the public notice containing information as per Rule 6 (1) of the AD Rules has been forwarded to the known producers/exporters of the article alleged to have been dumped, the Government of the exporting country concerned, importers/users and other interested parties as per the provisions of sub rule (2) of Rule 6. List of such parties provided by the applicant in the application has been considered by the Authority for this purpose.

vi. The Authority also provided a copy of the application referred to in sub-rule (1) of Rule 5 of the AD Rules to the known exporters, the government of the exporting country, and also to other interested parties who made request in writing for the same as per Rule 6 (3) of the AD Rules.

vii. The Authority also wrote to such interested parties calling for any information, in such form as specified, from the exporters, foreign producers and other interested parties as per Rule 6 (4) and parties were asked

to submit such information within the time limits intimated to them. Necessary extension wherever warranted has also been permitted by the Authority. The parties who were not known to the Authority were given an opportunity to make their views in writing within forty days from the date of initiation of proceedings.

viii. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

a) Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd, Zhejiang Province, China PR,
b) Sino bright Import & Export Co., Guangdong, China PR,
c) Shandong Keyuan Pharmaceutical Co., Ltd, Shandong China PR,
d) Dragonfarm Co., Ltd, Hangzhou, China PR,
e) CIP Global Co., Ltd., Jinan, China PR,
f) Zhejiang Hengdian Imp. & Exp. Co., Ltd, Hangzhou, China PR,
g) Zhejiang Medicines and Health Products Import &Export Co., Ltd, Hangzhou, China PR.

ix. In response to the initiation notification and intimation, the following exporters / producers from China PR have responded to the Authority by filing Exporter Questionnaire Response;

a) Shandong Keyuan Pharmaceutical Co Ltd, China PR
b) Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd, China PR

x. The two producers/exporters from China PR i.e Shandong Keyuan Pharmaceutical Co Ltd, China PR and Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd, China PR responded, however, they have not filed the Market Economy Treatment (MET) Questionnaire or have not rebutted the presumption of non market economy status of China PR as per the anti dumping rules.

xi. Questionnaires were sent to the following known importers / users of subject goods in India calling for necessary information;

a. Dr. Reddy's Laboratories Limited,
b. Micro Labs Ltd,
c. Ipca Laboratories Ltd,
d. Alembic Limited,
e. Alkem Laboratories Ltd,
f. Panacea Biotech Ltd,
g. Indoco Remedies Ltd,
h. INTAS Biopharmaceuticals Ltd,
i. Cipla Ltd,
j. Aristo Pharmaceuticals Pvt. Ltd,
k. Pragati Impex,
l. C.J. Shah & Co.
m. Kores Labs
n. Harika Drugs Private Limited
o. Kreative Organics Pvt. Ltd.

xii. In response, following importers/users have responded by filing Importer Questionnaire responses/submissions;

a) Dr Reddy’s Laboratories Ltd,

b) Panacea Biotec Ltd.

xiii. Also, following importers/users responded to the Authority by making submissions/writing letters but did not file any Importer Questionnaire Responses as applicable;

a) Serdia Pharmaceuticals (India) Pvt Ltd,

b) Ipca Laboratories Ltd,

c) Micro Labs Limited.

xiv. The Authority made available non-confidential version of the evidences presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;

xv. The Non-injurious Price based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-dumping Rules has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.

xvi. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.

xvii. On site verification of the information provided by the applicant were conducted at the premises of the applicant and also the exporter/s. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, is relied upon for the purpose of this disclosure statement.

xviii. In accordance with Rule 6(6) of the Anti Dumping Rules, the Authority also provided opportunity to all the known interested parties to present their views orally in a public hearing held on 16th June, 2015. The parties, which presented their views in the public hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally. The interested parties were advised to file their rejoinder submissions thereafter. A second public hearing was held on 11th August 2015. This second Oral Hearing has been necessitated due to the change in the Designated Authority from the time of first Oral Hearing. This development mandates that a new public hearing be held by the new Designated Authority as per the judgement of the Hon'ble Supreme Court in the matter of Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA) vs Designated Authority, delivered in Civil Appeal No. 949 of 2006 on 07-01-2011

xix. Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2013 to 31st March 2014 (POI). The examination of trends, in the context of injury analysis, however, covered the periods Apr'10-Mar'11, Apr'11-Mar'12, Apr'12-Mar'13 and the period of investigation.

xx. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years and the period of investigation. The information was also submitted from secondary source namely IBIS. The data of DGCIS shows higher volume of imports therefore the Authority has relied upon the DGCIS data for the purpose of this finding.

xxi. *** in this Disclosure statement represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

xxii. Exchange rate for conversion of US$ to Rupees considered for the POI is Rs 60.85 per 1 US$ as per customs notifications from time to time.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. The product under consideration in the present investigation is "Gliclazide". Gliclazide is a bulk drug with a chemical name "1-(Hexahydrocyclopenta (c) pyrrol- 2 (1H)-yl)-3-{(4-methylphenyl) sulfonyl} urea" and contains 100% (+/-1%) of C15H21N3O3, calculated with reference to the dried substance. Gliclazide is a white or almost white powder in appearance practically insoluble in water, freely soluble in dichloromethane, sparingly soluble in acetone and slightly soluble in ethanol (96%). The subject goods are classifiable under Chapter 29 of the Custom Tariff Act, 1975 under Tariff item 2942 00 90. As provided in the application, subject goods are also being imported under other sub-headings such as 29110090, 2912 19 90, 2921 59 90, 2924 19 00, 2927 00 90, 2930 90 99, 2932 99 00, 2933 19 90, 2933 59 90, 2933 99 00, 2934 99 00, 2935 00 90, 2937 19 00, 2941 90 11, 2941 90 90, 2942 00 11, 2942 00 90, 3822 00 11, 3822 00 19. However, the HS Code is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

5. Gliclazide is used in Gliclazide based pharmaceutical preparations/formulations concerning Anti diabetic / Hypoglycemic drugs. Gliclazide is used for control of hyperglycemia in gliclazide-responsive diabetes mellitus

of stable, mild, non-ketosis prone, type 2 diabetes. It is used when diabetes cannot be controlled by proper dietary management and exercise or when insulin therapy is not appropriate. There are many types/brands of anti diabetic medicines based on different molecules available in the market and Gliclazide based anti diabetic medicines are one of them.

6. The petitioner has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the domestic like product produced by the domestic industry. The applicant has claimed that there is no known difference in applicant's product and subject goods exported from the subject country and are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods and there is no significant difference in the subject goods produced by the applicant and those exported from the subject country and both are technically and commercially substitutable.

Examination by the Authority

7. The Authority notes that the product under consideration in the present investigation is Gliclazide.

8. The Authority also notes that there are no submissions made by any of the responding interested parties disputing the product under consideration in the present investigation.

9. Rule 2(d) of the AD Rules defines like article as follows:

> *"an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has the characteristics closely resembling those of the articles under investigation".*

10. The Authority has examined the claims and notes that there is no known difference in subject goods produced by the domestic industry and exported from subject country. The subject goods produced by the domestic industry and that imported from subject country are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. None of the opposing interested parties have raised any objection in this regard. In view of the above, the subject goods produced by the applicant are being treated as domestic like article to the product under consideration imported from subject country in accordance with the anti-dumping Rules for the purpose this final finding.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

11. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

> *"(2) (b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are relate to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"*

12. It is noted that the application has been filed by M/s Bal Pharma Ltd., Bangalore on behalf of the "domestic industry". According to the applicant, they are the sole manufacturer of the subject goods in India. It has been submitted by the applicant that some other producers who were engaged in the manufacturing of subject goods seem to have discontinued their manufacturing since last several years and were not operational in the entire injury period of the present investigation. The applicant has also provided the names and address of such other producers who were engaged in the production of subject goods in the past as per their information but have expressed their inability to give details of production by them as no information is available in public domain.

The applicant has further certified that there are no imports of the product under consideration by the applicant or any of its related party from the subject country as per best of their knowledge and information.

13. It has been contended by one of the responding exporter that no details have been provided as to when did the other producers stopped producing the subject goods and no production and sales information of other four producers have been considered in the application for any of the year of the injury investigation period.

Examination by the Authority

14. The Authority notes in this respect that the Authority has sent Initiation Notification to all such other producers inviting them to submit necessary response before the Authority to gauge the factual position of their status or any other relevant information. The Authority, however, notes from the information furnished by the applicant that all such other producers discontinued their production since last many years and there is no evidence available to suggest that such other producers were engaged in the production of subject goods during any of the year of the injury investigation period. It is also noted that none of the interested parties have raised any substantial issues with regard to the standing and domestic industry status of the applicant

15. In view of the above position and since the production of the applicant accounts for "a major proportion" (comprises 100% of Indian production) in the total production of the subject goods in India, the Authority finds that the applicant constitute domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) supra and satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Anti- dumping Rules.

D. CONFIDENTIALITY

Submissions made by the Opposing Interested Parties

16. The submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties with regard to confidentiality and disclosure of information are as follows:

i. The domestic industry has claimed excessive confidentiality and claimed whole lot of information as confidential without providing any legitimate reasons and in violation of the Rules and detailed procedure laid down by the Hon'ble Authority.

ii. There is insufficient final finding of information in the Non confidential version of application provided by the applicant in the present investigation.

iii. Basis of dumping margin, injury margin etc not disclosed.

iv. Proper rebuttal on certain claims by the applicant can only be made after disclosure of all relevant information.

v. The domestic industry has claimed all the adjustments made to export price as confidential without assigning any reasons for claiming confidentiality on the same.

vi. The details relating to normal value, export price and dumping margin all have been claimed as confidential and the values have been given in ranges. The domestic industry has also not given any reasons for not disclosing the said details.

vii. Profit / loss and ROCE in percentage terms have been kept as confidential.

Submissions made by the Domestic Industry

17. The submissions made by the domestic industry with regard to confidentiality and disclosure of information and considered relevant by the Authority are as follows:

i. The EQ Response filed by the exporters and Importers Questionnaire response by importers does not reveal even volume information where as volume information such as capacity, sales, production etc pertaining to the domestic industry have been made available in the public file by the applicant.

ii. The responding exporters did not even disclose the range of dumping margins denying reasonable opportunity to the applicant to make effective submissions.

iii. The Authority may direct the exporters/importers to disclose the quantitative information about exports/imports into India since there can't be any justifiable reason for treating such rudimentary information as confidential

iv. Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd, a responding exporter, kept even the name of share holders as confidential without any logical reasoning which is an excessive use of confidentiality. The Authority should disclose the names of the share holders of this exporter.

v. Mere submissions of certain importers who have not filed the Importer Questionnaire Response should not be taken on record to observe fairness in the proceedings and it is undeniable that such parties are duty bound to provide all such information as prescribed by the Authority concerning the investigation to take part in the current proceedings.

vi. Applicant has claimed confidentiality on certain information provided by them as allowed in rule 7 of the AD rules and a meaningful summary of such information were also provided. The claims of interested parties made during the hearing that the applicant did not make necessary disclosure are baseless.

vii. The exporters/importers kept the figures pertaining to Export Volume, Import Volume, Production Capacity, Capacity utilization, Inventory in volume, Import price range/index, Export price range/index, Dumping margin % range etc confidential and this should not be permitted by the Authority.

Examination by the Authority

18. The various submissions made by the interested parties with regard to confidentiality/disclosure of information and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:

i. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules and (7) of rule 6, sub-rule (2), (3) (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

ii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

E. MISCELLENIOUS SUBMISSIONS

Submissions made by the Opposing Interested Parties

19. The summation of submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties with regard to miscellaneous issues during the course of the investigation is as follows;

i. Authority has acted in haste to initiate the present investigation, because overall interest of the essential drug users and pharma industry and overall end impact has not been taken into consideration by the Authority.

ii. The petitioner is not in a position to meet the Indian demand for the subject goods. Sales by the petitioner account only about 28% of the Indian demand. Even if their full capacity is taken into consideration, then also they can cater to only 50% of the Indian demand. This is when the diabetic cases in India have shown an increase of 123% between 1999 and 2013 as per a report in the Times of India dated 15.6.2015. The petitioner is also exporting huge quantities, which is also adding to the demand supply problem.

iii. Gliclazide formulations are controlled by NPPA and Gliclazide bulk drug price is not controlled, thus, anti dumping duties will have unfair effect on the drug manufacturers using the subject goods as raw material.

iv. AD duties may make imports costlier and demand supply gap may push up prices and diabetic patients may suffer. There is only a single producer of subject goods in India, thus, AD duty is not desirable.

v. Central Government did not impose anti dumping duty in the matter of Penicillin G and 6 APA, which was also a bulk drug, considering the demand supply issue. Hence, the Authority should not impose anti dumping duties in the present case also.

vi. The price of Gliclazide Tablets produced by certain producers is subject to DPCO price control. Anti dumping duties, if proposed, should be worked out keeping in view these facts.

vii. Imposition of anti dumping duties on subject goods will be against the policy of Government to make prices of branded/generic medicines cheaper.

viii. The domestic industry has not provided a hard copy and a soft copy in excel file of the raw/original import data received by it from IBIS along with the application nor it has indicated that the same has been provided to the Authority.

ix. It has been claimed on behalf of M/s Shangdong Keyun Pharma Co. Ltd, China that the Domestic Industry has claimed an inflated rate of return on Capital Employed to arrive at the non injurious price. It has been submitted that the Law requires that return to be adopted must be reasonable and not hypothetical. Reasonable means which can be substantiated with reason. Simple reason that DGAD has been adopting 22% consistently cannot be a ground for claiming reasonability. They have further stated that Designated Authority should adopt ROCE earned by

the Industry when there was no allegation of dumping as reasonable profit margin and not 22% ROCE.

Submissions made by the Domestic Industry

20. The miscellaneous submissions made by the domestic industry during the course of the investigation are as follows:

a) The claim of certain interested parties that overall interest of the majority users and overall end impact have not been taken into consideration by the Authority has no legal basis as the limited purpose of anti dumping duties are to remove the injurious effect of dumping and to re-establish fair play in the market.

b) The demand for Glicalzide has been in the range of 122 MT during the POI and the domestic industry's capacity has been at 60 MT/PA with significant level of inventories at hand during the POI. Even though it appears that the current capacity of domestic industry is sufficient to meet only about 50% of Indian demand, the fact of the matter is that the same has no bearing on the demand for diabetic medicines or diabetic patients as such in India. Gliclazide is only one of the molecules used for formulations for the treatment of Type II diabetes and the market information as per IMS- Health shows as follows with regard to the share of Gliclazide based diabetic medicines in India in overall diabetic medicine sales in India;

		2013-14		2014-15		Growth (%)
S.No		Rs.Cr	Share (%) of the total	Rs.Cr	Share (%) of the total	Over P.Y.
1	Diabetic Medicines Sales in India	5,353	100	6,692	100	25.01
2a	Type-1 (Insulin Based)	1,248	23.31	1,526	22.80	22.28
2b	Type-2(Oral based)	4,105	76.69	5,166	77.20	25.85
2b(i)	Non Gliclazide based	3,777	70.56	4,788	71.55	26.77
2b(ii)	Gliclazide based	328	6.13	378	5.65	15.24
3	Gliclazide sales of Petitioner as compared to overall diabetic medicines	15-20	Less than 1%	16-21	Less than 1%	
* Source:- IMS- Health, AN INTERNATIONALLY RECOGNIZED AGENCY						

c) The information from IMS clearly shows that the Gliclazide based diabetic formulation constituted only about 6% of the total anti diabetic medicines during the POI and sales of the petitioner has been less than 1% of the total diabetic medicines; thus the claim by the importers that the diabetic patients of India will be adversely impacted due to limited supply of subject goods is nothing but a baseless allegation adopted to camouflage the enormity of dumping on the domestic industry. Anti Dumping duties are not to stop imports per se but it is only to ensure fair competition in the Indian market. Importers/users can continue to import but at a fair price and not at dumped prices.

d) The National Pharmaceutical Pricing Authority being satisfied that it is necessary in the public interest to do so, notified the maximum retail price, including excise duty and local taxes, vide Notification No S.O 1730 (E), on formulation pack manufactured / marketed in brand name by M/s Panacea Biotech, M/s Serdia, M/s Dr. Reddy's Labs, M/s Indoco, M/s IPCA Labs, M/s Cadila Pharm. This order was necessitated because these producers charged a price for Gliclazide medicines exceeding the limit of simple average price of the medicine plus 25% as per market based data provided by M/s IMS-Health for the month of April, 2014.

e) It has been an argument of the opposing party that the DPCO price control along with anti dumping duty will have a huge cost impact on the price of Gliclazide based anti diabetic drugs. The relevant information in the table below gives numbers regarding the impact of 30% anti dumping duties, if imposed, and shows that such an argument is baseless and the impact would be very minimal. The below analysis is on the drug price as fixed by DPCO for certain producers. The analysis is based on price of imported Gliclazide which is self explanatory;

	Unit	30MG	40MG	60MG	80MG
Landed Price from China PR	Rs/KG	5,114	5,114	5,114	5,114
Landed Price from China PR if 30% ADD is Imposed	Rs./Tab	6,504	6,504	6,504	6,504
Increase in Cost on account of ADD	Rs./Tab	0.04	0.06	0.08	0.11
MRP as per DPCO/NPPA Order concerning Panacea, Serdia, Dr Reddy's, Indoco, IPCA and Cadila	Rs./Tab	5.77	3.26	9.90	5.00
Cost increase in relation to MRP	%	0.72	1.71	0.84	2.22

f) It may be noted that the impact of any anti dumping duty would be very negligible which is at best @ 0.72% to 2.22%. And even if the drug manufacturers are not able to pass on such negligible increase to the customers, then also it would only have a very trifling impact on their profits and without substantial increase in cost. Thus, the argument that the AD duties will lead to increase in price of the anti diabetic medicines in general are totally baseless.

g) The price of Gliclazide Tablets produced by certain producers is subject to DPCO price control. However, no anti dumping duty should be based on this price since the DPCO price control is not for the subject goods and the price control is not country wide. It pertains to certain producers of Gliclazide Tablets who were found to be over charging the diabetic patients.

h) A fair price for Gliclazide would be in the long term interest of Indian users of Gliclazide based diabetic medicines and existence of the domestic industry is highly dependent on fair price for the subject goods in the market. If dumping leads to closure of M/s Bal Pharma, the only remaining producer of this bulk drug in India, India would be solely dependent on imported subject goods which can create monopolistic pricing by China PR. Thus, imposition of anti dumping duties on Gliclazide are not against public interest as alleged by the importers/users but it is essential to protect the public interest in the long run.

i) The contention of the interested parties that the DI does not have the capacity is therefore they cannot seek imposition of ADD is misguided. The capacity over the years remained the same when the demand increased because of the presence of dumped materials from China PR and the petitioner was suffering huge losses. Had the petitioner been in a position to sell the material at remunerative prices, it could have expanded the capacity also. Notwithstanding the above, the Gliclazide based diabetic medicines constitute only around 6% of the total diabetic medicines in India and there is no such supply gap vis-à-vis diabetic medicines and capacity to produce Gliclazide as imputed by the importer. It's a fact that the present capacity of petitioner is about 51% of the Indian demand for Gliclazide (and not diabetic medicines), but this can be increased in case of a fair market condition and is no justification for allowing dumping to continue. Moreover, the jurisprudence is clear from the decision of the Hon'ble Tribunal and various decisions of the Authority as mentioned below for ready reference that meeting entire demand is not a pre condition to seek protection against dumping.

j) The claim of certain interested party that production by domestic industry does not account even for 50% of domestic demand and that they do not have dedicated capacity for the subject goods, has no legal or factual basis to say that no anti dumping duty should be imposed. It can be seen from the petition that the market share of the domestic industry in the domestic demand remained around 28% during the POI wherein it has the capacity to cater to more than 50% of the domestic demand. The jurisprudence surrounding the ability of the domestic industry to cater to the significant portion of domestic demand has been a contentious issue in several investigation and the Designated Authority and also the Hon'ble CESTAT has taken an unambiguous view on this aspect which clearly illustrates that the domestic producer seeking protection under anti dumping scheme is not duty bound to meet the entire or any significant portion of the domestic demand, nor it is a prerequisite to file an application for imposition of anti dumping duties. Anti dumping duties are not against imports per se. Anti dumping duties are targeted to re-establish a level playing field in the domestic market by eliminating elements of dumping. The views taken by the Authority in certain past cases and also CESTAT in this respect are as follows;

i) CESTAT- DSM Idemitsu Limited Versus Designated Authority (2000 (119) E.L.T. 308 (Tribunal)

" 11. As can be seen from the record not only its market share has been increased substantially but goods were dumped into India at low price compared to other countries. For

instance, during 1996-97 Japanese price was Rs. 50 per Kg. as against Rs. 68 per Kg. of other exporting countries. It was submitted on behalf of the appellants that Domestic Industry was not in a position to meet the market requirements and hence, Japan came to the rescue of needy consumers in supplying the requisite material. If the exporters wanted to supply the goods to meet the requirement in Indian market that could be done by exporting the requirements at a price equivalent to normal value but not at a dumped value and to capture the market, as it was rightly pointed out by the counsel for the Designated Authority. On going through the worksheet of the Authority and the confidential information placed before us, we find that fair selling price of EPDM was determined at optimum level of capacity utilization for the period of investigation. The D.A. has clearly brought out that Domestic Industry has suffered material injury and it was compelled to sell the goods at prices below the cost of production. Balance sheets for the relevant years also substantiate this position that right from the start of commercial production, the unremunerative pricing has led to losses every year. It has not been able to charge a fair selling price which permits recovery of full cost of production and earn a reasonable profit and even it could not attain the estimated target due to dumped imports from Japan. (Italics supplied)".

ii) Sunset Review (SSR) anti-dumping investigation concerning imports of Acetone, originating in or exported from Korea RP- Final Findings dated 4th December, 2014.

"29. As regards the submission that domestic industry is not capable of meeting the entire demand in the country and import is inevitable, the Authority notes that it is not mandatory on the part of the domestic industry under the Anti-dumping Rules 12 to fulfil the entire demand to be eligible for a fair price in the market. Moreover, the Authority notes that imposition of anti-dumping measures do not prevent the importers/users to import, but rather ensures multiple sources of supply at fair and competitive prices". (Italics supplied)

iii) Anti-dumping investigation concerning imports of Phenol originating in or exported from Taiwan and USA-Final Findings dated 6th August, 2014.

"47. i. With regard to the contention that imposition of Anti Dumping Duty will be in violative of WTO Agreement especially when petitioner company meets only 12% of the demand, the Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain all sources of supply at a fair market price. Imposition of anti dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Indian Rules or WTO Agreement does not contain any provision with regard to minimum share that the domestic industry must command in demand/consumption of the product in the Country before the domestic industry can seek redressal against dumping under the Rules" (Italics supplied)

iv) Anti-dumping investigation on import of PVC Suspension Resin from European Union (EU) and Mexico – Final findings dated 4th April, 2014

"115. With regard to the contention that despite significant demand supply gap, the domestic industry has not expanded capacities, the authority notes that while it may be true that the domestic industry may not be able to meet the demand, the same does not justify existence of dumping of the product and adverse price effect on the domestic industry. It is also noted that the domestic industry has contended that continuous adverse market conditions with regard to product under consideration has prevented the domestic producers from further enhancing the capacities" (Italics supplied)

k) Concerning the contention that the petitioner is exporting huge quantities and this is adding to the demand supply issue, it is submitted that exports by the petitioner are not by denying the subject goods to the Indian customers. In fact, export takeoff helped the petitioner to avert a complete shut down on account of injurious dumping from subject country. Also, the volume realisation in the domestic market was moderate however the petitioner got a huge loss making price as a result of availability of dumped material from China PR.

l) It is also submitted that even though significant demand for the product remained in the Indian market, the domestic industry was put in a situation of huge financial losses as an effect of injurious dumping from subject country. In fact, continuous adverse market conditions with regard to subject goods on account of dumping from China PR prevented the domestic industry from achieving any reasonable and legitimate profits and further enhancing the capacities.

m) It is an incorrect observation that there is unjustified increase in depreciation and interest and how fixed assets increased when capacity remained the same. In this regard, these figures as such haven't increased. The proforma IV A shows the domestic figures and the increase in figures such as depreciation, interest, NFA needs to be seen in light of significant variation in domestic sale and export sale over the years. The figure after apportionments also would undergo changes in proportionate to variations in domestic sale and export sale position and would reflect differently over the years accordingly even though the overall and per unit figures show a comparable picture. Thus, the apprehensions of the importer are misplaced and the facts of present case and the Safeguard case cited by the importer are different. Here, the cause of injury is dumping and any injury on account of other factors not attributed to dumping.

n) Concerning the contention of certain interested parties that imposition of anti-dumping duties will limit the availability of subject goods, it is submitted that this is a misconception. Imposition of anti dumping duties will ensure level playing field in the market for both Indian and foreign suppliers and the same will not restrict availability of subject goods. The law/WTO Agreement does not permit dumping in the commerce of another country and any beneficiary of such dumping is enjoying an illegitimate benefit which is subject to be axed by appropriate anti dumping measures. Legitimate interests of domestic industry can only be protected through imposition of anti dumping duties in the present case.

o) Concerning the contention of certain interested parties that costlier imports and demand supply gap may push prices up and diabetic patients may suffer, moreover there is only a single producer of subject goods. It may be mentioned that imposition of anti dumping duties are not to stop imports, rather it provides a level playing field for imported as well as indigenous products. Diabetic patients would not suffer as anti dumping duties would not restrict the availability of the product. In fact, M/s Bal Pharma is the last surviving producer in India and it is in the interest of diabetic patients and India as a country at large that this company should be protected, else the price of imports of subject good will go up unchecked if no domestic producer is exists in India. Thus, duty is inevitable.

p) Concerning the contention of certain interested parties that huge demand supply gap necessitated imports, it is submitted that demand supply gap do not permit dumping in the market. Domestic industry's share in the domestic demand remained at around 28%. Company was forced to match its prices with the dumped prices offered by the Chinese producers leading to huge financial losses. In fact, the market share of 28% maintained by the company was not so prudent in light of huge losses suffered by the company. And even such market shares can't be maintained for any prolonged time at the cost of financial losses. Thus, the issue is not of demand supply gap, the issue is the dumped prices offered by Chinese producers. Imposition of anti dumping duties will re-establish a level playing field in the market and the domestic industry would be in a position to supply more quantity at prudent prices.

q) Concerning the contention of certain interested parties that price of Gliclazide formulations by certain producers are controlled by NPPA and Gliclazide bulk drug price is not controlled, it is submitted that anti dumping duties are not taxations which will lead to price increases per se. Anti dumping duties are determined at a level to remove the injurious effect of such dumped prices and import price of the subject goods with applicable anti dumping duties needs to be construed as the fair price of the subject goods. Hence, the contention has no meaning. Moreover, it can be reasonably assumed that NPPA would have determined the price for formulations considering fair prices of raw materials with reasonable returns and not by considering the dumped rates of key raw materials. Theoretically, if the raw material prices increase after imposition of anti dumping duties, then the producers of formulations are at liberty to approach the NPPA for a review of the prices. Thus, the NPPA price control of formulations for certain producers is no argument or justification to deny fair price for subject goods in the Indian market produced by the domestic industry or to promote dumping of subject goods in the country. The jurisprudence is settled on this account. It is also noteworthy that life saving drugs like Metronidazole is also attracting anti dumping duty in India for more than a decade.

r) Concerning the contention of certain interested parties that the Central Government did not impose anti dumping duty in the matter of Pencilin G and 6 APA, the contention has no nexus to the investigation under question. Prerogatives of the Central Government under Rule 18 will come into picture only after a recommendation by the Designated Authority. Any decision by the Central Government may depend upon the facts of the particular case. In fact the Central Government has imposed anti dumping duties on life saving drugs like Metronidazile, bulk drug like Cefadroxil Monohydrate, Ceftriaxone Sodium Sterile etc. Also, it can be noted that while the domestic industry in Pen G and 6APA had the capacity to meet 31% and 12%, Bal Pharma's capacity is sufficient to meet more than 50% of the domestic demand and the company was left with unutilized capacity during the POI. Notwithstanding these factual position, the most crucial fact which the Authority should take note of in this case is that at least four other Indian producers who were manufacturing the subject goods have closed their production due to unviable and injurious situation created by dumping. Fate of petitioner also would not be different if the dumping is not

stopped. Having caused the closure of certain producers and putting the sole remaining producer of subject goods under severe material injury, the importers/exporters cannot now take the plea that domestic industry is not in a position to meet the Indian demand and no anti dumping duty should be imposed.

Examination by the Authority

21. The various miscellaneous issues raised by the interested parties considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:

a) With regard to the argument that the Authority acted in haste to initiate the present investigation and the overall interest of the essential drug users and pharma industry and overall end impact has not been taken into consideration; it is noted that the present investigation has been initiated based on sufficient prima facie evidences showing dumping of subject goods from China PR and consequent injury suffered by the domestic industry as required in the anti dumping rules. The Authority had also called for additional information wherever required and examined the information furnished by the domestic industry. Also, upon initiation all the interested parties were given an opportunity to submit their submissions following the initiation which is a matter of consideration in this investigation. Anti-dumping investigations are based on facts and the law mandates analysis and assessment of magnitude of dumping and consequent injurious effect on the domestic industry and the lesser duty rule as accepted in Indian anti dumping rules aiming at the end impacts or no measure beyond what is essential.

b) With regard to the submission that the petitioner is not in a position to meet the entire Indian demand and even the capacity set up by the petitioner is only at around 50% of the Indian demand, the Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still access all sources of supply at a fair market price. Imposition of anti dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Indian Rules or WTO Agreement does not contain any provision with regard to minimum share that the domestic industry must command in demand/consumption of the product in the Country. The Authority further notes that the antidumping rules provide for imposition of suitable and adequate anti-dumping measure to provide a fair and level playing field to the domestic industry vis-à-vis dumping.

c) With regard to the argument that the diabetic cases in India have shown an increase of about 123% between 1999 and 2013 as per a report in the Times of India dated 15.6.2015 and the anti dumping duties would lead to shortages of anti diabetic medicines in India, the Authority notes that Gliclazide is only one of the molecules which goes into the production of anti diabetic medicines and as per the information available on record indicates that Gliclazide based drugs are only about 6% of the total anti diabetic medicines in India. Even if duties are imposed, the quantum of duty would only be to such an extent as to establish a fair price for the product in the Indian market and not beyond that. Thus, the argument that entire population of diabetic patients will be impacted upon imposition of anti dumping duties in Gliclazide is not true.

d) With regard to the argument that AD duties may make imports costlier and demand supply gap may push prices up and diabetic patients may suffer thus AD duty is not desirable, the Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, and would prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

e) The submission that Gliclazide formulations are controlled by NPPA but Gliclazide bulk drug price is not controlled and imposition of anti dumping duties will affect the drug manufacturers using the

subject goods as raw material was noted by the Authority. The relevant extracts of the notification are as below:

"The National Pharmaceutical Pricing Authority monitors the prices of decontrolled (non-scheduled) formulations on regular basis and wherein, from the data obtained from IMS-Health, it was observed that prices of Gliclazide Tablets in the strength of 30mg, 40mg. 60 mg and 80 mg manufactured / marketed in brand name by the respective company namely M/s Panacea Biotech, M/s Serdia, M/s Dr. Reddy's Labs, M/s Indoco, M/s IPCA Labs, M/s Cadila Pharma were found exceeding the limit of simple average price of the medicine plus 25% as per market based data provided by M/s IMS-Health for the month of April, 2014. In accordance with the guidelines issued by the NPPA, after approval of the Competent Authority, in respect of price fixation of non-scheduled formulations under para 19 of DPCO, 2013, prices of such formulations, as specified in the table below, manufactured / marketed by the above mentioned company(ies) were unjustified and against public interest in as much as it puts an unreasonable burden on the consumers without sufficient justification.

Now, therefore, in exercise of the powers delegated under para 19 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 vide S.O. No. 1394(E) dated 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, and thereafter, the National Pharmaceutical Pricing Authority being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby notifies the maximum retail price including excise duty and local taxes, of the following formulation pack manufactured / marketed in brand name by M/s Panacea Biotech, M/s Serdia, M/s Dr. Reddy's Labs, M/s Indoco, M/s IPCA Labs, M/s Cadila Pharma, as applicable".

f) It is noted that the DPCO has imposed price controls for Gliclazide Tablets produced by certain drug manufactures only and it is not a country wide measure. The reason notified by NPPA for such measure was to rectify the unreasonable burden on the consumers and fix a maximum retail price for Gliclazide tablet manufactured / marketed in brand name by M/s Panacea Biotech, M/s Serdia, M/s Dr. Reddy's Labs, M/s Indoco, M/s IPCA Labs, M/s Cadila Pharma to avoid unjust prices charged by these producers. This was done in public interest. The price controls imposed by DPCO on Gliclazide based drugs produced by certain drug manufacturer has no bearing on the operation of AD Rules. Also, anti dumping duties have a limited purpose of counteracting dumping and injury caused on account of the same so as to re-establish a fair market situation in India.

g) With regard to the argument that the Central Government did not impose anti dumping duty in the matter Pencilin G and 6 APA, which was also a bulk drug, considering the demand supply issue, the Authority notes that the role of Designated Authority in anti dumping investigation is recommendatory in nature and the decision of the Central Government to impose or not to impose duty is a matter of its discretion based on facts of each case exercised upon recommendations by the Designated Authority. While it is clear that facts of the present case are fairly different from that of the case cited by the interested parties, it is also noted that the said cases did not set any precedence for the Designated Authority to act in a particular manner while recommending duties.

h) With regard to the contention that imposition of anti dumping duties on subject goods will be against the policy of Government to make prices of branded/generic medicines cheaper, it is noted that the antidumping rules provide for imposition of suitable and adequate anti-dumping measure to provide a fair and level playing field to the domestic industry vis-à-vis dumping.

i) With regard to the contention that the domestic industry has not provided a hard copy and a soft copy in excel file of the raw/original import data received by it from IBIS along with the application nor it has indicated that the same has been provided to the Authority, the Authority notes that the petition, both CV and NC version, contains transaction wise import information about import of subject goods from subject countries and other. All the relevant information was made available to interested parties in the public file maintained in the Directorate and open for inspection any time.

j) With regard to the issue raised by the exporter concerning increase of fixed assets without any corresponding increase in installed capacity, it has been observed that additions in fixed assets are towards replacement of equipments which has not resulted in any capacity enhancement. The NIP has been worked out keeping this aspect in consideration.

k) With regard to the argument of the exporter concerning return on capital employed, it is submitted that the NIP in an antidumping investigation is determined as per Annexure III of the AD rules and the same provides for a reasonable return on capital employed as well. The Authority as a matter of consistent practice has been allowing 22% return on capital employed while determining the NIP.

With regard to the CESTAT case cited by the exporter, it is submitted that the facts of the said case is different from the present case nor there is any court ruling which prohibits the Authority from adopting its consistent practice on reasonable return while determining NIP in the present case. Also, the practice of EC is not binding on the Indian Authority and what is relevant is its consistent practice.

ASSESSMENT OF DUMPING – METHODOLOGY AND PARAMETERS

F. MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN.

a. Market Economy Treatment

22. It is noted that Shandong Keyuan Pharmaceutical Co Ltd and Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd from China PR have responded to the Authority by filing the EQ Response following initiation of the present investigation. It is also noted that these two responding producers/exporters from China PR, have not filed the MET questionnaire response to rebut the presumption of non market economy country as per the terms of Para 8 (2) of the Annexure I to AD rules.

Submissions made by the Opposing Interested Parties

23. Submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties are as follows;

i. Normal value cannot be determined on the basis suggested by the applicant as it depends upon the nature of technology, consumption norms of raw materials and the plant capacity.

ii. The method of computing dumping margin is not correct and illusory, as situation and plant conditions are different. Not even minimum disclosure on these aspects has been made.

iii. The petitioner has determined Net Export Price and Landed Value incorrectly. No evidences of determination of Normal value, export price dumping margin etc been provided.

Submissions made by the Domestic Industry

24. The submissions made by the domestic industry are as follows;

i. China PR should be treated as Non Market Economy country for the purpose of present investigation and Normal Value in case of Chinese producers should be determined as per the provisions of Annexure I Para 7.

ii. Chinese producers have been denied MET status in several investigations including recently concluded investigations by both Indian Authority and other countries like EU, USA, Australia etc as a part of various anti dumping investigations by treating China PR an NME country.

iii. MET status can be given only in the event of fulfilment of all the MET conditions by the responding producers/exporters and not otherwise. Thus, requirements of para 8 (3) of Annexure I of AD rules has to be fulfilled holistically to obtain MET status.

iv. Market economy status cannot be given in a situation where one of the major shareholders is a State owned/controlled entity. Market economy status cannot be granted unless the responding Chinese exporters pass the test in respect of each and every parameter laid down under the rules.

v. Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values. The expression “substantially reflect market values” has been widely interpreted to mean that the price of these inputs must be comparable to the prices prevailing in the international market. The fact that such prices are comparable to the price prevailing in China is grossly insufficient.

vi. Market economy status cannot be given unless the responding exporter establishes that their books are audited in line with international accounting standards. Market economy treatment must be rejected in

such situations where Chinese exporters are unable to establish that their books are consistent with International Accounting Standards (IAS).

vii. The onus is on the responding Chinese exporters to establish that they are operating under market economy conditions after satisfying all the conditions mentioned in AD Rules.

viii. Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim. If one or more companies forming part of the group have not filed the response, market economy status must be rejected, irrespective of the fact that the other companies of the group involved in production or sale of the product under consideration have filed the response.

ix. In a situation where the current shareholders have not set up their production facilities themselves but have acquired the same from some other party, market economy status cannot be granted unless process of transformation has been fully transparent and completely established through documentary evidence.

x. The cooperating producers/exporters in the present investigation have not rebutted the presumption of NME status by filing all relevant information as per MET Questionnaire. China PR should be treated as Non Market Economy country based on this fact alone.

xi. The EQ Response filed by Shandong Keyuan Pharmaceutical Co., Ltd appears incomplete and certain material facts apparently have not been disclosed to the Authority. As per the information available, the principal share holders of this exporter are Shandong LinuoKefeng Pharmaceutical Co., Ltd., and Linuo Group Co., Ltd. The information also shows that Linuo Group is the main holding company/group and both Shandong Keyuan Pharmaceutical Co., Ltd and Shandong LinuoKefeng Pharmaceutical Co., Ltd. are part of Linuo Group. However, it has been submitted by the exporter that its share holders/related companies are not engaged in the production or sale of the subject goods. On the contrary, available information shows that Shandong LinuoKefeng Pharmaceutical Co., Ltd was the first company to get government license to produce Gliclazide in China PR. The non disclosure of this information and non participation of the said company have material impact on any determination of individual margin for the responding exporter. The EQ Response also says that Shandong LinuoKefeng Pharmaceutical Co. Ltd, purchases Gliclazde as a raw material from the responding exporter. The nondisclosure about production by Shandong LinuoKefeng Pharmaceutical Co. Ltd also puts serious doubts on the submission that this company has not exported the subject goods to India. Thus, Shandong Keyuan Pharmaceutical Co., Ltd should not be granted individual margin.

xii. Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd has resorted to excessive confidentiality in its response and very basic information which ought to have been disclosed such as name of share holder have been held confidential without any logical reasoning. In view of the above, we request the Authority to subject the EQ Response by this also exporter to strict scrutiny and call for information from DG Systems/Customs to ascertain the factual position of exports by this exporter. Until the factual position is gauged by the Authority, this exporter also should not be granted individual margin.

Provisions relating to Non-Market Economy countries

25. The Authority notes that the relevant provisions laid down under Annexure I to the Antidumping Rules with regard to "Market Economy Treatment" are as follows;

> *[8. (1) The term "non-market economy country" means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in sub-paragraph (3).*
>
> *(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an anti-dumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a nonmarket economy country.*
>
> *Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).*

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether:

(a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

(b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;

(c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and

(d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate:

Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph]".

[(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti dumping investigations, by a country which is a member of the World Trade Organization]."

Examination by the Authority

26. The Authority notes that in the past many years China PR has been treated as a non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the Rules.

27. The Authority notes that none of the producers/exporters of the subject goods from China PR who responded to the Authority in the present investigation has submitted the Market Economy Treatment questionnaire consequent upon the Initiation Notification issued by the Authority or has sought to rebut the non-market economy presumption.

28. It is also noted that the responding producer/exporter namely Shandong Keyuan Pharmaceutical Co Ltd and Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd, China PR have not claimed MET status by filing all the relevant information as per the MET questionnaire or has sought to rebut the non-market economy presumption. This shows, the firms from China PR may not be able to rebut such a presumption by providing information and evidence to the Authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3) of Para 8 to the Annexure I.

29. In view of the same, the Authority finds it appropriate not to grant MET status to these responding producers/exporters i.e. Shandong Keyuan Pharmaceutical Co Ltd, China PR and Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd, China PR and also to all other producers/exporters from China PR in the present investigation.

b) Determination of Normal Value

Submissions made by the Opposing Interested Parties

30. The application does not contain relevant information sufficient to determine normal value, export price and dumping margin to justify an initiation of anti dumping investigation against China PR.

31. The petitioner has determined Net Export Price and Landed Value incorrectly and no evidences of determination of Normal value, export price dumping margin etc has been provided.

32. It has been submitted by Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd from China PR that the subject goods i.e. Gliclazide are manufactured as per the norms prescribed under Indian Pharmacopeia (IP), British Pharmacopeia

(BP) and European Pharmacopeia (EP). The manufacturing norms are stricter for EP as compared to IP/BP. There is not much difference in IP/BP grades and therefore these two grades can be taken under one category. With the stricter norms of EP, the EP grade cost of production is significantly higher as compared to IP/BP grades and thus EP grade is sold at a higher price. They have requested for making a fair comparison for the two sets of grades of Gliclazide i.e. EP and IP/BP separately for the determination of dumping margin in accordance with the provisions of Article 2.4 of the WTO ADA and Rule 10 read with Para 6 of Annexure I of the Indian Anti-dumping Rules.

Submissions made by the Domestic Industry

33. In relation to certain contentions raised by some interested parties on determination of normal value and dumping margin, it is submitted that the applicant submitted normal value and dumping margin as per the available information and methods permissible specified in the AD Rule and relevant annexure to the rule. Details of such calculations are provided in the NCV application which is elaborate and contains all essential specifics. Thus, the misapprehensions and contentions of the interested parties have no basis.

34. The argument of the exporter that a fair comparison should be made by classifying the PUC into IP/BP grades and EP grades is without any merit. The exporter is making certain unsubstantiated claims in this respect for the first time whereas in the EQR itself the exporter admitted that "There is only one type of the product concerned". Even the information in EQR is provided on this basis and no claim whatsoever about grades have been made by the exporter. In fact, certain claims of the exporter by way of this written submission casts serious doubts on the credibility of the EQ Response itself as the Appendix 8A and 8B submitted by the exporter does not differentiate between such grades and the said appendixes were provided for Gliclazide or the PUC as defined. In view of this alone, it is submitted that the attempt of the exporter is to create doubts in the mind of the Authority and is trying to delay the investigation by introducing new and unsubstantiated arguments. Interestingly, the exporter did not claim or substantiate the current argument that the cost of EP grade is significantly higher as compared to IP/BP grade in any of its earlier submission and a mere statement is made to misguide the Authority. As per the claim itself of the exporter the only difference between IP/BP and EP is in terms of one of the purity test condition and rest everything remained the same as per Annexure 1 to their written submission. It is our humble submission that until and unless the exporter establishes "significant" differences in cost and price of EP grade vis-à-vis IP/BP grade, the Authority should not consider this argument at all. As far as the petitioner is concerned, the petitioner is manufacturing and supplying all three grades and similar is the case of imports into India. Thus, a comparison of PUC with the like article produced by the domestic industry which is Gliclazide as defined in the initiation notification at an average level is the best comparison and there is no need or any substantiated need to compare cost and price by classifying the PUC into IP/BP and EP grades is brought before the Authority by the exporter making the entire claim untenable and rejectable by the Authority.

Examination by the Authority

35. The application contained relevant information sufficient to determine normal value, export price and dumping margin to justify an initiation of anti dumping investigation against China PR. Also, the basis of determination of normal value, export price and dumping margin for the purpose of this final finding statement as per the AD Rule and relevant annexure is elaborated at appropriate places in this final finding statement and the same is self explanatory.

36. With regard to determination Net Export Price and Landed Value, the Authority has followed regular procedure as prescribed in the Rules.

37. The Authority notes that none of the producers/exporters from China PR have been found to be operating under market economy condition for determination of normal value in case of China PR in terms of Para-6 of Annexure-1 to the Rules. Under this circumstance, the Authority is not in a position to apply Para 8 of Annexure 1 to the Rules to the Chinese producers/exporters and the Authority has to proceed in accordance with Para 7 of Annexure - I to the Rules.

38. Paragraph-7 of the Annexure-1 to the Anti-dumping Rules provides as follows:

> *"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without*

any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments".

39. According to these Rules, the normal value in China can be determined on any of the following basis:

a) On the basis of the price in a market economy third country, or

b) The constructed value in a market economy third country, or

c) The price from such a third country to other countries, including India.

d) If the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include reasonable profit margin.

40. The Authority notes that for determination of normal value based on third country cost and prices, the complete and exhaustive data on domestic sales or third country export sales, as well as cost of production and cooperation of such producers in third country is required. No such information with regard to prices and costs prevalent in these markets have been provided either by the applicant or by the responding exporters, nor any publicly available information could be accessed, nor the responding Chinese companies have made any claim with regard to an appropriate market economy third country. In view of the same, the Authority proceeds to construct the normal value based on any other reasonable basis.

41. The Authority proceeds to determine the Normal value for China PR on available facts basis in terms of second proviso of Para 7 of Annexure 1 to the AD Rules. Accordingly, In terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules, the Authority has constructed the Normal value for the Chinese producers on the following basis –

a) International prices of raw materials i.e. N Amino and PTS Urea have been considered.
b) Consumption of raw materials and conversion costs have been adopted on the basis of information/ data of most efficient producer of the domestic industry.
c) Selling, general & administrative costs have been taken on the basis of information/data of most efficient producer of the domestic industry.
d) Profit has been taken @ 5% of ex-factory cost excluding interest.

The normal value so determined is as mentioned in the dumping margin table below.

42. A comparison of the imported goods with the PUC and the like article, produced by the domestic industry which is Gliclazide as defined in the initiation notification, is the best comparison and there is no need or any substantiated need to compare cost and price by classifying the PUC into IP/BP and EP grades as pointed out by the exporter. The request for classifying the PUC into various IP/BP/ EP grades for analysis and comparison is rejected by the Authority.

c) Determination of Export Price

Shandong Keyuan Pharmaceutical Co Ltd, China PR

43. In the EQR, Shandong Keyuan Pharmaceutical Co Ltd, China PR has given details of the exports made to India. The Authority made adjustments as claimed by the exporter in their EQ response in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Price adjustments have been made on account of overseas freight, inland freight, insurance, clearing charges, credit costs, bank charges & VAT etc. on the basis of the questionnaire response filed by the exporter and the related producers. After making the acceptable adjustments, the Authority determined the weighted average net export price as mentioned in the dumping margin table below.

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd, China PR

44. In the EQR, Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd, China PR has given details of the exports made to India. The Authority made adjustments as claimed by the exporter in their EQ response in order to arrive at the net export price at ex-factory level. Price adjustments have been made on account of overseas freight, inland freight, insurance, clearing charges, credit costs, commission, bank charges & VAT etc. on the basis of the questionnaire response filed by the exporter and the related producers. After making the acceptable adjustments, the Authority determined the weighted average net export price as mentioned in the dumping margin table below

All other Producers/Exporter from China PR

45. In respect of non-cooperating producer/exporters from China PR, the Authority has determined their net export price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. Accordingly, the net export in respect of the non-cooperating exporters from China PR so determined is as mentioned in the dumping margin table below.

d) Determination Of Dumping Margin

46. Based on normal value and export price, the dumping margin for co-operative producers/exporters and others from China PR is as follows:

Particulars	Normal Value US$/Kg	Export price US$/Kg	Dumping Margin US$/Kg	Dumping Margin %	Range
Shandong Keyuan Pharmaceutical Co Ltd	***	***	***	***	45-55
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd	***	***	***	***	45-55
All other Producers/Exporters	***	***	***	***	70-80

G. INJURY DETERMINATION AND CAUSAL LINK

Methodology For Injury Determination And Examination Of Injury And Causal Link

Injury Examination

Submissions made by the Opposing Interested Parties

47. The following are the injury related submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties:

a) Domestic industry's problems are associated with introduction of any new drug initially and the performance of the domestic industry is yet to be settled. Thus, the present case does not merit any imposition of anti dumping duties.

b) There is no price undercutting in the present case, imports are steady and there is absence of causal link in the present case. Import price has come down and domestic price has gone up.

c) Costs and expenses on multiple plants and basis of allocation need to be properly studied.

d) There are supply problems with the Indian producers of subject goods and the users look at importing from China at economical costing.

e) There is a huge demand supply gap for the subject goods in India which necessitated imports.

f) The injury to the domestic industry is not realistic. The low domestic sale is due to the exports of domestic industry.

g) There is no volume injury to the domestic industry as admittedly its production, capacity utilization, sales, market share, productivity, number of employees etc. all have shown significant improvement during the injury investigation period.

h) It may be seen that the total sales of the domestic industry are more than their production indicating that their inventory in the period of investigation has declined and therefore, with regard to inventory also there is no injury to the domestic industry.

i) The domestic industry has projected that there is price injury to the domestic industry in terms of various parameters like price undercutting, price depression etc. It is submitted that the positive price undercutting in the current investigation is the result of incorrect determination of landed value. Once the landed value is corrected, there will not be any price undercutting.

j) With regard to price suppression and price depression, it is submitted that their linkage to alleged dumped imports from China is imaginary and not real.

k) It may be seen that the NFA of the domestic industry have increased by more than 300% over the injury investigation period. However, interestingly there is no increase in the capacity of the subject goods of the domestic industry.

l) It may also be seen that the consequent effect of such a significant increase in NFA has resulted into a significant increase in depreciation cost by 235% and interest cost by 174% over the injury investigation period. The increase in investment in NFA also resulted into increase in number of employees engaged by the company and the wage bill also increased by more than 53%.

m) Increase in cost of the domestic industry is as a result of its own business decisions to increase NFA but not due to any external factors including alleged duping. Therefore, the claim of the domestic industry that the imports from subject country have not allowed to fully recover its costs is not justified under the facts and circumstance of the case. Rather, it is a case of self-inflicted injury to the domestic industry.

n) There is no causal link between the alleged dumped imports and injury to the domestic industry. The domestic prices and the import prices are moving in different directions. It clearly indicates that the import prices have no bearing in the domestic prices.

o) It may be seen that there is a significant decline in the export sales of the domestic industry as the same have come down from its peak sales of 35327 MT in 2011-12 to 22620 in the POI. Thus, the domestic industry has reduced its prices significantly under compulsions due to reduction in its exports but not due to decline in the import prices which is negligible.

p) The Authority failed to consider that the data provided by the applicant includes imports by traders rather than imports by actual end users and imports by end users is what needs to be considered.

q) It is the domestic cost which regulates the price of imports. The importers were unable to match the price of domestic industry.

r) Petitioner is the sole producer and earns monopolistic profits and wants to stop any imports to expand the profits.

s) There is no underselling at the price at which the petitioner supplied to a particular end user and average selling price of the petitioner for a particular period would show a wrong price effect.

t) Potential decline in factors not examined.

u) There is unjustified increase in cost of interest and depreciation. These are the main causes of Injury to the petitioner.

v) It is the price war started by the petitioner itself, which is the main cause of the alleged price injury and not subject imports.

w) There is absence of falling profits of the petitioner and subject imports. The imports from China PR remained constant with an increase in landed price to the tune of 14% and the petitioner increased its price by 4%. It could have increased its prices more.

x) Facts of the present application shows there is an incorrect non injurious price (NIP) determination.

Submissions made by the Domestic Industry

48. The following are the injury related submissions made by the domestic industry in brief

a) An objective and holistic evaluation of various economic parameters would clearly demonstrate that dumped imports from subject country have caused material injury to the domestic industry.

b) The domestic industry has faced huge financial losses on account of aggressive dumping adopted by producers/exporter from China PR.

c) Although some injury indicators such as production volumes and capacity utilization followed a positive trend, a number of other indicators relating to the financial situation of the domestic industry, namely profitability, return on investment, cash profit etc remained negative.

d) The price effect of the dumped imports has been significant as a result of which profitability of the domestic industry has deteriorated and situation of the domestic industry turned into loses.

e) The increase in certain volume parameters however remained irrelevant and not of any material positive effect on the overall situation of the domestic industry as the domestic industry was forced to reduce its price consistently and below profitable levels to maintain its capacity utilization to reduce the effect of fixed costs and resultant production and sales at the cost of financial losses and negative returns.

f) The price at which the product under consideration is imported into India is below its normal value resulting in significant dumping margin.

g) The price undercutting throughout the injury period is significant as there is significant difference between the prices offered by the Domestic Industry and producers/ exporters from subject country. Thus, the low landed price of imports from subject country had a direct consequential impact on the price and performance of the domestic industry.

h) The domestic industry has been compelled to offer sub-optimal prices lowering profitability to a negative level and to the level which is unviable and continuity of operation is hugely impacted.

i) Presence of import at very low and dumped price preventing domestic industry to increase their price to the extent of increase in input cost, thus imports are suppressing the selling prices of the domestic industry and also causing depressing effect.

j) Reduction in profits directly resulted in deterioration in return on capital employed and cash profits. The domestic industry has not been able to cover the cost of capital. Thus, losses, negative return on capital employed and also cash profit is directly due to dumped imports.

k) The injury caused to the domestic industry is on account of dumped imports from subject country only.

l) Concerning the contention of certain interested parties that the domestic industry's problems are the once associated with any new drug initially, it is submitted that the petitioner has been in operation for several years now. In fact, certain other producers who were engaged in the production of subject goods have closed their plants primarily owing to dumping as per our information. Fate of petitioner also would not be different if anti dumping duties are not imposed. The financial losses faced by the company owing to dumped prices offered by the exporters from China PR have very seriously affected the financial strength of the company and its viabilities are in serious question. It is a bogus argument that performance of the domestic industry are yet to be settled whereas the fact of the matter is immediate protection is required to help the domestic industry to survive further. Petitioner's case is clearly of material injury and not of material retardation by any figment of imagination.

m) Concerning the contention of certain interested parties that the unit may be producing from intermediate stage, wrong plant capacity is quoted etc it is submitted that these comments have no persuasive value and needs to be rejected.

n) Concerning the contention of certain interested parties that disclosure of export price of the petitioner should be made, it is submitted that the petitioner has claimed such information as confidential as permissible in the rule by providing adequate justification which should be treated so by the Authority.

o) Concerning the contention of certain interested parties that there is no price undercutting, imports are steady and there is absence of causal link it is submitted that the contentions have no nexus with the reality and are denied. There is significantly positive price undercutting from China PR. Imports from China PR has increased by the POI and was at significant levels considering domestic demand and production. Domestic industry was forced to reduce its prices so as to match the landed price of dumped imports.

p) Concerning the contention of certain interested parties that they face supply problems with the Indian producers of subject goods and they look at importing from China at economical costing, it is submitted that it is an unsubstantiated argument that they face supply problems from the Indian producer. In fact, the importers do bargain based on dumped prices offered by the Chinese producers and the price offered by the users at times may not even meet the conversion cost of subject goods. Imports from China PR are not on account of inability of Indian producer to supply but solely on account of dumped prices offered by them.

q) Concerning the claim that here is no volume injury to the domestic industry as admittedly its production, capacity utilization, sales, market share, productivity, number of employees etc. all have shown significant improvement over the injury investigation period, the Authority may note that such

positive volume trends did not yield any good end results in terms of price as well since the dumped imports were prevalent in the Indian market. The overall situation was that of material injury.

r) There is no basis to the argument of opposing interested parties that there is no price injury. In fact, the cut throat competition offered by the dumped prices left the domestic industry at huge financial losses.

s) Concerning the claim of the opposing interested parties that NFA of the domestic industry have increased by more than 300% over the injury investigation period when there is no increase in the capacity of the subject goods of the domestic industry, the Authority may note that the contention is misleading.NFA per KG would show a consistent picture. Also the trend in total NFA value is also consistent with the change in domestic and export sales over the years. NFA concerning domestic sales alone should be looked at along with the change in domestic sales over the years. Domestic sale which was 9 MT in the base year increased to about 36 MT in the POI and a similar increase trend is visible in the domestic NFA figures also.

t) Concerning the contention that significant increase in NFA has resulted into a significant increase in depreciation cost by 235% and interest cost by 174% over the injury investigation period and the increase in investment in NFA also resulted into increase in number of employees engaged by the company and the wage bill also increased by more than 53%, the Authority may note that these factors on Per KG basis showed a consistent trend. Increase in total wage needs to be seen light of the increase in employment however it can be seen that the increase in wages showed minimal increases taking into consideration the labour laws of the country also.

u) Concerning the contention that increase in cost of the domestic industry is as a result of its own business decisions to increase NFA but not due to any external factors including alleged dumping and the Authority may note that there hasn't been any huge increase in the NFA for the subject goods as whole as alleged by the interested parties. NFA per KG remained very consistent over the period.

v) Concerning the argument that there is no causal link between the alleged dumped imports and injury to the domestic industry, the Authority may note that this contention is wrong and injury has been on account of dumping of subject goods from China PR alone.

w) Concerning the argument that that there is a significant decline in the export sales of the domestic industry as the same have come down from its peak sales of 35327 MT in 2011-12 to 22620 in the POI, it may noted that the injury claimed in the petition are on account of domestic operation alone. Also, the petitioner has been achieving a better realisation for its exports.

x) Concerning the argument that Authority failed to consider that the data provided by the applicant includes imports by traders rather than imports on actual by end users and imports by end users is what needs to be considered, this argument has no legal basis and average price is what relevant.

y) Concerning the argument that the domestic cost which regulates the price of imports and the importers were unable to match the price of domestic industry, this is a self serving and frivolous argument brought in to downplay the enormity of dumping faced by the domestic industry.

z) Concerning the claim that Petitioner has not suffered any injury as there is no volume effect, the Authority may note that the present case is all about serious price injury when volume parameters showed positive trend. It is clear that dumping prevented better price realisation in a growing market for the subject goods.

aa) The price war by adopting dumping strategy was started by the Chinese exporters to penetrate into the Indian market, which otherwise remains a fair market place to the domestic industry. The customers are engaged in a direct price bargain based on the dumped prices offered from China PR and the petitioner was forced to reduce its prices to non remunerative levels, the other option only was to shutdown the plant completely. Also, the claim of no injury margin determination has no basis. The petitioner claimed price undercutting as well as underselling. In any case, the injury margin is determined by the Authority based on principles enshrined in Annexure III. There is significant injury margin in the present case.

bb) Larger public interest is taken care in the AD rule itself since India follows lesser duty rule. The importer who is talking about reasonable price to diabetic patients has been found making exorbitant profits and NPPA had to step in to control the prices of Gliclazide Tablets sold by them. Imposition of duties will create only a negligible increase in price of imported product and no impacts on their product as such claimed by the importer. Nor the importer could quantify the impact on them or rebut the claims of the petitioner on facts. AD duties will provide a level playing field in the Indian market that is the larger public interest and not the closure of petitioner's plant as wished by the parties

engaged in dumping. Accordingly, the prayer of Panacea also should be found as misleading and should be rejected by the Authority.

cc) The argument that DI wants to sell at loss is absurd. There are no compelling reasons for the domestic industry to sell at loss making prices other than the stiff price competition on account of dumped imports. Further, increase in sales alone does not suggest absence of any material injury as envisaged in the AD rule. Also, being sole producer doesn't vitiate Bal Pharma's rights to fair price and protection against dumping.

dd) The profitability of the company as a whole is not relevant for the present investigation and the injury data pertaining to the subject goods shows severe material injury suffered by the domestic industry. On the contrary, it's a fact emerging out of the NPPA notification that drug manufactures like Dr Reddy's were making supernormal profits (more than 25%) from the sale of Gliclazide Tablets and NPPA had to step into regulate the prices. In the same period, petitioner faced huge financial losses in subject goods business. It is clear that the importers took the benefit of dumping practiced by Chinese producers and they want the situation to continue to earn unethical profits at the cost of an established industry in India. This shows the importer hasn't come with clean hands and AD duties are essential to counter act dumping from China PR.

ee) Petitioner has relied upon IBIS data and has also requested the Authority to provide us import data as per DGCI&S. However, since the PUC is imported under around 20 customs subheadings, DGCI&S data which is available product subheading wise may not show the real picture of import

Examination by the Authority

49. The Authority has taken note of submissions made by the interested parties. The Authority has examined the injury to the domestic industry in accordance with the Anti-dumping Rules and considering the submissions made by the interested parties.

50. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

51. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows.

> *"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."*

52. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and submissions made by various interested parties.

Volume Effect Of Imports on the Domestic Industry

Assessment of Demand

53. Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

i. Demand and Market Share

Particulars	Unit	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**POI**
Imports from Subject Country	KG	76,411	72,480	68,247	85,600
Indexed	Trend	100	95	89	112

Imports from Other Countries	KG	4,151	5,850	4,240	8,146
Total imports	KG	80,562	78,330	72,487	93,746
Share of Subject Country in imports	%	94.85	92.53	94.15	91.31
Sales of Domestic Industry	KG	9,891	13,753	20,545	36,895
Indexed	Trend	100	139	208	373
Sales of other Indian Producers	KG	NA	NA	NA	NA
Demand	**KG**	**90,453**	**92,083**	**93,032**	**1,30,641**
Indexed	Trend	100	102	103	144
Imports from Subject Country	%	80.48	78.71	73.36	65.52
Imports from Other Countries	%	4.59	6.35	4.56	6.24
Sales of Domestic Industry	%	10.94	14.93	22.08	28.24

54. The Authority has examined the volume of imports of the subject goods as per the transaction wise import data provided by DGCIS. On the basis of import data on record, the import volume from subject country is found to be above the de-minimis levels.

55. It is observed that imports from subject country increased in absolute terms and was all along more than 90% of the total imports into India throughout the injury period including the POI. It is also noted that imports from other countries showed an increase from 5% in the base year to 8% in the POI which is negligible. Thus, the volume of imports from the subject country increased in absolute terms and subject country imports accounted for the substantial part of total imports into India.

56. It is seen from the above table that demand of the product in the country has shown a positive trend and significant growth over the injury period particularly in POI.

57. The Authority also noted that the sale of the domestic industry in the base year was very low and the same constituted about 13% of the domestic demand. It is also noted that the share of the domestic industry even though showed an increase to 30% by the POI, the actual sales volume remained far below dumped imports in overall demand. The domestic demand is dominated by the imports and the market share of domestic industry is only 30%.

58. It is also observed that imports from subject country have been higher than total Indian production throughout the injury period and imports from subject country remained at a very significant level vis-à-vis demand for the product in the country. Thus, imports from subject country have increased significantly in relation to production and consumption in India and remained at a noteworthy level throughout the injury period. Dumped imports in relation to production have significantly increased over the years and through the POI.

59. It is observed that sales of the domestic industry showed increasing trend. Domestic industry claimed that even though the above volume parameters shows an increasing trend, the associated price parameters showed sharp decline and financial losses have been suffered by the domestic industry. Thus, even though sales volumes were increased, it was at the best achieved by adjusting the price to match the landed price of imports but the enormity of price adversities persists. The Authority notes that substantial share of the domestic demand is held by imports and such imports are creating significant price effects on the domestic industry.

ii. Production, Capacity & Capacity Utilization

60. Capacity and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the following table:-

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Capacity MT	KG	60,000	60,000	60,000	60,000
Production of DI	KG	***	***	***	***
Capacity utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	122	103	137
Production in relation to Demand	%	***	***	***	***

61. It is observed that capacity utilization of the domestic industry increased up to 2011-12, but declined in 2012-13 and increased again in the POI. However, the capacity remained stagnant. Domestic industry claimed that even though the above volume parameters show an increasing trend, the associated price parameters show sharp declines and financial losses have been suffered by the domestic industry. Any expansion in the present capacity would highly depend on a favourable and fair market situation for the subject goods.

62. It is also noted that the domestic industry has contended that continuous adverse market conditions with regard to the subject goods has prevented the domestic producer from further enhancing the capacities and they are in fact incurring huge losses when there exists significant demand for the product.

63. Production showed increasing trend throughout the injury period. The Authority, however, notes that production in relation to demand has shown a decline in POI as compared to the base year 2010-11.

iii. **Inventories**

64. The Inventories with the domestic industry increased significantly in the POI, as follows:

	Units	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Average Stock	KG	101	100	847	1,386
Index	Trend	100	100	838	1372
Stock as no. of days sale	Days	1	1	8	9

PRICE EFFECT OF THE DUMPED IMPORTS ON THE DOMESTIC INDUSTRY

65. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the purpose of this analysis, the weighted average cost of production (COP), weighted average Net Sales Realization (NSR) and the Non-Injurious Price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject country.

a) Price Undercutting

66. The net sales realization was arrived after deducting all rebates and taxes. Landed value of imports has been calculated by adding 1% handling charge and applicable basic customs duty to the CIF value of subject imports. The landed value of imports was compared with net sales realization of the domestic industry and analysis is as below:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Net Sales realization	Rs./KG	***	***	***	***
Landed Value	Rs./KG	5,127	5,884	5,209	5,018
Price Undercutting	Rs./KG	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	Range	15 - 25	5- 15	10 - 20	5- 15

67. It is observed that landed price of imports from subject country has been significantly lower than the net sales realization of the domestic industry resulting in significant price undercutting. Landed price of import from subject country shows decreasing trend after some increases between base year and 2011-12. Domestic industry claimed that they have been clearly prevented from increasing prices to a remunerative level which would have been possible if dumping had not been taking place from China PR.

b) Price Underselling

68. Non injurious price has been worked out for the domestic producer by appropriately considering the cost of production for the PUC during the POI, in accordance with Annexure III of the AD Rules, and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling, as follows:

Particulars	Unit	China PR
Non-injurious price	Rs/KG	***
Landed Value	Rs/KG	5,018
Price underselling	Rs/KG	***
Underselling	%	***
Underselling	%Range	25-35

69. The analysis of the price underselling, which is an important indicator of assessment of injury, shows that the landed value of subject imports was significantly below the non-injurious price.

c) Price suppression/depression

70. The Authority examined whether the effect of the dumped imports was to depress the prices of the like article in India, or prevent price increases which would have otherwise occurred.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Cost of production	Rs./KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	107	102
Selling Price	Rs./KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	98	88
Landed Value	Rs./KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	102	98

71. It can be seen from the table above that while the cost increased from 100 to 102 from 2010-11 to POI, the selling price declined from 100 to 88 during the same period meaning thereby the prices were suppressed on account of dumped imports as the domestic industry was not able to increase its prices in proportion to increase in costs. It is evident that the landed price of imports was causing price suppression of a significant magnitude showing serious price effects on the sales realization of the domestic industry apart from serious price undercutting. Thus, the dumped imports were creating price suppression effect on the domestic industry.

d. Profit/Loss

72. The profitability of the domestic industry is given in the following table;

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Profit	Rs./lakhs	***	***	***	***
Profits	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(391)	(254)	(417)

73. It is noted that profitability of the domestic industry declined significantly during the POI. The adverse impact and injury are visible on the profitability position of the domestic industry during the entire injury period.

e. <u>Return on capital employed</u>

74. Information regarding return on capital employed is given in the table below:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
NFA- Domestic	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	85	96	111
Working Capital- Domestic	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	87	81	66
Capital Employed- Domestic	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	86	88	86
Capital Employed Domestic-NFA	Rs. Lakh	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	120	182	319
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(79)	(40)	(121)

75. The Authority notes that return on capital employed for domestic industry has deteriorated significantly over the injury period and continued to be significantly negative in the POI. It is also noted that the capacity over the years remained same and the capital employed for the production of PUC as a whole showed downward trend with deteriorated working capital position. Adverse impacts and injury are visible on the ROCE position of the domestic industry during the POI.

f. <u>Cash Flow</u>

76. Information regarding cash profit of the domestic industry is given in the following table:

	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Cash profits	Rs. Lakh	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-221	-198	-687

77. It is seen that the cash profits of the domestic industry declined steeply over the injury period and became negative. It is also noted that the cash profit and cash flow situation of the domestic industry recorded adverse situation.

g. <u>Factors affecting domestic prices</u>

78. Change in cost structure, competition in the domestic market and prices of competing substitutes, if any have been examined for analyzing the factors other than dumped imports that might be affecting the prices in the domestic industry. As the petitioner is the only producer of the PUC there is no domestic competition which could have led to the decline in prices. The landed value of subject imports is below the selling price of the domestic industry which may be the reason for decline in selling price of PUC.

h. <u>Productivity</u>

79. Authority notes that productivity of the domestic industry shows same trend as that of production. Productivity shows an increasing trend and it cannot be presumed that the domestic industry suffered because of any under performance in productivity.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Productivity/ employee	KG/Nos.	***	***	***	***
Productivity/Day	KG/day	122	148	126	168

i. Employment and Wages

80. The employment level has increased throughout the injury period and POI but at very marginal levels. Overall wages per kg showed an increase of about 12% over the base year which appears to be a normal increase coincided with a decline in POI vis-à-vis immediate previous year. It is noted that normal wage increases coupled with improved productivity shows the domestic industry was not under any adverse situation on these parameters. Thus, it cannot be said that the cause of injury to the domestic industry has been adverse impacts of wages and employment.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Employment	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	108	119
Wages	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	133	112
Wages	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	119	138	153

Growth

81. The Authority notes that growth of the domestic industry was negative in a number of parameters.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Cost of Sales	%		17.98	(8.93)	(5.15)
Domestic Sales-Price(NSR)	%		4.13	(6.28)	(10.05)
Profit/ (Loss) per KG	%		(291)	35	(64)
PBIT	%		(195)	23	(430)
Cash Profit	%		(321.34)	10.62	(247.23)
ROI	%		(18.42)	4.04	(8.29)
Demand	%		5.71	27.52	16.34
Average Stock	%		-0.50	746.83	63.71
Cost of Sales	%		***	***	***
Domestic Sales-Price(NSR)	%		***	***	***
Profit/ (Loss) per KG	%		***	***	(64)
PBIT	%		***	***	(430)
Cash Profit	%		***	***	(247.23)

ROI	%		***	***	(8.29)
Demand	%		***	***	16.34
Average Stock	%		***	***	63.71

j. Ability to raise capital investment

82. It is noted that the domestic industry's ability to pump in any additional investments in the product depends upon the market situation for the product concerned. It is seen that the profitability of the domestic industry has marked sharp decline and the domestic industry has been suffering financial losses. The situation has been seemingly not viable to raise additional capital investment when the ROI from the existing investments were suffering. Hence, dumping of the product might have created adverse impact on the ability of the domestic industry to raise capital investment for the PUC.

k. Conclusions On Injury

83. An examination of the various parameters of injury along with the volume and price effects of imports clearly reveals that material injury has been caused to the Domestic Industry during the period of investigation. There is an increase in the volume of imports of subject goods from the subject country during the injury investigation period in absolute terms as well as in relation to the total imports, domestic production and total demand in the country.

84. With regard to price effect on account of dumped imports of subject goods from subject Country, it is noted that imports are significantly undercutting the prices of domestic industry. Further, the domestic industry has suffered price suppression on account of dumped imports. The sale price of subject goods has not increased in proportion to increase in cost of production of subject goods during the injury period and in turn declined over the base year. Comparison of the landed value with the non-injurious prices of the Domestic Industry also reveals significant price underselling. In view of the above, it is concluded that even though the performance of the domestic industry has marginally improved in respect of production, capacity utilization and domestic sales, the performance has deteriorated in respect of profit, cash flow, return on investment and inventories. The decline in profits, return on investment and cash flows is quite significant and material. Thus, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury during the period of investigation.

85. Negative growth of domestic industry in many parameters when the market demand for the product showed consistent growth inter alia shows that the domestic industry was prohibited from taking benefits of such positive market situation due to significant presence of dumped imports with significant price undercutting and underselling. Apparently, the adverse price effects on account of dumped material vitiated the momentum achieved in terms of volume parameters and the petitioner could not convert such volume growths into an overall growth story and instead faced negative growth in terms of all most every price parameter.

86. The claim of demand supply gap has no relevance de-jure or de-facto. Gliclazide based anti diabetic medicines constitute only about 7% of the total anti diabetic medicines market in India. Petitioner is the only company existent in India producing this bulk drug which is one of the molecules for anti diabetic medicines but is on the verge of closure if anti dumping duties are not imposed. After any closure of the petitioner, India would be dependent on Chinese market for this important product which will be against the larger public interest in India, thus, the protection of petitioner against dumping is important. The manufacturers of Gliclazide formulation were getting the material at dumped prices and they were overcharging the consumers leading to NPPA to step in and impose price control over certain Gliclazide based anti diabetic medicine manufactures. Thus, locus of drug manufacturers after unfairly charging the customers to argue for the public interest is highly questionable. Even if duties to the tune of 30% are imposed, it can only have about 0.72% to 2.70% increase in cost of Gliclazide based diabetic formulations which are very negligible. Thus, the claims of demand supply gap and cost increase raised by the opposing interested parties are untenable.

87. Anti dumping duties are required to be imposed to curb dumping and to establish fair competition in the Indian market for Gliclazide.

H. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS

88. Having examined the existence of material injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price underselling and price suppression, and depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-Dumping, the Authority has examined whether other factors listed under the AD Rules could have contributed to injury to the domestic industry. The examination of causal link has been done as follows;

(a) Volume and prices of imports from third countries

89. During POI, imports of the subject goods from countries other than the subject country have been insignificant in volume and were reported at high prices. Therefore, the imports from other countries cannot be considered to have caused injury to the domestic industry.

(b) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

90. It is noted that there is a single market for the subject goods where dumped imports from the subject country compete directly with the subject goods supplied by the domestic industry. It is also noted that the imported subject goods and domestically produced goods are like articles and are used for similar applications/end uses. There is no evidence of trade restrictive practices of and competition between the foreign producers and domestic producers causing injury to the domestic industry.

(c) Contraction of demand or Changes in the pattern of consumption

91. The Authority notes that demand for the product showed significant increases during the injury period and also during POI, thus, it is concluded that injury to the domestic industry was not due to contraction in demand.

(d) Development in Technology

92. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the domestic industry.

(e) Export performance of Domestic Industry

93. The details of exports by the petitioner are as follows:

Period	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Volume in KG	***	***	***	***
Indexed	100	114	65	64
Price in KG	***	***	***	***
Indexed	100	114	123	119

94. The injury analysis has been done by the Authority taking into consideration their domestic operations only. Therefore, performance in the export market has not affected the present injury analysis. Notwithstanding this, the Authority notes that the export price has increased significantly over the base year whereas the domestic prices declined significantly. The Authority also takes note of the submission of the applicant that the decline in export volume is not real volume loss but the same is a reflection in the domestic sales since certain MNC drug manufactures started their operations in India and the material was supplied to them herein in India itself.

(f) Productivity of the Domestic Industry

95. Productivity of the domestic industry increased consistently. However, regardless of changes in productivity levels, the profitability of the domestic industry showed continued decline. Thus, decline is productivity is not the cause of injury to the domestic industry.

96. From the foregoing, it is thus noted that listed known other factors do not show that the domestic industry could have suffered injury on account of them. None of the interested parties has also provided any evidence to suggest that the material injury caused to the Domestic Industry is attributable to other known factors.

I. FACTORS ESTABLISHING CAUSAL LINK

97. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has materially injured over the injury period and through the POI. The causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:

(a) Subject goods are imported into India at dumped prices. The dumped imports from subject country have significantly increased over the injury period. Significant increase in imports from subject country coincided with significant share in the domestic market adversely affected the ability of domestic industry to increase its market share to a significant level along with a fair and profitable price;

(b) The imports of subject goods from subject countries were significantly undercutting the prices of the domestic industry in the market. Resultantly, the domestic industry was not able to increase its prices commensurate with the increasing costs. Further, there is significant price underselling.

(c) The pressure on the domestic prices of the domestic industry led to significant loss of profitability and return on investment during the POI. The reduction in the prices coupled with the increase in costs has adversely affected the financial performance of the Domestic Industry and the domestic industry was incurring huge financial losses.

(d) Performance of the Domestic Industry was also affected adversely in terms of poor cash flow and rising inventories. Deterioration in profits, return on capital employed and cash profits are direct result of dumped imports;

(e) The growth of the domestic industry became negative in terms of a number of parameters.

98. The Authority is of the view that the above grounds clearly establish existence of causal link between dumped imports from subject country and injury to the domestic industry.

J. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN

99. The Authority has determined non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules, as amended. The non-injurious price so determined has been compared with the landed prices of imports from the subject country. The injury margin so determined is significant.

Sl.No.	Producer/ Exporter	Non Injurious Price - US$/Kg	Landed value - US$/Kg	Injury Margin - US$/Kg	Injury Margin - %	Injury Margin Range - %
1	Shandong Keyuan Pharmaceutical Co. Ltd.	***	***	***	***	20-30
2	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd.	***	***	***	***	15-25
3	Any other from China PR	***	***	***	***	40-50

H. Post disclosure Statements/Submissions

100. The submissions made and points raised are the same as raised earlier and dealt with above in this finding. However, they are being summed up again hereunder:

A. Submissions by the Importer

i. Rule 17(1) of the Anti-Dumping Rules requires the Designated Authority to issue final finding within a period of one year from the date of initiation. The only exception is provided under proviso to Rule 17(1), which can be invoked only where existence of "special circumstances" can be demonstrated. Since there existed no special circumstances in the present case, the investigation could not have continued beyond one year.

ii. Import statistics have not been provided as received from Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S). The respondent feels that Designated Authority has not provided the complete details and in absence of complete information, no meaningful submissions can be made on import data.

iii. The Designated Authority has neither disclosed the source nor the international raw material prices in arriving at the Normal Value for Chinese exporters. The basis for arriving at the net export price for non-cooperating exporters has not been disclosed. Therefore, the correctness of the dumping margin arrived at cannot be commended upon. The Designated Authority has kept the indexed figures of cost of sales and selling price as confidential. The Designated Authority has treated the Landed Value as confidential. As the Designated Authority has not disclosed the landed value of imports, the Respondent submits that the injury

determination by the Designated Authority is doubtful. It is not known what adjustments have been made by the Authority. Unless the same is provided, the determination of price undercutting and price underselling cannot be examined by the interested parties.

iv. There is a demand supply gap to the extent of 72% and is unlikely to be bridged by the Petitioner since it is operating at near optimal capacity utilization. The petitioner will not be in a position to meet the entire demand in India. Imposition of anti-dumping duty in such a scenario will only increase the burden on the ultimate patients.

v. The companies on which DPCO is applicable have a limited profit margin because of the upper price limit fixed for selling the final product. If anti-dumping duty is imposed, the respondent will have to incur deep losses and stop the production altogether because it cannot pass on the increased cost of manufacture as a result of costlier raw material-Gliclazide. This will result in shortage of anti-diabetic medicines for Indian citizens and will ultimately affect the health of Indian citizens at large.

vi. Consideration of 22% return on capital employed for determination of Non-Injurious Price incorrect: In view of the decisions of Hon'ble CESTAT, the Respondent has submitted that consideration of 22% ROCE is incorrect. The Designated Authority has not provided any reasoning for differentiating the case of Indian Spinners Association vs. Designated Authority in 2004 (170) ELT 144 (tri-del) from the present case.

vii. The comparison of the disclosure statement with the petition filed by the domestic industry, shows that there is a huge variation in the economic parameters of the Petitioner as well as other factors. Variations have been noticed in parameters such as sales, demand, average stock, selling price per unit, capital employed, profits etc. Interestingly, all the revised figures are to the advantage of the domestic industry.

viii. The Respondent and other interested parties have been commenting upon the data as submitted in the Petition and the Designated Authority has, on the other hand proceeded with different data altogether. No disclosure has been made for adopting different data altogether.

ix. Sales and production of the Petitioner has increased considerably during the injury period. Sales of the domestic industry have increased considerably and in fact, the growth in sales is more than the growth in demand. Domestic sales have grown from 10.94% to 28.24% during 2010-11 to POI, an increase of almost 250%.

x. Designated Authority has held that the domestic demand is dominated by the imports and market share of the domestic industry is only 30%. In this regard, Respondent submits that the Petitioner is already operating at full capacity and cannot increase its market share beyond a certain extent as their capacity is limited. The capacity utilization has also increased from 71% to almost optimal capacity utilization level.

xi. Designated Authority has not at all examined the potential decline in sales, profits, output and other parameters aspect in its disclosure statement. As per Article 3.4 not only it is must that actual decline in the relevant factors be demonstrated, but the effect of such decline on potential decline must also be proved for a positive determination of injury.

xii. The increase in market share of the Petitioner in domestic market is due to the fact that its exports has declined during the POI and had the Petitioner got export orders as it did for previous years, the demand-supply gap would have worsened even further. Moreover, Designated Authority has kept the export volume as confidential which was previously disclosed by the Petitioner itself.

xiii. The petition filed by the Petitioner indicated increase in interest cost during the injury period, that is, 2010-11 to 2013-14. Interest cost almost tripled during this period without increase in capacity of subject goods. The Designated Authority has completely ignored the submission in this regard and did not examine the effect of interest cost. This will impact non-injurious price and resultantly the injury margin.

xiv. Since the subject product is the Petitioners' major product and the Annual Report 2013-14 is showing a decline in depreciation cost and interest cost, it was highly doubtful for Petitioner to project increasing depreciation and interest cost in its petition. Cash profit trend provided by the Petitioner in its petition and cash profit provided in disclosure statement seems doubtful. There is a decline in PBIT and a corresponding increase in depreciation expense during the injury period. By adding such steep increase in depreciation to the PBIT, the cash losses should have declined. However, same has continued to increase during the injury period, which defies logic. Profitability of the Petitioner as a whole improved every year whereas performance of the domestic industry in respect of the main product declined consistently. Respondent fails to understand as to how the Petitioner can continue to make profits as a company as a whole when the main product is suffering significant injury.

xv. The injury to the domestic industry is also due to the DPCO pricing. The formulators will not purchase the subject goods at a price, which will make the cost of production itself more than the price limit stated in the DPCO. Thus, non-injurious price has to be determined by considering DPCO determined prices for the final products and making the necessary adjustments. The Designated Authority should not attribute the injury suffered by the Domestic Industry due to DPCO pricing to the imports of subject goods. This has been the consistent practice of the Authority in the past. For example the Authority can refer to the final findings in the anti-dumping investigation against Cefadroxil Monohydrate originating in or exported from EU.

xvi. Designated Authority has stated that after closure of the petitioner, India would be dependent on Chinese market for this important product which will be against the larger public interest in India. The demand-supply gap is substantial even now as an Indian domestic producer is unable to cater to the domestic demand. If anti-dumping duty is imposed, prices of the subject goods will not only increase, the demand-supply gap will further aggravate.

B. Submissions by the Exporter

xvii. The request for making a fair comparison has not been addressed. We request the Hon'ble Authority for addressing our concerns for making fair comparison for the determination of dumping margin. It is also reiterated that the subject goods i.e. Gliclazide are manufactured as per the norms prescribed under Indian Pharmacopeia (IP), British Pharmacopeia (BP) and European Pharmacopeia (EP). It may be seen that the manufacturing norms are stricter for EP as compared to IP/BP. There is not much difference in IP/BP grades and therefore these two grades can be taken under one category. With the stricter norms of EP, the cost of production of EP grade is significantly higher as compared to IP/BP grades. It is due to this reason there is a difference between the prices of the said grades and EP is sold at a higher price. We would, therefore, request the Hon'ble Authority for making a fair comparison for the two sets of grades of Gliclazide i.e. EP and IP/BP separately for the determination of dumping margin in accordance with the provisions of Article 2.4 of the WTO ADA and Rule 10 read with Para 6 of Annexure I of the Indian Anti-dumping Rules. With regard to our justification for the fair comparison of the two grades EP and IP/BP grades, the production and technical standards of EP and IP/BP grades have already been provided to the Authority. The comparative analysis is summarized below:

xviii. With regard to determination of normal value under Para 7 of the Annexure I, it has been observed in the para 39 of the disclosure statement that normal value for NME country can be determined on the basis of any of the methods prescribed in para 7. The normal value finally has been proposed to be determined on the basis of the basis of facts available. It is submitted that there is a hierarchy of methods to be followed as prescribed in Para 7 and the determination of normal value by relying upon the facts available is the last method and that it is to be followed only in the event it is not possible to construct the normal value on the basis of other alternatives prescribed in the opening sentence of Para 7. In terms of the provisions of paragraph 7 of the Annexure I of the Anti-dumping Rules, the Designated Authority is required to first identify the market economy third country for determination of normal value and only where it is not possible to obtain necessary data from such third country, the normal value is to be determined on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. It is submitted that the domestic industry is under an obligation to inform, without unreasonable delay, the selection of market economy third country so as to give the parties concerned an opportunity to respond to the same. However, the mandatory procedure prescribed by law in the present case has not been followed as the interested parties have not been put to notice about selection of the third country nor the interested parties have been requested to suggest and make necessary information available about the third country. Thus, in the absence of following the mandatory procedure, the present proceedings cannot continue and have become incurable in view of the decision of the Hon'ble Supreme Court in the case of Shenyang Matsushita 2005 (181) ELT 320 (SC) which is directly on the issue.

C. Post Disclosure Statement submissions by the Domestic Industry

xix. The detailed submissions have previously been made before the Designated Authority with regard to PUC, Like Article, standing, injury and causal link. All such submissions may kindly be treated as an integral part of these comments as well.

xx. It is noted from the Disclosure statement that the Authority has proposed to grant individual margins to Shandong Keyuan Pharmaceutical Co., Ltd and Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd. We have following objection to granting individual margins to these exporters and our reasons behind the same argument is provided as follows;

a. **Shandong Keyuan Pharmaceutical Co., Ltd:** It has been our submission that the principal share holders Shandong Keyuan are Shandong LinuoKefeng Pharmaceutical Co., Ltd., and Linuo Group Co., Ltd. The information also shows that Linuo Group is the main holding company/group and both Shandong Keyuan Pharmaceutical Co., Ltd and Shandong LinuoKefeng Pharmaceutical Co., Ltd. are part of Linuo Group. However, it has been submitted by the exporter that its share holders/related companies are not engaged in the production or sale of the subject goods. On the contrary, available information shows that Shandong LinuoKefeng Pharmaceutical Co., Ltd was the first company to get government license to produce Gliclazide in China PR. The non disclosure of this information and non participation of the said company have material impact on any determination of individual margin for the responding exporter. The EQ Response also says that Shandong LinuoKefeng Pharmaceutical Co. Ltd, purchases Gliclazde as a raw material from the responding exporter. The nondisclosure about production by Shandong LinuoKefeng Pharmaceutical Co. Ltd also puts serious doubts on the submission that this company has not exported the subject goods to India. We made these submissions repeatedly in our written submissions however it appears that the said exporter failed to provide any meaningful clarification to this issue to the Authority. Under such circumstances, if the one responding exporter from a large group of producers is given individual margin, the chances of other producers within the group who has not come before the Authority taking undue benefits of individual margin to the responding exporter within the group while exporting the material to India which otherwise comes in the residual category is not ruled out. Thus, Shandong Keyuan Pharmaceutical Co., Ltd should not be granted individual margin.

b. Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd: With regard to Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd, we reiterate our submission that this exporter resorted to excessive confidentiality and not even the name of share holders are given to other interested parties which has shortened our ability to corroborate the submissions of this exporter based on publicly available fact. However, it has been a postscript submission of Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd that PUC contains two main grades i.e IP/BP and EP and any comparison should be made based on these grades. We request the Authority to confirm its view disclosed in the Disclosure statement at para 42 for the purpose of final finding also. In any case, the exporter did not substantiate its argument to show that there is "significant" cost and price difference between the grades by way its EQ Response based on this alone the argument is rejectable.

c. Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd is apparently an unreliable producer and have allegedly engaged in certain malpractices concerning another API (Gabapentin) as pointed out by US FDA, which is available in the public domain. Thus, we dispute the exporter's behavior which is indicative of malpractices in PUC, which is also a pharma ingredient. In the above circumstances, we request the Authority to seek clarifications from Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd with regard to its alleged misbranding of API exported to US and its relation with Zhejiang Zonebanner Jiuzhou Imp. & Exp. Co., Ltd as far as it relates to Gliclazide before proceeding to grant individual margin to Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd. In case the exporter fails to provide meaningful clarification, then the balance of convenience should lie in not granting individual margin to this exporter.

xxi. Anti dumping duties are required to be imposed to curb dumping and to establish fair competition in the Indian market as envisaged in the AD Agreement/Law. The form of duty is required to be kept as fixed quantum in terms of USD.

D. <u>Examination by the Authority</u>

xxii. The issues raised by the importers, exporters and DI have already been addressed in preceding paragraphs. However, for sake of clarity some of the issues are being addressed here in below in brief:

a. The information and data from secondary source namely IBIS furnished by Petitioner was part of the NCV petition and available for reference of all the interested parties.

b. For the purpose of analysis during the investigations DA has relied on DGCIS data, which has been made available to all the interested parties. The data was also sent to all participating interested parties via mail. There have been no specific comments on the data by any interested party. Therefore, the authority is of the view that analysis has been properly carried out.

c. The extension of time for completion of investigation was availed in terms of Rule 17(1) of AD Rules. This has been held valid in the case of Mahindra & Mahindra vs. U.O.I. & Ors [W.P. (C) 3022/2014]; and Volkswagen India Pvt. Ltd. vs. U.O.I. & Ors [W.P. (C) 3023/2014] by Hon'ble High Court of Delhi.

d. On the point of variation of data, it is seen that petitioner claims to have earlier given details in the petition and analysis was based on unaudited financial data for the POI as the accounts were not audited while filing the petition. But the same were revised subsequently upon finalization of audited account and verified by the Authority accordingly.

e. The point regarding the pricing mechanism of the API and the final formulation has already been addressed in detail hereinabove and the same are not being repeated.

f. The issue pertaining to public interest including shortage of drug and price increase has already been addressed and explained in detail in above paragraphs and does not require further analysis.

g. The point wherein the exporter has raised an issue regarding the different grades of PUC such as IP/EP/BP, the Authority has decided, as also mentioned above, that comparison of the imported goods with the PUC and the like article, produced by the domestic industry which is Gliclazide as defined in the initiation notification, is the best comparison and there is no need or any substantiated need to compare cost and price by classifying the PUC into IP/BP and EP grades as pointed out by the exporter. Further, the exporter did not substantiate its argument to show that there is "significant" cost and/or price difference between the grades in any way in its EQ Response or during the verification at their site.

h. The allegation of DI regarding malpractices by one of the exporter was examined and found that the same has no relevance to the PUC or the investigation under reference. The Authority has relied on the verified data of the exporter for the instant case.

I. CONCLUSION

101. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

a. The subject goods have been exported to India from the subject countries below its normal value;

b. The domestic industry has suffered material injury;

c. The material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from subject countries.

d. The injury has been caused cumulatively by the imports from the subject countries.

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

102. The Authority recognizes that imposition of antidumping duties might affect the price level of product in India. However, fair competition in Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantage gained by dumping practices, would arrest the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. Consumers could still maintain two or more sources of supply.

103. The Authority notes that the purpose of antidumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

K. RECOMMENDATIONS

104. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of antidumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder.

105. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the antidumping duty equal to the amount indicated in Col No.9 of the table below is recommended to be imposed on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries/territory.

Duty Table									
Sl. No	Tariff Item	Description of Goods	Specification	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount (in USD)	Unit of Measure-ment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	2942 00 90	Gliclazide	Any specifica-tion	China PR	China PR	Shandong Keyuan Pharmaceu tical Co. Ltd	Shandong Keyuan Pharma-ceutical Co. Ltd	20.86	KG
2.	2942 00 90	Gliclazide	Any specifica-tion	China PR	China PR	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceu tical Co. Ltd.	Any Zhejiang Jiuzhou Pharma-ceutical Co. Ltd.	18.26	KG
3.	2942 00 90	Gliclazide	Any specifica-tion	China PR	China PR	Any combination other than Sr No.3		31.22	KG
4.	2942 00 90	Gliclazide	Any specifica-tion	China PR	Any country other than China PR	Any	Any	31.22	KG
5.	2942 00 90	Gliclazide	Any specifica-tion	Any country other than subject countries	China PR	Any	Any	31.22	KG

106. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

107. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

A.K.BHALLA,Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.